भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

(1934 का अधिनियम संख्यांक 2)

(31 दिसंबर 2003 तक यथासंशोधित)

भारतीय रिज़र्व बैंक
प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 मार्च, 1980 को यथाविद्यमान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिंदी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिंदी पाठ तारीख 1 अप्रैल, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, अनुभाग 1क, संख्यांक 25, खंड IX में पृष्ठ 369 से 416 में प्रकाशित हुआ था।

इस अधिनियम का हिंदी पाठ राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, अब यह हिंदी में प्राधिकृत पाठ है।

नई दिल्ली:
1 मार्च, 1980

रू. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री
सचिव, भारत सरकार।

वित्त मंत्रालय के दिनांक 15 जनवरी 2004 के
पत्र सं.1/5/2000-बी ओ आई के अनुसार
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
मुद्रित किया गया।

संशोधित अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अनुकूलन आदेशों की सूची

1. इंडिया एण्ड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 ।
2. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1937 (1937 का 20)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1940 (1940 का 9)।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1940 (1940 का 13)।
5. करेन्सी अध्यादेश, 1940 (1940 का अध्यादेश 4)।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1940 (1940 का 38)।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1941 (1941 का अध्यादेश 3)।
8. इंटरनेशनल मानेटरी फण्ड एण्ड बैंक ऑर्डिनेन्स; 1945 (1945 का आर्डिनेन्स 47)।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1946 (1946 का 23)।
10. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1947 (1947 का 11)।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1947 (1947 का 23)।
12. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1947 (1948 का 2)।
13. भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 ।
14. रिज़र्व बैंक (लोक स्वामित्व को अंतरण) अधिनियम, 1948 (1948 का 62)।
15. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)।
16. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1949 (1949 का 40)।
17. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1949 (1949 का 44)।
18. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 ।
19. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1951 (1951 का 32)।
20. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953 (1953 का 54)।
21. आन्ध्र (संघ विषय पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1954 ।
22. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23)।
23. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 24)।
24. कृषि उपज (विकास और भांडागारण) निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 28)।
25. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37)
26. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 38)।
27. जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 62)।
28. हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1856 (1956 का 79)।
29. विधि अनुकूलन (सं.3) आदेश, 1986 ।
30. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 19)।

31. भारतीय रिज़र्व बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 48)।
32. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 14)।
33. बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 33)।
34. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38)।
35. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 14)।
36. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58)।
37. मुंबई पुनर्गठन (संघ विषय विधि अनुकूलन) आदेश, 1961 ।
38. निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47)।
39. गोवा, दमण और दीव (करेंसी और सिक्का निर्माण) विनियम, 1962 (1962 का 6)।
40. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 35)।
41. कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10)
42. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52)।
43. बैंककारी विधि (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1963 (1963 का 55)।
44. पाण्डिचेरी (विधि) विनियम, 1963 (1963 का विनियम 7)।
45. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18)।
46. बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23)।
47. नागालैंड राज्य (संघ विषय पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1965 ।
48. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 17)।
49. बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58)।
50. पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघ विषय विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 ।
51. आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55)।
52. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषय विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 ।
53. कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 39)
54. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81)।
55. हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ विषय विधि अनुकूलन) आदेश, 1973 ।
56. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 44)।
57. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन)(संघ विषय विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 ।
58. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषय विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 ।
59. लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप (नाम परिवर्तन) विधि अनुकूलन आदेश, 1974 ।
60. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 51)।
61. लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 52)।
62. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21)।
63. निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1978 (1978 का 21)।
64. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 24)।
65. भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28)।

66. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61)।
67. बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 1)।
68. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 62)।
69. बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 81)।
70. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53)।
71. बैंककारी और लोक वित्तीय संस्था तथा परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 66)।
72. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39)।
73. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 8)।
74. भारतीय रिज़र्व बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 9)।
75. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1997 का 23)।
76. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

धाराओं का क्रम

अध्याय 1
प्रारंभिक

धाराएं		पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
2.	परिभाषाएं	2
	अध्याय 2 **निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार**	
3.	रिज़र्व बैंक की स्थापना और निगमन	5
4.	रिज़र्व बैंक की पूंजी	5
5.	[निरसित।]	5
6.	कार्यालय, शाखाएं और अभिकरण	5
7.	प्रबंध	6
8.	केंद्रीय बोर्ड का गठन और उनके कृत्य	6
9.	स्थानीय बोर्ड, उनका गठन और उनके कृत्य	7
10.	निदेशकों और स्थानीय बोर्डों की सदस्यों की निरर्हताएं	8
11.	पद से हटाया जाना और उसका रिक्त होना	8
12.	आकस्मिक रिक्तियां और अनुपस्थिति	9
13.	केंद्रीय बोर्ड के अधिवेशन	10
14.		
से	[निरसित।]	10
16.		
17.	कारबार जिसे रिज़र्व बैंक कर सकेगा	11
18.	मितीकाटा लेकर सीधा भुगतान करने की शक्ति	24
18क.	उधार या अग्रिम की विधिमान्यता का प्रश्नगत न किया जाना	25
19.	वह कारबार जो रिज़र्व बैंक नहीं कर सकेगा	26
	अध्याय 3 **केंद्रीय बैंककारी कृत्य**	
20.	सरकारी कारबार करने की रिज़र्व बैंक की बाध्यता	27
21.	रिज़र्व बैंक का भारत में सरकारी कारबार का संव्यवहार करने का अधिकार होगा	27
21क.	करार होने पर रिज़र्व बैंक राज्यों का सरकारी कारबार कर सकेगा	28
21ख.	रिज़र्व बैंक और कुछ राज्यों के बीच सन् 1956 की पहली नवंबर से पूर्व किए गए करारों का प्रभाव	28

धाराएं		पृष्ठ
22.	बैंक-नोट निर्गमित करने का अधिकार	29
23.	निर्गमन विभाग	29
24.	नोटों का अंकित मूल्य	29
25.	बैंक-नोटों का रूप	30
26.	नोट वैध निविदा होंगे	30
26क.	कुछ बैंक-नोट वैध निविदा न रहेंगे	30
27.	नोटों का पुनः निर्गमन	30
28.	खोए गए, चोरी किए गए, विकृत या अपूर्ण नोटों का प्रत्युद्धरण	30
28क.	कुछ दशाओं में विशेष बैंक नोटों और एक रुपए के विशेष नोटों का निर्गमन	31
29.	बैंक-नोटों पर स्टांप-शुल्क से रिज़र्व बैंक को छूट प्राप्त होगी	32
30.	केंद्रीय बोर्ड को अतिष्ठित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति	32
31.	मांग पर देय विपत्रों या नोटों का निर्गमन	32
32.	[निरसित।]	33
33.	निर्गमन विभाग की आस्तियां	33
34.	निर्गमन विभाग के दायित्व	34
35.	[निरसित।]	35
36.	[निरसित।]	35
37.	विदेशी प्रतिभूति विषयक आस्तियों संबंधी अपेक्षाओं का निलंबन	35
38.	रुपए के सिक्के की बाबत सरकार और रिज़र्व बैंक की बाध्यताएं	35
39.	विभिन्न प्रकार की करेंसी देने की बाध्यता	35
40.	विदेशी मुद्रा में संव्यवहार	35
41.	[निरसित।]	36
41क.	[निरसित।]	36
42.	अनुसूचित बैंकों की नकद आरक्षितियों का रिज़र्व बैंक में रखा जाना	36
43.	रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित विवरण का प्रकाशन	44
43क.	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण	44
44.	[निरसित।]	44
45.	अभिकर्ताओं की नियुक्ति	44
	अध्याय 3क **प्रत्यय विषयक जानकारी का संग्रहण और दिया जाना**	
45क.	परिभाषाएं	45
45ख.	प्रत्यय विषयक जानकारी संगृहीत करने की रिज़र्व बैंक की शक्ति	46
45ग.	प्रत्यय विषयक जानकारी संगृहीत करने वाली विवरणियां मांगने की शक्ति	46
45घ.	प्रत्यय विषयक जानकारी बैंककारी कंपनी को देने की प्रक्रिया	46
45ङ.	जानकारी के प्रकटन का प्रतिषेध	47
45 च.	प्रतिकर के कुछ दावों का वर्जित होना	47
45छ.	[निरसित।]	48

धाराएं		पृष्ठ
	अध्याय 3ख **(निक्षेप प्राप्त करने वाली गैर-बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)**	
45 ज.	अध्याय 3ख का कतिपय दशाओं में लागू न होना	48
45 झ.	परिभाषाएं	48
45 झक.	रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा और शुद्ध स्वामित्व वाली निधि	51
45 झख.	आस्तियों को प्रतिशत बनाए रखना	54
45 झग.	आरक्षित निधि	55
45ञ.	धन के निक्षेप की याचना करने वाले प्रास्पेक्टस या विज्ञापन का रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन या प्रतिषेध	56
45ञक.	नीति निर्धारित करने और निदेश जारी करने की बैंक की शक्ति	56
45ट.	गैर-बैंककारी संस्थाओं से यह जानकारी संगृहीत करने की कि उनके यहां कितने निक्षेप है तथा उन्हें निदेश देने की रिज़र्व बैंक की शक्ति	57
45ठ.	वित्तीय संस्थाओं से जानकारी मांगने तथा निदेश देने की रिज़र्व बैंक की शक्ति	57
45ड.	गैर-बैंककारी संस्थाओं का यह कर्तव्य कि रिज़र्व बैंक द्वारा मांगे गए कथन आदि उसे दें	58
45डक.	लेखा परीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य	58
45डख.	निक्षेप का प्रतिग्रहण और आस्तियों के अन्य संक्रामण के प्रतिषिद्ध करने की बैंक की शक्ति	59
45डग.	परिसमापन अर्जी फाइन करने की बैंक की शक्ति	59
45ढ.	निरीक्षण	60
45 ढक.	अप्राधिकृत व्यक्ति निक्षेपों की याचना नहीं करेंगे	60
45 ढख.	जानकारी का प्रकटन	61
45 ढग.	छूट देने की बैंक की शक्ति	62
45ण.	[निरसित।]	62
45त.	[निरसित।]	62
45थ.	अध्याय 3ख अन्य विधियों पर अध्यारोही होगा	62
45थक.	निक्षेप के प्रति संदाय का आदेश देने की कंपनी विधि बोर्ड की शक्ति	62
45थख.	निक्षेपकर्ताओं द्वारा नामनिर्देशन	63
	अध्याय 3ग **अनिगमित निकायों द्वारा निक्षेपों का प्रतिग्रहण का प्रतिषेध**	
45द.	निर्वचन	64
45ध.	कुछ दशाओं में निक्षेप का प्रतिग्रहण न किया जाना	64
45न.	तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति	65
धाराएं		**पृष्ठ**

	अध्याय 4 **साधारण उपबंध**	
46.	आरक्षित निधि में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय	65
46क.	राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (स्थिरीकरण) निधि में अभिदाय	65
46ख.	[निरसित।]	66
46ग.	राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि	66
46घ.	राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि	67
47.	अधिशेष लाभों का आबंटन	67
48.	आय-कर और अधि-कर से रिज़र्व बैंक की छूट	67
49.	रिज़र्व बैंक दर का प्रकाशन	67
50.	संपरीक्षक	67
51.	सरकार द्वारा विशेष संपरीक्षकों की नियुक्ति	68
52.	संपरीक्षकों को शक्तियां और कर्तव्य	68
53.	विवरणियां	68
54.	ग्रामीण प्रत्यय और विकास	69
54क.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	69
54कक.	अपने कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्त करने की रिज़र्व बैंक की शक्ति	69
55.	[निरसित।]	70
56.	[निरसित।]	70
57.	रिज़र्व बैंक का समापन	70
58.	केंद्रीय बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति	70
58क.	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण	72
	अध्याय 5 **शास्तियां**	
58ख.	शास्तियां	72
58ग.	कंपनियों द्वारा अपराध	75
58घ.	धारा 58ख के लागू होने का वर्जन	76
58ङ.	अपराधों का संज्ञान	76
58च.	जुर्माने का उपयोजन	76
58छ.	जुर्माना अधिरोपित करने की बैंक की शक्ति	76
59.		
से	[निरसित।]	77
61.		
	प्रथम अनुसूची	78
	द्वितीय अनुसूची-अनुसूचित बैंक	79
	तृतीय अनुसूची - [निरसित।]	89
	चतुर्थ अनुसूची - [निरसित।]	89
	पंचम अनुसूची - [निरसित।]	89

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

1934 का अधिनियम संख्यांक 2[1]

[6 मार्च, 1934]

भारतीय रिज़र्व बैंक गठित करने के लिए अधिनियम

बैंक-नोटों का निर्गमन करने और [2][भारत] में मुद्रा-स्थिति की सुदृढ़ता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियंत्रित करने के लिए तथा समष्टिगत रूप से देश की करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने क लिए भारत के लिए एक रिज़र्व बैंक का गठित करना समीचीन है;

और संसार की मुद्रा पद्धतियों की वर्तमान अव्यवस्था में यह अवधारित करना कि भारतीय मुद्रा पद्धति के लिए स्थायी आधार के रूप में क्या यथोचित होगा, संभव नहीं है;

किंतु विद्यमान मुद्रा पद्धति के आधार पर अस्थायी उपबंध करना और भारत के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा मान के प्रश्न को उस ससमय सोचे जाने के लिए छोड़ देना समीचीन है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्थिति इतनी स्पष्ट और स्थायी हो जाए कि स्थायी उपाय करना संभव हो;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 है।

[3][(2) इसका विस्तार [4]*** संपूर्ण भारत पर है।]

---

[1] उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1933, भाग 5, पृ 160 और प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1933, भाग 5, पृ.197-207 ।

बर्मा के भारत से पृथक् होने पर रिज़र्व बैंक के बर्मा में या बर्मा के संबंध में कृत्यों के लिए इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 देखिए।

यह अधिनियम 1941 के अधिनियम सं.4 द्वारा बरार को; 1962 के विनियम सं.6 द्वारा गोवा, दमण और दीव को, 1963 के विनियम सं.6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली को; 1965 के विनियम सं.8 की धरा 3 और अनुसूची द्वारा संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर अधिसूचना सं. का.आ.208 (अ), तारीख 16-5-1975, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृ.1213 द्वारा सिक्किम राज्य को विस्तारित किया गया और (14-8-1976) से सिक्किम में प्रवृत्त हुआ देखिए अधिसूचना सं.का.आ.547 (अ), तारीख 13-8-1976 ।

यह अधिनियम 1964 के अधिनियम सं.28 द्वारा अनुपूरित किया गया है।

[2] भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश) आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित

[4] 1956 के अधिनियम सं.62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।

(अध्याय 1 - प्रारंभिक)

(3) यह धारा तुरंत प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध ऐसी [1]तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होंगे, जो [2][केंद्रीय सरकार] भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं

2. इस अिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो-

[3]* * * * *

[3]* * * * *

[4][(*क ii*)] "रिज़र्व बैंक" से इस अधिनियम द्वारा गठित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेरित है;

[5][*क iii)*] "अंतरराष्ट्रीय समाशोधन बैंक" से हेग में हस्ताक्षरित 20 जनवरी, 1930 के करार के अनुसरण में, स्विटजरलैंड की विधि के अधीन उक्त नाम में स्थापित निगमित निकाय अभिप्रेत है;]

(ख) "केंद्रीय बोर्ड" से रिज़र्व बैंक के निदेशकों का केंद्रीय बोर्ड अभिप्रेत है;

[6]* * * * *

[6]* * * * *

[6]* * * * *

[6]* * * * *

[6]* * * * *

1961 का 47

[7][[8][*ख iv)*] "निक्षेप बीमा निगम" से निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम अभिप्रेत है;]

1964 का 18

[9][[8](*ख vii)*] "विकास बैंक" से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित औद्योगिक विकास बैंक अभिप्रेत है;]

---

1. धारा 2 से धारा 19, धारा 47, धारा 50 से धारा 52, धारा 55 से धारा 58 और धारा 61, 1 जनवरी, 1935 से प्रवृत्त हुई। देखिए भारतका राजपत्र, 1934 भाग 1, प.1369; और अन्य धाराएं 1 अप्रैल, 1935 से प्रवृत्त हुई, देखिए भारत का राजपत्र, 1935 भाग 1 पृ.538 ।
2. इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) खंड (क) और खंड (कI) का लोप किया गया।
4. 1965 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा (1-3-1966 से) खंड (क) और खंड (कक) क्रमशः खंड (क i) और खंड (क ii) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया।
5. 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
6. 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) खंड (खi); (ख ii), खंड (खiii), खंड (खiv), खंड (खv), खंड (खviii) का लोप किया गया।
7. 1961 अधिनियम सं.47 की धारा 51 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1962 से) अंतःस्थापित।
8. 1965 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा (1-3-1966 से) खंड (खखख) और खंड (खखखख) को क्रमशः खंड (खvi), और खंड (खvii) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया।
9. 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-7-1964 से) अंतःस्थापित।

(अध्याय 1 - प्रारंभिक)

[1]* * * * *

1981 का 28 [2][(ख viiiक) "निआ बैंक" से भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक अभिप्रेत;]

1973 का 46 [3][(ख ix) "विदेशी करेंसी" और "विदेशी मुद्रा" के वही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 में है;

1948 का 15 (ग) "औद्योगिक वित्त निगम" से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अभिप्रेत है;]

1960 का 32 [4][(गक) "अंतरराष्ट्रीय विकास संगम" से अंतरर्राष्ट्रीय विकास संगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार) अधिनियम 1960 में निर्दिष्ट "संगम" अभिप्रेत है;

1958 का 42 (गख) "अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम" से अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार) अधिनियम,1958 में निर्दिष्ट "निगम" अभिप्रेत है;

(गग) "अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि" और अंतरराष्ट्रीय पुर्निर्माण और विकास बैंक" से अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 में निर्दिष्ट क्रमशः "अंतरराष्ट्रीय निधि" और "अंतरराष्ट्रीय बैंक" अभिप्रेत है;]

1981 का 61 [5][(गगग) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम,1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है;]

1987 का 53 [6][(गगग) "राष्ट्रीय आवास बैंक" से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक अभिप्रेत है;]

[7]* * * * *

[7]* * * * *

[7]* * * * *

[7]* * * * *

[7]* * * * *

---

[1] 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 की अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) खंड (ख i), (ख ii), (ख iii), (खं iv), (खं v) और (ख viii) का लोप किया गया।

[2] 1981 के अधिनियम सं.28 की धारा 40 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1982 से) अंतःस्थापित।

[3] 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 3 द्वारा (21-7-1978 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

[5] 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) अंतःस्थापित।

[6] 1987 के अधिनियम सं.53 द्वारा (9-7-1988 से) अंतःस्थापित।

[7] 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) खंड (ग i), खंड (गiक), (ग ii), खंड (ग iii), खंड (ग iv) और खंड (च) का लोप किया गया।

(अध्याय 1 - प्रारंभिक)

1984 का 62 [1][(गv) "पुनर्निर्माण बैंक" से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अभिप्रेत है;]

1906 का 3 (घ) "रुपए का सिक्का" से ऐसे [2]*** रुपए अभिप्रेत है जो भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 [5]*** के उपबंधों के अधीन[3][[4][भारत] में] वैध निविदा है;

(ङ) "अनुसूचित बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है;

1976 का 21 [6][(ङक) "प्रायोजक बैंक" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में यथापरिभाषित प्रायोजक बैंक अभिप्रेत है;]

1955 का 23 [7][[8] [(ङख) "स्टेट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक अभिप्रेत है;]

1989 का 39 [9][(ङढ) "लघु उद्योग बैंक से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है।]

[10]* * * * *

1951 का 63 [11][(चi) "राज्य वित्तीय निगम" से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित कोई राज्य वित्तीय निगम अभिप्रेत है;]

[12]* * * * *

1963 का 52 [13][(छ) "यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है;]

---

1 1984 के अधिनियम सं.62 की धारा 71 और अनुसूची 3 द्वारा (20-3-1985 से) अंतःस्थापित।

2 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949) "सिल्वर" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया।

4 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया।

6 1976 के अधिनियम सं.21 की धारा 33 द्वारा (26-9-1975) "सिल्वर" शब्द के स्थान।

7 1955 के अधिनियम सं.23 की धारा 52 और अनुसूची 3 द्वारा (1-7-1955 से) अंतःस्थापित। विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित पूर्ववर्ती खंड (ङङ) का 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 4 द्वारा (1-11-1951 से) लोप किया गया।

8 1976 के अधिनियम सं.21 की धारा 33 द्वारा खंड (ङझ) को खंड (ङख) के रूप में (26-9-1975 से) पुनःअक्षरांकित किया गया।

9 1989 के अधिनियम सं.39 द्वारा अंतःस्थापित।

10 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) खंड (गi), खंड (गiक), खंड (गii), खंड (गiii), खंड (ग iv) और खंड (च) का लोप किया गया।

11 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा (21-7-1978 से) अंतःस्थापित।

12 खंड (च) से (ट) का जिन्हें इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 2 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया; और 1951 के अधिनियम सं.62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1951 से) अंतःस्थापित खंड (छ) का 1956 के अधिनियम सं.62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया।

13 1963 के अधिनियम सं.52 की धारा 44 और अनुसूची 2 द्वारा (1-2-1984 से) अंतःस्थापित।

(अध्याय 1 - प्रारंभिक)

अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार

1981 का 61

[1][(ज) "कृषि संक्रिया", "केंद्रीय सहकारी बैंक", "सहकारी सोसाइटी", "फसलें", "फसलों का विपणन", "मत्स्य पालन", "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक" और राज्य सहकारी बैंक" के वही अर्थ होंगे जो उनके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में हैं;]

1949 का 10

(झ) "सहकारी बैंक", "सहकारी प्रत्यय सोसाइटी", "निदेशक", "प्राथमिक कृषिक प्रत्यय सोसाइटी", "प्राथमिक सहकारी बैंक" और "प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी" के वही अर्थ होंगे जो उनके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में हैं।]

अध्याय 2
निगमन, [2][पूंजी], प्रबंध और कारबार

रिज़र्व बैंक की स्थापना और निगमन-

3. (1) [3][केंद्रीय सरकार] से करेंसी का प्रबंध ग्रहण करने तथा बैंककारी का कारबार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चलाने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम से एक बैंक गठित किया जाएगा।

(2) रिज़र्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

रिज़र्व बैंक की पूंजी

[4][**4.** रिज़र्व बैंक की पूंजी पांच करोड़ रुपए होगी।]

5. [*शेयर पूंजी का बढ़ाया या घटाया जाना।*] - 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 तथा अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) निरसित।

कार्यालय शाखाएं और अभिकरण

6. रिज़र्व बैंक यथाशक्य शीघ्र मुंबई, कलकत्ता, [5][दिल्ली और मद्रास][6]*** में कार्यालय स्थापित करेगा और भारत[7]*** में किसी अन्य स्थान में या [3][केंद्रीय सरकार] की पूर्व मंजूरी से अन्यत्र शाखाएं या अभिकरण स्थापित कर सकेगा।

---

[1] 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) अंतःस्थापित।

[2] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "शेयर पूंजी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1947 से) "दिल्ली, मद्रास और रंगून" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] 1955 के अधिनियम सं.24 की धारा 3 द्वारा "और लंदन शाखा" शब्दों का लोप किया गया।

[7] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 से अंतःस्थापित "या बर्मा" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार

[1][**7.**(1) केंद्रीय सरकार रिज़र्व बैंक को समय-समय पर ऐसे आदेश दे सकेगी जो वह बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के पश्चात् लोकहित में आवश्यक समझे।]

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए रिज़र्व बैंक के कार्यों और कारबार का साधारण अधीक्षण और निदेशन निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड को सौंपा जाएगा जो ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य तथा बातें कर सकेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य है या की जा सकती है।

[2][(3) केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय गवर्नर तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट डिप्टी गवर्नर को भी रिज़र्व बैंक के कार्यों और कामकाज के साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी और वह ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोक्तव्य हैं या की जा सकती हैं।]

केंद्रीय बोर्ड का गठन और निदेशकों की पदावधि

8. [3][(1) केंद्रीय बोर्ड निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) एक गवर्नर और [4][चार से अनधिक] डिप्टी गवर्नर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे,

(ख) चार निदेशक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जिनमें धारा 9 के अनुसार गठित चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से एक होगा;

(ग) [5][दस] निदेशक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, और

(घ) एक सरकारी अधिकारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।]

(2) गवर्नर और डिप्टी गवर्नर अपना सारा समय रिज़र्व बैंक के कार्यों में लगाएंगे और ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा [6][केंद्रीय सरकार] के अनुमोदन से अवधारित किए जाएं :

[7][परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह गवर्नर या डिप्टी गवर्नर को ऐसा अंशकालिक अवैतनिक काम, चाहे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों से संबंधित हो या नहीं, जिससे, यथास्थिति, गवर्नर या डिप्टी गवर्नर के रूप में उसके कर्तव्यों में बाधा पहुंचने की संभाव्यता नहीं है, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा।]

---

[1] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) मूलधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 5 द्वारा (1-1-1949 से) पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा(1-1-1949 से)पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-7-1964 से) "तीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-7-1964 से) "छह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद गवर्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[7] 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

[1][परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार बैंक से परामर्श करके किसी उप-गवर्नर को राष्ट्रीय बैंक का अध्यक्ष ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगी जो वह सरकार विनिर्दिष्ट करे।]

(3) डिप्टी गवर्नर और उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक केंद्रीय बोर्ड के किसी अधिवेशन में हाजिर हो सकेंगे और उसके विचार-विमर्श में भाग ले सकेंगे; किंतु मत देने के लिए हकदार नहीं होंगे;

[2][परंतु जब गवर्नर ऐसे किसी अधिवेशन में किसी कारण से हाजिर होने में असमर्थ हो तो उसके द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत डिप्टी गवर्नर उस अधिवेशन में उसकी ओर से मत दे सकेगा।]

(4) गवर्नर और डिप्टी गवर्नर पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो [3][केंद्रीय सरकार] उन्हें नियुक्त करते समय नियत करे और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

[4][उपधारा (1) खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक [5]*** चार वर्ष की कालावधि के लिए [6][और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए] पद धारण करेगा।]

उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक [3][केंद्रीय सरकार] के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

(5) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर ही प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

[7][[8]* * * * *

(7) निवृत्त होने वाला निदेशक पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा]

स्थानीय बोर्ड, उसका गठन और उनके कृत्य

[9][**9.** (1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट चार क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक स्थानीय बोर्ड गठित किया जाएगा और यथासंभव प्रादेशिक या आर्थिक हितों और सहकारी और देशी बैंकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्यों से मिलकर बनेगा।]

---

1 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) अंतःस्थापित।

2 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 2 द्वारा परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) दूसरे पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-7-1964 से) "उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठकों का लोप किया गया।

6 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

7 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) अंतःस्थापित।

8 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-7-1964 से) उपधारा (6) का लोप किया गया।

9 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) धारा 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

(2) स्थानीय बोर्ड के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को बोर्ड का सभापति निर्वाचित करेंगे।

[1][(3) स्थानीय बोर्ड का प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।]

(4) स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड को ऐसे मामलों में सलाह देगा जो उसे साधारणतया या विशिष्टतः निर्धारित किए जाएं और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो केंद्रीय बोर्ड उसे प्रत्यायोजित करे।]

निदेशकों और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की निरर्हताएं -

10. (1) ऐसा कोई व्यक्ति निदेशक या स्थानीय बोर्ड का सदस्य न हो सकेगा :-

(क) जो वैतनिक सरकारी अधिकारी है, [2]* * * [3]* * *, या

(ख) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ है या किसी समय हुआ था अथवा जिसने भुगतान करना निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, या

(ग) जो पागल पाया गया है या विकृतचित्त हो जाता है, या

(घ) जो किसी बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है, या

1949 का 10

[4][(ङ) जो [5][बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949] की धारा 5 के खंड (ग) के अर्थ में बैंककारी कंपनी का अथवा सहकारी बैंक का निदेशक है।]

(2) कोई दो व्यक्ति जो एक ही वाणिज्यिक फर्म के भागीदार हैं या एक ही प्राइवेट कंपनी के निदेशक हैं या जिनमें से एक दूसरे का साधारण अभिकर्ता है या दूसरे से या किसी वाणिज्यिक फर्म से, जिसका दूसरा व्यक्ति भागीदार है, प्राधिकार पत्र धारण करता है, एक ही समय पर एक ही स्थानीय बोर्ड के निदेशक या सदस्य नहीं हो सकेंगे।

(3) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (घ) या खंड (ङ) की कोई बात गवर्नर को, या डिप्टी गवर्नर को या धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक को लागू नहीं होगी।

पद से हटाया जाना और उसका रिक्त होना

11. (1) [6][केंद्रीय सरकार] गवर्नर या डिप्टी गवर्नर या [7][किसी अन्य निदेशक या स्थानीय बोर्ड के किसी सदस्य] को पद से हटा सकेगी।

---

1 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 5 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "या भारत के राज्य का वैतनिक पदधारी" शब्दों का लोप किया गया।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "या बर्मा" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 8 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

4 1965 के अधिनियम सं.23 की धारा 3 द्वारा (1-3-1966 से) मूल खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 5 द्वारा "बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 6 द्वारा (1-11-1951 से) "कोई अन्य निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

[1]* * * * *

[2][(2) यदि धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बुलाए गए बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों से केंद्रीय बोर्ड की इजाजत के बिना अनुपस्थित रहता है तो वह पद धारण करने से परिविरत हो जाएगा।]

(3) यदि कोई निदेशक या सदस्य धारा 10 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है तो उस निदेशक को [3][केंद्रीय सरकार] और स्थानीय बोर्ड के उस सदस्य को केंद्रीय बोर्ड, पद से हटा देगी या हटा देगा।

(4) पूर्वगामी उपधारा के अधीन हटाया गया या पद धारण करने से परिविरत निदेशक या किसी स्थानीय बोर्ड का सदस्य निदेशक के रूप में या स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उस पदावधि का अवसान न हो जाए जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई थी।

(5) किसी व्यक्ति का जो [6][संसद या [7][किसी राज्य के] विधान मंडल] का सदस्य है निदेशक या स्थानीय बोर्ड सदस्य के रूप में [4]* * * नामनिर्देशन [5]* * * शून्य होगा जब कि वह अपना [4]* * * नामनिर्देशन [5]* * * की तारीख से दो मास के भीतर ऐसा सदस्य होने से परिविरत नहीं हो जाता है और यदि कोई निदेशक या स्थानीय बोर्ड का सदस्य [8][संसद या ऐसे किसी विधान मंडल] के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया जाता है तो वह यथास्थिति, ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से निदेशक या स्थानी बोर्ड का सदस्य होने से परिविरत हो जाएगा।

(6) निदेशक अपना पद [3][केंद्रीय सरकार] को और स्थानीय बोर्ड का सदस्य अपना पद केंद्रीय बोर्ड को त्यागपत्र देकर त्याग सकेगा और उसके त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने पर वह पद रिक्त हो जाएगा।

आकस्मिक रिक्तियां और अनुपस्थिति

12. *(1)* यदि गवर्नर या डिप्टी गवर्नर अग शैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए असमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर या अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित है जिनमें उसका पद रिक्त न हो तो [3][केंद्रीय सरकार] केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस बाबत की गई सिफारिशों पर विचार

---

1 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) परंतुक का लोप किया गया।

2 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) पूर्ववर्ती उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "नियुक्त" शब्द का लोप किया गया।

5 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "या निर्वाचन" शब्दों का लोप किया गया।

6 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 6 द्वारा (1-11-1951 से) "भाग क राज्य या भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ऐसा कोई विधान मंडल या परिषद्" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

करने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति में स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकेगी और ऐसा व्यक्ति धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रिज़र्व बैंक का अधिकारी हो सकेगा।

[1]* * * * *

(3) जहां स्थानीय बोर्ड के किसी सदस्य के पद में [2]* * * कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है वहां केंद्रीय बोर्ड [3]* * * व्यक्ति को, जिसकी स्थानीय बोर्ड के [4][अन्य] सदस्यों ने सिफारिश की है, उसके लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) जहां निदेशक के पद में कोई ऐसी रिक्ति हो जाती है, जो उपधारा(1) में उपबंधित रिक्तियों से भिन्न है वहां रिक्ति [5] [केंद्रीय सरकार द्वारा] भरी जाएगी।

(5) [6]* * * आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति करने के लिए इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट [7]* * * व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की अवधि के अपर्यवसित भाग तक पद धारण करेगा।

केंद्रीय बोर्ड के अधिवेशन -

13. *(1)* केंद्रीय बोर्ड के अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम-से-कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार गवर्नर द्वारा बुलाए जाएंगे।

(2) कोई [8][चार निदेशक] किसी भी समय गवर्नर से केंद्रीय बोर्ड का अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा कर सकेंगे और गवर्नर तदनुसार तुरंत अधिवेशन बुलाएगा।

(3) गवर्नर, [9]या [यदि वह किसी कारण से हाजिर होने में असमर्थ है,] तो धारा 8 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उसकी ओर से मत देने के लिए प्राधिकृत डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड के अधिवेशनों में पीठासीन होगा और समान मतों की अवस्था में उसका द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

14. से 16. *[साधारण अधिवेशन। केंद्रीय बोर्ड का प्रथम गठन। स्थानीय बोर्डों का प्रथम गठन।] 1948 के अधिनियम संख्यांक 62 की धारा 7 तथा अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) निरसित।*

---

1 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) उपधारा (2) का लोप किया गया।

2 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "स्थानीय बोर्ड द्वारा निर्वाचित किसी निदेशक के कार्यालय में रिक्ति से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया।

3 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "अर्हित" शब्द का लोप किया गया।

4 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "निर्वाचित" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "या निर्वाचित" शब्दों का लोप किया गया।

7 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "उपधारा (4) में अंतर्विष्ट परंतुक के अधीन" शब्दों का लोप किया गया।

8 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1964 से) "तीन निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

9 1955 के अधिनियम सं.24 की धारा 5 द्वारा "उसकी अनुपस्थिति में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

कारबार जिसे रिज़र्व बैंक कर सकेगा

17. रिज़र्व बैंक एतत्पश्चात विनिर्दिष्ट अनेक प्रकार के कारबार चलाने और उसका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत होगा, अर्थात् :-

(1) [1]* * * [2][केंद्रीय सरकार], [3][[4]* * *[5][राज्य सरकारों [6]* * *][7]* * * स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों और किन्हीं अन्य व्यक्तियों से और उनके लिए, बिना ब्याज वाले निक्षेप के रूप में धन का प्रतिग्रहण और धन का संग्रहण;

(2) (क) दो या दो से अधिक मान्य हस्ताक्षरों वाले, जिन हस्ताक्षरों में से एक अनुसूचित बैंक [10][या राज्य सहकारी बैंक] [11][या किसी ऐसी वित्तीय संस्था का होगा जो विनिमय पत्रों और वचन पत्रों को प्रतिगृहीत करने में या मितीकाटा लेकर उनका भुगतान करने में प्रमुखतः लगी हुई हो और जो इस निमित्त रिज़र्व बैंक द्वारा [12][* * * अनुमोदित हो] ऐसे विनिमयपत्रों और वचनपत्रों का क्रय, विक्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करना, [8][जो भारत] [9]में लिखे गए और देय हैं] और जो सद्भावी वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों से उद्भूत हुए हैं और [13][जो ऐसे क्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करने की तारीख से अनुग्रह दिवसों को छोड़कर-

(i) भारत से माल के निर्यात से संबंधित किसी ऐसे संव्यवहार से उद्भूत विनिमयपत्रों तथा वचनपत्रों की दशा में एक सौ अस्सी दिन के अंदर, और

(ii) किसी अन्य दशा में नब्बे दिन के अंदर, परिपक्व होने वाले हैं,]

(ख) दो या दो से अधिक मान्य हस्ताक्षरों वाले, जिन हस्ताक्षरों में से एक अनुसूचित बैंक [10][या [राज्य सहकारी बैंक [11][या किसी ऐसी वित्तीय संस्था का होगा जो विनिमयपत्रों और वचनपत्रों को प्रतिगृहीत करने में या मितीकाटा

---

[1] भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "सेक्रेटरी ऑफ स्टेट" शब्दों का लोप किया गया।

[2] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकारों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "फेडरल रेलवे अथारिटी" शब्दों का लोप किया गया।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[6] 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) "बर्मा सरकार बर्मा रेल बोर्ड" शब्दों का लोप किया गया।

[7] 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 द्वारा (1-11-1951 से) "भाग ख राज्यों" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया।

[8] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "भारत में लिखे गए और देय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[9] 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) "भारत या बर्मा में देय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[10] 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 द्वारा (1-11-1951 से) अंतःस्थापित।

[11] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

[12] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "या किसी बर्मा अनुसूचित बैंक" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

[13] 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

लेकर उनका भुगतान करने में प्रमुखतः लगी हुई हो और जो इस निमित्त रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो,] ऐसे विनिमयपत्रों और वचनपत्रों का क्रय, विक्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करना, [1] [2][जो भारत में लिखे गए और देय हैं] और [3] [कृषि संक्रियाओं के] या फसलों के विपणन [4][वित्तपोषण] के प्रयोजन के लिए लिखे गए या दिए गए हैं और अनुग्रह दिवसों को छोड़कर ऐसे पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करने के [5][पन्द्रह मास] के भीतर परिपक्व होने वाले हैं।

[6]* * * * *

[7][*(खख)* दो या दो से अधिक मान्य हस्ताक्षरों वाले, जिनमें से एक राज्य सहकारी बैंक [8] [या किसी ऐसी वित्तीय संस्था का होगा जो विनिमयपत्रों और वचनपत्रों को प्रतिगृहीत करने में या मितीकाटा लेकर उनका भुगतान करने में प्रमुखतः लगी हुई हो और जो इस निमित्त रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो] ऐसे विनिमयपत्रों और वचनपत्रों का क्रय, विक्रय और पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करना जो भारत में लिखे गए और देय हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पादन या विपणन क्रियाओं का वित्तपोषण करने के प्रयोजन के लिए लिखे गए या दिए गए हैं और ऐसे क्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करने की तारीख से, अनुग्रह दिवसों को छोड़कर, बारह मास के भीतर परिपक्व होने वाले हैं, परंतु यह तब जब कि ऐसे विनिमयपत्रों या वचनपत्रों के मूल और ब्याज की अदायगी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः प्रत्याभूति हों;]

(ग) अनुसूचित बैंक [9] के हस्ताक्षरों वाले ऐसे विनिमयपत्रों और वचनपत्रों का क्रय, विक्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करना [10][जो भारत में [11]* * *[लिखे गए और देय हैं और जो [12][केंद्रीय सरकार [10][या [13][राज्य] सरकार] की प्रतिभूतियां [14]* * * धारण करने या उनका व्यापार करने के प्रयोजन के लिए दिए गए या लिखे गए हैं और ऐसे क्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करने की तारीख से अनुग्रह दिवसों को छोड़कर, नब्बे दिन के भीतर परिपक्व होने वाले हैं;

---

1 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

4 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा "मौसमी कृषि संक्रियाओं के वित्त पोषण" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 द्वारा (1-11-1951 से) "नौ मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित स्पष्टीकरण का 1965 के अधिनियम सं.23 की धारा 4 द्वारा (1-3-1966 से) लोप किया गया।

7 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 3 से अंतःस्थापित।

8 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

9 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "भारत में लिखे गए और देय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

10 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) "या किसी बर्मा अनुसूचित बैंक" शब्दों का लोप किया गया।

12 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "भारत सरकार का स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

13 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

14 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 द्वारा (1-11-1951 से) "या भाग ख राज्य की ऐसी प्रतिभूतियां जो केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर इस निमित्त केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे" शब्दों का लोप किया गया।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

(3) *(क)*[2] [विदेशी मुद्रा] अनुसूचित बैंकों [1]* * * से खरीदना और उनको बेचना [3]* * *;

[4][*(ख)* ऐसे विनिमय पत्रों का (जिनके अंतर्गत खजाना विनिमयपत्र है) क्रय, विक्रय और पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करना जो भारत से बाहर के ऐसे देश में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य है किसी स्थान में या पर लिखे गए हैं और जो क्रय की तारीख से अनुग्रह दिवसों को छोड़कर -

(i) भारत से माल के निर्यात से संबंधित किसी सद्भाविक संव्यवहार से उद्भूत विनिमयपत्र की दशा में, एक सौ अस्सी दिन के अंदर, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, नब्बे दिन के अंदर,

परिपक्व होने वाले हैं;

परंतु भारत में ऐसा कोई क्रय, विक्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करना अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक के साथ ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।]

[5]* * * * *

[6][*(ङक)* किसी अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक को ऐसे बैंक के ऐसे वचनपत्रों पर, जो मांग पर अथवा एक सौ अस्सी दिन से अनधिक नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय हैं, उधार और अग्रिम देना :

परंतु यह तब जब कि उधार लेने वाला बैंक लिखित रूप में इस भाव की घोषणा कर देता है कि -

(i) भारत से माल के निर्यात से संबंधित किसी संव्यवहार से उद्भूत तथा ऐसे उधार या अग्रिम की रकम से अन्यून मूल्य के ऐसे विनिमयपत्र वह धारण किए हुए हैं जो -

(क) भारत में लिखे गए हैं जो जो भारत के बाहर के किसी ऐसे देश के किसी स्थान पर लिखे गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य है, अथवा किसी अन्य देश में लिखे गए हैं जिसे रिज़र्व बैंक ने भारत के राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया है, और

[7][(ख) उधार या अग्रिम की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक समय पर परिपक्व होने हैं तथा जब तक ऐसे उधारों और अग्रिमों का कोई भाग बिना चुकाया रहता है तब तक वह उतने मूल्य के ऐसे विनिमयपत्र धारण किए रहेगा जिनका मूल्य तत्समय बाकी ऐसे उधार या अग्रिम की रकम से कम नहीं है; या]

---

1 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 (1-4-1947 से) द्वारा इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "और बर्मा अनुसूचित बैंक" शब्दों का लोप किया गया।

2 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "स्टर्लिंग" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

4 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 3 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) उपखंड (ग) का लोप किया गया।

6 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

7 1968 के अधिनियम सं.58 की धारा 24 द्वारा (1-2-1969 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

[1][*(ii)* उसने निर्यातक को या भारत में किसी अन्य व्यक्ति को पोतवहन-पूर्व उधार या अग्रिम इस उद्देश्य से दिया है कि वह भारत से माल का निर्यात करने में समर्थ हो जाए और किसी समय लिए गए और बाकी उधार या अग्रिम की रकम उस उधार या अग्रिम की रकम से कम नहीं रहेगी जो उधार लेने वाले बैंक ने रिज़र्व बैंक से अभिप्राप्त किया है।]

[2][*(3ख)* किसी अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक को, उस बैंक के वचनपत्रों पर, ऐसे उधार और अग्रिम देना जो मांग पर या एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय हों;

परंतु यह तब, जब कि उधार लेने वाला बैंक लिखित रूप में इस आशय की घोषणा करता है कि उसने उधार और अग्रिम सद्भावी वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों के लिए या कृषिक संक्रियाओं के या फसलों के विपणन या अन्य ऐसे कृषि प्रयोजनों के वित्तपोषण के लिए दिए हैं जो घोषणा में उल्लिखित हैं और उक्त घोषणा के अंतर्गत ऐसी अन्य विशिष्टियां सम्मिलित हैं जिनकी रिज़र्व बैंक अपेक्षा करे;]

(4) [3]* * * स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित बैंकों, [4][[5]* * *[6][राज्य सहकारी बैंकों [7][और राज्य वित्तीय निगमों][8] * * * को निम्नलिखित की प्रतिभूति पर ऐसे उधार और अग्रिम देना जो मांग पर अथवा नब्बे दिन से अनधिक नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय हों -

(क) वे स्टाक, निधियां और (स्थावर संपत्ति से भिन्न) प्रतिभूतियां जिनमें न्यासी न्यासधन को [9][यूनाइटेड किंगडम की] पार्लियामेंट के किसी अधिनियम द्वारा या [10][भारत][11]* * * में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विनिहित करने के लिए प्राधिकृत है,

(ख) सोना या चांदी या उनके हक-दस्तावेज;

---

1 1968 के अधिनियम सं.58 की धारा 24 द्वारा (1-2-1969 से) खंड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

3 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 द्वारा (1-11-1951 से) "भाग ख राज्य" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया।

4 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "और प्रांतीय सहकारी बैंक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) "बर्मा अनुसूचित बैंक" शब्दों का लोप किया गया।

6 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1957 के अधिनियम सं.19 की धारा 2 द्वारा "राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (1951 का 63) के अधीन स्थापित राज्य वित्तीय निगम और श्रीलंका का प्रधान करेंसी प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

9 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित।

10 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "राज्य" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "या बर्मा" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

(ग) वे विनिमयपत्र और वचनपत्र जो रिज़र्व बैंक द्वारा खरीदे जाने या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करने के योग्य हैं [1][या जो मूल के प्रतिदान और ब्याज की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्णतः प्रत्याभूत हैं;]

(घ) किसी अनुसूचित बैंक [2] [[3] [या [4] [राज्य]]सहकारी बैंक] के वे वचनपत्र जिनका समर्थन माल पर हक संबंधी [5][ऐसी दस्तावेजों से] होता है जो सद्भावी वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों के लिए या [7][कृषिक संक्रियाओं] या फसलों के विपणन के [7][वित्तपोषण] के प्रयोजन के लिए [6][दिए गए उधार या अग्रिम] के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसे किसी बैंक को [6][अंतरित] या समनुदेशित कर दी गई है या उसके पास गिरवी रख दी गई है :

[8][परंतु भारत से माल के निर्यात से संबंधित किसी संव्यवहार से उद्भूत होने वाले विनिमयपत्र तथा वचनपत्र की प्रतिभूति पर दिए गए उधार और अग्रिम मांग पर अथवा एक सौ अस्सी दिन से अनधिक नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय होंगे;]

[9][*(4क)* किसी राज्य वित्तीय निगम [10]* * * को केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की कैसी ही परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों पर या उस निगम द्वारा निर्गमित और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत और ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की कालावधि के भीतर परिपक्व होने वाले बंधपत्रों और डिबेंचरों पर ऐसे उधार या अग्रिम देना जो ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय है:

1985 का 81

[11][परंतु राज्य वित्तीय निगम द्वारा उधार लेने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और उस निगम को इस खंड के अधीन दिए गए उधारों और अग्रिमों की कुल रकम किसी भी समय निगम के शेयरों की [12][समदत्त पूंजी के दुगुने] से अधिक नहीं होगी।]

[13][*(4कक)* राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की

---

1 1955 के अधिनियम सं.24 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

2 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "या किसी प्रांतीय सहकारी बैंक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "जो अंतरित किए गए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1955 के अधिनियम सं.24 की धारा 6 द्वारा "नकद प्रत्यय या अनुदत्त (ओवरड्राफ्ट) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा "मौसमी कृषि संक्रियाओं के वित्तपोषण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

9 1960 के अधिनियम सं.14 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

10 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

11 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा पूर्ववर्ती परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

12 1985 के अधिनियम सं.81 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के लिए (1.5.1986 से लागू) प्रतिस्थापित

13 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) खंड (4कक) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1981 का 61 क्रमशः धारा 42 और 43 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (स्थिरीकरण) निधि में वार्षिक अभिदाय करना;]

[1][*(4ख)* भारतीय औद्योगिक वित्त निगम [2]* * * को ऐसे उधार और अग्रिम देना, जो -

(क) केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर, मांग पर या ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिसंदेय हैं; या

(ख) केंद्रीय सरकार की कैसी ही परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों पर या ऐसे निगम द्वारा पुरोधृत और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत और ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की कालावधि के भीतर परिपक्व होने वाले बंधपत्रों और डिबेंचरों पर ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय है:

[3]* * * * *

[4][*4(खख)* केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी वित्तीय संस्था को उधार और अग्रिम देना जो -

(क) केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर, मांग पर या ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय है; या

(ख) केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की कैसी ही परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों पर या उस वित्तीय संस्था द्वारा पुरोधृत और केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत और ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की कालावधि के भीतर परिपक्व होने वाले बंधपत्रों और डिबेंचरों पर, ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय है:

परंतु उपखंड (ख) के अधीन किसी वित्तीय संस्था को दिए गए उधारों और अग्रिमों की रकम किसी समय कुल मिलाकर, उसकी समादत्त शेयर पूंजी के साठ प्रतिशत से अधिक न होगी;]

[5][4खख] यूनिट ट्रस्ट को -

(i) ऐसे स्टाक, निधियों और (स्थावर संपत्ति से भिन्न) प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर, जिनमें न्यास-धन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्राधिकृत हो, ऐसा उधार और अग्रिम देना जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन दिन से अनधिक की नियत कालावधि के अवसान पर प्रतिसंदेय है; [6]* * *

---

1 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 3 खंड (4ख) द्वारा अंतःस्थापित।

2 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

3 1988 के अधिनियम सं.66 की धारा 5 (30.12.88 से लागू) द्वारा परंतुक का लोप किया गया।

4 1960 के अधिनियम सं.14 की धारा 2 द्वारा खंड (4खख) के जो 1957 के अधिनियम सं.19 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1963 के अधिनियम सं.52 की धारा 44 और अनुसूची 2 द्वारा (1-2-1964 से) अंतःस्थापित।

6 1966 के अधिनियम सं.17 की धारा 11 द्वारा (10-6-1966 से) "या" शब्द का लोप किया गया।

(ii) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्गमित और उसके द्वारा प्रत्याभूत यूनिट ट्रस्ट के बंधपत्रों की प्रतिभूति पर, उधार या अग्रिम धन देना जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास की कालावधि के भीतर प्रतिसंदेय हैं;]

1963 का 52

[1][(iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन प्रथम यूनिट स्कीम से भिन्न किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, और यूनिट ट्रस्ट की ऐसी अन्य संपत्ति की प्रतिभूति पर, जैसी रिज़र्व बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, उधार और अग्रिम देना।]

1956 का 28

[2][*(4ग)* कृषिक उपज (विकास और भांडागारण) निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भांडागारण निगम को उधार और अग्रिम देना, जो-

(क) मांग पर या ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिसंदेय है, और जो केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर दिए गए हैं, या

(ख) केंद्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की कैसी ही परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों पर दिए गए हैं या जिस निगम को उधार या अग्रिम दिया गया है उस द्वारा निर्गमित और केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं और ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की कालावधि के भीतर परिपक्व होने वाले बंधपत्रों और डिबेंचरों पर ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से अठारह मास से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय हैं:

परंतु खंड *(ख)* के अधीन दिए गए उधारों या अग्रिमों की रकम किसी समय कुल मिलाकर केंद्रीय भांडागारण निगम की दशा में तीन करोड़ रुपए और राज्य भांडागारण निगम की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक न होगी;]

[3][(4घ) निक्षेप बीमा निगम को उधार और अग्रिम देना तथा निगम को साधारणतः ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर सहायता देना जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए या किए जाएं;]

1987 का 53

[4]"[(4घघ) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और उधार देना और राष्ट्रीय आवास बैंक की ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं; साधारणतया सहायता करना],"

[5][*(4ङ)* राष्ट्रीय बैंक को -

---

1 1966 के अधिनियम सं.17 की धारा 11 द्वारा (10-6-1966 से) अंतःस्थापित।

2 1956 के अधिनियम सं.28 की धारा 55 द्वारा (1-8-1956 से) अंतःस्थापित।

3 1961 के अधिनियम सं.47 की धारा 51 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1962 से) अंतःस्थापित।

4 1987 के अधिनियम सं.53 की धारा 56 और दूसरी अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अंतःस्थापित।

5 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) खंड (4ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(i) स्टाक, निधियों तथा (स्थावर संपत्ति से भिन्न) ऐसी प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर, जिनमें कोई न्यासी न्यास धन का विनिधान करने के लिए भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्राधिकृत हैं; या

(ii) ऐसी अन्य शर्तों या निबंधनों पर जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे उधार और अग्रिम देना जो मांग पर या ऐसे उधार या अग्रिम के दिए जाने की तारीख से अठारह मास से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिसंदेह हैं;]

[1][*(4च)* यूनिट ट्रस्ट की प्रारंभिक पूंजी में अभिदाय करना;]

[2][*(4छ)* धारा 46ग के अधीन स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक उधार (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि में से विकास बैंक [3][या निआ बैंक [4][या पुनर्निर्माण बैंक] [5][या लघु उद्योग बैंक] को उधार और अग्रिम धन देना, तथा उसक बंधपत्र और डिबेंचर क्रय करना :

1987 का 53

[6][*(4छछ)* राष्ट्रीय आवास बैंक को धारा 46घ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि में से ऋण और उधार देना तथा उक्त बैंक के बंधपत्र और डिबेंचर क्रय करना :

[*(4 ज)* विकास बैंक [5][या लघु उद्योग बैंक] को

(क) ऐसे स्टाक, निधियों और (स्थावर संपत्ति से भिन्न) प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर, जिनमें न्यास-धन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसा उधार और अग्रिम देना जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत कालावधि के अवसान पर प्रतिसंदेय है; या

(ख) ऐसे विनिमयपत्रों या वचनपत्रों की प्रतिभूति पर उधार और अग्रिम देना जो सद्भावपूर्वक किए गए वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों से उद्भूत है, जिन पर दो या अधिक मान्य हस्ताक्षर हैं, और जो उधार या अग्रिम धन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं;]

[7]*[4ज]* अनुसूचित बैंकों, विकास बैंक, 3[निआ बैंक 5[या पुनर्निर्माण बैंक]] औद्योगिक वित्त निगम और किसी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था को, जो रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाए, ऐसा उधार और अग्रिम देना जो मांगे जाने पर या अन्यथा और ऐसी प्रतिभूति पर और ऐसे अन्य निबंधनों तथा शर्तों पर प्रतिसंदेय है, जिनका इस निमित्त अनुमोदन केंद्रीय बोर्ड, यथास्थिति, ऐसे बैंकों, या वित्तीय

---

1 1963 के अधिनियम सं.52 की धारा 44 और अनुसूची 2 द्वारा (1-2-1964 से) अंतःस्थापित।

2 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-7-1964 से) अंतःस्थापित।

3 1981 के अधिनियम सं.28 की धारा 40 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1982 से) अंतःस्थापित।

4 1984 के अधिनियम सं.62 की धारा 71 और अनुसूची 3 द्वारा (20-3-1985 से) अंतःस्थापित।

5 1989 के अधिनियम सं.39 की धारा 56 और अनुसूची 2 द्वारा अंतःस्थापित।

6 1987 के अधिनियम सं.53 द्वारा (9-7-1988 से) अंतःस्थापित।

7 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) अंतःस्थापित।

संस्था को पूंजीगत माल के आयात के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले अन्य प्रयोजनों के लिए, रिज़र्व बैंक से विदेशी मुद्रा क्रय करने में समर्थ बनाने के लिए करे;]

[1][(4ञ)] निआ बैंक को -

(क) ऐसे स्टाकों निधियों और (स्थावर संपत्ति से भिन्न) प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर जिनमें न्यासधन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसे उधार और अग्रिम देना जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत अवधि के अवसान पर प्रतिसंदेय है; या

(ख) ऐसे विनिमयपत्रों या वचनपत्रों की प्रतिभूति पर उधार और अग्रिम देना जो सद्भावनापूर्वक किए गए वाणिज्यिक या व्यापार संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं जिन पर दो या अधिक मान्य हस्ताक्षर हैं और जो ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं;]

[2][*(4ट)* पुनर्निर्माण बैंक को -

(क) ऐसे स्टाकों, निधियों और (स्थावर संपत्ति से भिन्न) प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर, जिनमें न्यास-धन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसा उधार और अग्रिम देना जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक नियत अवधि के अवसान पर प्रतिसंदेय है; या

(ख) ऐसे विनिमय पत्रों या वचनपत्रों की प्रतिभूति पर उधार और अग्रिम देना, जो सद्भावपूर्वक किए गए वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं; जिन पर दो या अधिक मान्य हस्ताक्षर हैं और जो ऐसे उधार या अग्रिम की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं;]

(5) [3][केंद्रीय सरकार] [4][[5]* * * [6][और [7]राज्य सरकार]] को ऐसे अग्रिम देना जो प्रत्येक दशा में अग्रिम देने की तारीख से तीन मास से अनधिक के पश्चात् प्रतिदेय हैं;

[8][(6) अपने कार्यालयों या अभिकरणों में देय मांगदेय ड्राफ्ट, तार अंतरणादेशों और अन्य प्रकार के विप्रेषणादेशों का निर्गमन, तार अंतरणादेशों का खरीदना, और बैंक प्रेष-विपत्रों का बनाना, निर्गमन और परिचालन;]

---

1 1981 के अधिनियम सं.28 की धारा 40 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1982 से) अंतःस्थापित।

2 1984 के अधिनियम सं.62 की धारा 71 और अनुसूची 3 द्वारा (20-3-1985 से) अंतःस्थापित।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 विधि अनुकूलन आदेश, 1943 द्वारा "संघीय रेलवे प्राधिकारी" शब्दों का लोप किया गया।

6 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 (1-11-1951 से) खंड 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

[1]* * * * * * *

(8)[2] [केंद्रीय [3][सरकार या [4][राज्य] सरकार]] की कैसी ही परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का या किसी स्थानीय प्राधिकारी [5]* * * की ऐसी प्रतिभूतियों का, जैसी केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर तन्निमित्त विनिर्दिष्ट की हों, क्रय और विक्रयः

परंतु मूल और ब्याज की बाबत जिन प्रतिभूतियों के लिए पूरी प्रत्याभूति [7][ऐसी किसी सरकार [8][या प्राधिकारी]] ने दी है वे इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी सरकार [8][या प्राधिकारी] की प्रतिभूतियां समझी जाएंगी;]

[9]* * * * * * *

[10][(8क) [11][[12][[13]राष्ट्रीय बैंक], [14][निक्षेप बीमा निगम], [15][विकास बैंक], स्टेट बैंक [या केंद्रीय सरकार द्वारा तन्निमित्त अधिसूचित किसी अन्य बैंक][16][या वित्तीय संस्था] के शेयर और पूंजी का क्रय और विक्रय;]

[17](8कक) किसी वित्तीय संस्था का संवर्धन करना, स्थापन करना और उनकी सहायता करना या उसके संवर्धन, स्थापना और समर्थन में, चाहे अपने समनुषंगी के रूप में या अन्यथा सहयोग देना;

[18][(8ख) ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए स्टेट बैंक के पास निक्षेपों का रखना जैसे तन्निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं;]

(9) धनों, प्रतिभूतियों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की अभिरक्षा या ऐसी प्रतिभूतियों के आगमों का संग्रहण चाहे वह मूलधन, ब्याज या लाभांश हों;

(10) सब संपत्ति का, चाहे वह स्थावर हों या जंगम, जो रिज़र्व बैंक के दावों की पूर्ति या आंशिक पूर्ति में किसी प्रकार रिज़र्व बैंक के कब्जे में आए, विक्रय और वसूली;

---

1 1948 के अधिनियम सं.2 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा खंड (7) निरसित।

2 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "भारत सरकार का या स्थानीय सरकार का" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 (1-11-1951 से) "या कोई भाग ख राज्य" शब्द और अक्षर का लोप किया गया।

6 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 (1-11-1951 से) "प्राधिकारी या राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

9 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 (1-11-1951 से) दूसरे परंतुक का लोप किया गया।

10 1955 के अधिनियम सं.23 की धारा 52 और अनुसूची 3 द्वारा (1-7-1955 से) अंतःस्थापित।

11 1963 के अधिनियम सं.10 की धारा 47 और अनुसूची 2 द्वारा (1-5-1963 से) अंतःस्थापित।

12 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) "कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

13 1961 के अधिनियम सं.47 की धारा 51 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1962 से) अंतःस्थापित।

14 1964 के अधिनियम सं.18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1-7-1964 से) अंतःस्थापित।

15 1956 के अधिनियम सं.79 की धारा 43 और अनुसूची 2 द्वारा (22-10-1956 से) "या उसका कोई समनुषंगी बैंक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

16 1957 के अधिनियम सं.18 की धारा 2 अंतःस्थापित।

17 1987 के अधिनियम सं.53 की धारा और इसकी अनुसूची (9-7-1988 से) अंतःस्थापित।

18 1959 के अधिनियम सं.38 की धारा 64 और अनुसूची 3 द्वारा (10-9-1959 से) अंतःस्थापित।

(अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार)

(11) निम्नलिखिप्त प्रकारों के कारबार में किसी का संव्यवहार करने में [1]* * * [2][केंद्रीय सरकार के [3][या किसी [4][राज्य] सरकार के [5]* * * या किसी स्थानीय प्राधिकारी के [6]* * *] [7][या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के [8]* * *] [9][[10]या किसी अन्य ऐसे निगमित निकाय, के जो किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किया गया हो या भारत के बाहर के किसी ऐसे देश की सरकार के [11][या किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के] जो तन्निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए,] अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, अर्थात् -

(क) सोना या चांदी [12][या विदेशी मुद्रा] का क्रय और विक्रय;

(ख) किसी कंपनी के शेयरों, प्रतिभूतियों या विनिमयपत्रों का क्रय, विक्रय, अंतरण और अभिरक्षा;

(ग) किन्हीं प्रतिभूतियों या शेयरों के आगमों का संग्रहण, चाहे वह मूलधन, ब्याज या लाभांश हों;

(घ) भारत में या अन्यत्र देय विनिमयपत्रों द्वारा मालिक की जोखिम पर ऐसे आगमों का विप्रेषण;

(ङ) लोक-ऋण का प्रबंध;

[13][*(च)*[14]* * * [15]* * * बंधपत्रों और डिबेंचरों को निर्गमित करना और उनका प्रबंध करना;

[16][*(11क)* केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में :-

---

1 भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश) अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट" शब्दों का लोप किया गया।

2 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) "या बर्मा सरकार" शब्दों का लोप किया गया।

6 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 (1-11-1951 से) "या ऐसा भाग ख राज्य" शब्द और अक्षर का लोप किया गया।

7 1959 के अधिनियम सं.44 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

8 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

9 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

10 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 द्वारा (1-11-1951 से) अंतःस्थापित।

11 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा "किसी ऐसे व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

12 1947 के अधिनियम सं.23 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

13 1949 के अधिनियम सं.44 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

14 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा "पूर्वोक्त निगम के संबंध में" शब्दों का लोप किया गया।

15 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 6 द्वारा "इसके" शब्दों का लोप किया गया।

16 1968 के अधिनियम सं.58 की धारा 24 खंड (11क) द्वारा (1-2-1969 से) 1960 के अधिनियम सं14 द्वारा अंतःस्थापित। मूल खंड (11क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अध्याय 2 - निगमन, पूंजी, प्रबंध और कारबार

[1][(क) इस बात की प्रत्याभूति देने के लिए कार्य करना कि केंद्रीय सरकार ने जिस लघु औद्योगिक समुत्थान को अनुमोदित उधार किया है उसकी जो बाध्यताएं ऐसे किसी और अग्रिमों की बाबत अथवा ऐसी अन्य प्रत्यय सुविधाओं की बाबत, जो उसे किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा दी गई है; उस बैंक या अन्य वित्तीय संस्था के प्रति है, उनका सम्यक् पालन उस संस्था द्वारा किया जाएगा, तथा ऐसी प्रतिभूति के संबंध में भुगतान ऐसे अभिकर्ता के रूप में करना, तथा

(ख) ऐसी किसी स्कीम के प्रशासन में कार्य करना जो किन्हीं उधारों या अग्रिमों के संबंध में अथवा किसी अन्य प्रत्यय सुविधा के संबंध में, जो भारत से किसी निर्यात का वित्तपोषण करने या किसी निर्यात को सुगम करने के प्रयोजन से बैंकों द्वारा या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई है या उपबंधित की गई है; ब्याज या अन्य प्रभारों की दर के लिए सहायिकी देने की है, तथा केंद्रीय सरकार की ओर से ऐसे अभिकर्ता के रूप में भुगतान करना;]

[2][(12) सोने या चांदी के सिक्के और सोना-चांदी और विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करना और किसी विदेश के प्रधान करेंसी प्राधिकारी के पास अथवा अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन बैंक या किसी अंतर्राष्ट्रीय या प्रादेशिक बैंक में अथवा ऐसे प्रधान करेंसी प्राधिकारी या प्राधिकारियों या किसी विदेशी सरकार द्वारा बनाई गई वित्तीय संस्था में सोने का खाता खोलना;]

[3][(12क) भारत के बाहर के किसी देश की सरकार द्वारा या भारत के बाहर स्थापित किसी संस्था या निगमित निकाय द्वारा निर्गमित विदेशी करेंसी या किसी अंतर्राष्ट्रीय या प्रशमित करेंसी यूनिट में देय के रूप में अभिव्यक्त ऐसी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना जो रिज़र्व बैंक द्वारा क्रय की दशा में क्रय की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां हैं:

परंतु किसी संस्था या निगमित निकाय की प्रतिभूतियों की दशा में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल का प्रतिसंदाय और ब्याज का संदाय संबद्ध देश की सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा;]

[4][(12ख) अनुसूचित बैंकों, विकास बैंक, [5][निआ बैंक], [6][या पुनर्निर्माण बैंक], औद्योगिक वित्त निगम, किसी राज्य वित्तीय निगम और किसी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था को, जो रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए, और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के वचनपत्र पर विदेशी करेंसियों में उधार और अग्रिम देना :

---

1 1978 के अधिनियम सं.21 की धारा 9 द्वारा खंड (11क) का उपखंड (क) का लोप किया गया।

2 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) खंड (12) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) खंड (12) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) अंत:स्थापित।

5 1981 के अधिनियम सं.28 की धारा 40 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1982 से) अंत:स्थापित।

6 1989 के अधिनियम सं.39 द्वारा अंत:स्थापित।

परंतु यह तब जब कि; यथास्थिति, उधार लेने वाला बैंक या वित्तीय संस्था इस आशय की लिखित घोषणा कर देती है कि -

(क) उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वित्तपोषण करने के लिए या पूंजीगत माल के आयात के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं उधार और अग्रिम दिया है; और

(ख) इस प्रकार दिए गए और किसी भी समय बकाया उधारों या अग्रिमों की रकम उसके द्वारा रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार या अग्रिमों की बकाया रकम से कम नहीं होगी;]

[1][*(13)* किसी बैंक के, जिसके अंतर्गत भारत में निगमित बैंक भी है, भारत के बाहर के कार्यालय में खाता खोलना अथवा भारत के बाहर निगमित किसी बैंक या किसी देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उस देश के प्रधान करेंसी प्राधिकारी अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय या प्रादेशिक बैंक अथवा ऐसे प्रधान करेंसी प्राधिकारियों या विदेशी सरकारों द्वारा बनाई गई वित्तीय संस्था के साथ अभिकरण-करार करना और उसके अभिकर्ता या तत्स्थानी के रूप में कार्य करना और किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय या प्रादेशिक बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य ऐसी विदेशी संस्था के, जो इस निमित्त केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए, शेयरों और प्रतिभूतियों में रिज़र्व बैंक की निधियां विनिहित करना;]

[2][*(13क)* किसी अन्य देश या देशों के समूह के साथ भारत के विदेश व्यापार मद्धे अथवा उस देश या उन देशों के समूह को, उनसे, किन्हीं प्रेषणों मद्धे किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से, या उसको शोध्य किन्हीं रकमों के समाशोधन और उनके परिनिर्धारण की किसी व्यवस्था में भाग लेना जिसके अंतर्गत उसके संबंध में किसी भी करेंसी में कोई रकम देना या प्राप्त करना भी है और उस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय बैंकों, मुद्रा प्राधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों के किसी अंतर्राष्ट्रीय या प्रादेशिक समाशोधन संघ का सदस्य होना, अथवा ऐसी किन्हीं समाशोधन, व्यवस्थाओं से सहयुक्त होना, अथवा केंद्रीय बैंकों, मुद्रा प्राधिकारियों या अन्य वैसे ही प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए किसी निकाय या संगम का सदस्य होना, अथवा उनके साथ किसी रीति से सहयुक्त होना;

(14) रिज़र्व बैंक के कारबार के प्रयोजनों के लिए एकस मास से अनधिक की कालावधि के लिए धन उधार लेना और इस प्रकार उधार लिए गए धन के लिए प्रतिभूति देना :

परंतु भारत [3]* * * में अनुसूचित बैंक [4]* * * से भिन्न किसी व्यक्ति से या

---

[1] 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 4 द्वारा (21-7-1978 से) खंड (13) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1973 के अधिनियम सं.44 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी) अंतःस्थापित।

[3] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "या बर्मा" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

[4] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "या किसी बर्मा अनुसूचित बैंक" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

भारत [1]* * * से बाहर ऐसे बैंक से जो किसी देश में तत्समय प्रवृत्त निधि के अधीन उस देश का प्रधान करेंसी प्राधिकारी है, भिन्न किसी व्यक्ति से इस खंड के अधीन कोई धन उधार नहीं लिया जाएगाः

परंतु यह और भी कि भारत [1]* * * में व्यक्तियों से इस प्रकार लिए गए उधार की कुल रकम किसी समय रिज़र्व बैंक की [2][पूंजी] की रकम से अधिक नहीं होगी;

[3]* * * * *

(15) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बैंक-नोट बनाना और निर्गमित करना [4]* * * [5]* * *

[6][*(15क)* इस अधिनियम के अधीन या किसी अत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रिज़र्व बैंक को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना और शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करना;]

[7][(15ख) बैंककारी में प्रशिक्षण देने तथा अनुसंधान का संप्रवर्तन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना जहां रिज़र्व बैंक की यह राय है कि ऐसी व्यवस्था से रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुकर हो सकता है;]

(16) साधारणतः ऐसे सब विषयों और ऐसी सब बातों को करना जो इस अधिनियम [8]* * * के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के निर्वहन के आनुषंगिक या पारिणामिक हैं।

मितीकाटा लेकर सीधा भुगतान करने की शक्ति

18. [9]* * * जब [10]* * *[रिज़र्व बैंक] [11]* * * की राय में ऐसा विशेष अवसर आ गया है जिसके कारण यह आवश्यक या समीचीन हो गया है कि भारतीय [12]* * * व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और कृषि के हित में प्रत्यय का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए [13][इस धारा के अधीन] कार्यवाही की

---

1 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "और बर्मा" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

2 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 7 द्वारा (1-11-1951 से) "शेयर पूंजी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1956 के अधिनियम सं.79 की धारा 43 और अनुसूची 2 द्वारा (22-10-1956 से) अंतःस्थापित खंड (14क) का 1959 के अधिनियम सं.38 की धारा 64 और अनुसूची 3 द्वारा (1-10-1959 से) लोप किया गया।

4 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "और बर्मा की विधि के अनुसार बैंक-नोट बनाना और निर्गमित करना" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

5 1945 के अधिनियम सं.47 की धारा 6 द्वारा "और" लोप किया गया।

6 1955 के अधिनियम सं.23 की धारा 52 और अनुसूची 3 द्वारा (1-7-1955 से)खंड (15क)के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1968 के अधिनियम सं.58 की धारा 24 द्वारा (1-2-1969 से)अंतःस्थापित।

8 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "और बर्मा की विधि" शब्दों का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 11 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

9 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 7 द्वारा कोष्ठक और अंक "(1)" का लोप किया गया।

10 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 8 द्वारा (1-1-1949 से) "केंद्रीय बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

12 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 7 द्वारा "इस उपधारा के अधीन"के स्थान पर प्रतिस्थापित।

जानी चाहिए तो धारा 17 [1]* * * में अंतर्विष्ट किसी परिसीमा के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक [2]* * *

[3][(1) कोई विनिमयपत्र या वचनपत्र खरीद सकेगा या बेच सकेगा या मित्तिकाटा लेकर उसका भुगतान कर सकेगा भले ही ऐसा विनिमयपत्र या वचनपत्र रिज़र्व बैंक द्वारा उस धारा के अधीन खरीद या मित्तिकाटा लेकर भुगतान किए जाने के योग्य न हो; या]

[6]* * * * *

[3][(3)(क) किसी राज्य सहकारी बैंक को; या

(ख) किसी राज्य सहकारी बैंक की सिफारिश पर, किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी को जो उस क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत हुई हो जिसमें वह राज्य सहकारी बैंक काम करता है, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति को,

मांग पर या नब्बे दिन से अनधिक की नियत कालावधियों के अवसान पर प्रतिदेय उधार या अग्रिम ऐसे निबंधनों और शर्तों पर दे सकेगा जिन्हें रिज़र्व बैंक पर्याप्त समझे।

[5]* * * * *

[6]* * * * *

उधार या अग्रिम की विधिमान्यता का प्रश्नगत न किया जाना

[7][**18क.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, -

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम की विधिमान्यता केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि पूर्वोक्त जैसी किसी अन्य विधि अथवा किसी संकल्प, संविदा, ज्ञापन, संगम अनुच्छेद या किसी अन्य लिखत की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं हुआ है :

परंतु जहां कि कोई कंपनी या सहकारी सोसायटी उधारों या अग्रिमों को अभिप्राप्त करने के लिए अपने ज्ञापन द्वारा सशक्त नहीं है, वह इस खंड की कोई बात ऐसी कंपनी या सहकारी सोसायटी द्वारा अभिप्राप्त किसी उधार या अग्रिम को विधिमान्य नहीं बनाएगी;

---

[1] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंत:स्थापित शब्द "या बर्मा" का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 12 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

[2] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 7 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

[3] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 7 द्वारा पूर्ववर्ती खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 5 द्वारा (21-7-1978 से) खंड (2) का लोप किया गया।

[5] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) परंतुक का लोप किया गया।

[6] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 7 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया।

[7] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित।

(ख) जहां धारा 17 के खंड (3क) या खंड (3ख) के अधीन कोई उधार या अग्रिम दिया गया है अथवा धारा 18 के खंड (3) के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया कोई उधार या अग्रिम ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी उधार लेने वाले को उधार या अग्रिम दिए जाने में पूर्णतः अथवा अंशतः उपयोजित किया गया है वहां -

(i) ऐसे विनिमयपत्रों मद्धे, जिनकी बाबत धारा 17 के खंड (3क) के परंतुक के खंड (i) के अधीन कोई घोषणा प्रस्तुत की गई है अथवा उक्त परंतुक के खंड (ii) में अथवा उक्त धारा के खंड (3ख) के परंतुक में निर्दिष्ट उधारों और अग्रिम के बकायों के प्रतिदाय या उनकी वसूली मद्धे, उधार लेने वाले बैंक द्वारा, या

(ii) उधार लेने वाले बैंक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिज़र्व बैंक से धारा 18 के अधीन अभिप्राप्त निधियों में से किसी उधार लेने वाले को दिए गए उधारों और अग्रिमों के प्रतिदाय या उनकी वसूली से उस उधार लेने वाले बैंक या अन्य व्यक्ति द्वारा,

प्राप्त कोई भी धनराशि, यथास्थिति, उस उधार लेने वाले बैंक या अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी रकमों, के प्रतिदाय, के लिए ही उपयोग में लाई जाएगी जो उस बैंक या उस व्यक्ति द्वारा रिज़र्व बैंक को वापस करने के लिए शोध्य हों, और उस बैंक या व्यक्ति द्वारा रिज़र्व बैंक के लिए न्यास के रूप में उस समय तक रखी जाएगी, जब तक कि उन रकमों का इस प्रकार प्रतिदाय नहीं हो जाता।]

यह कारबार जो रिज़र्व बैंक नहीं कर सकेगा

19. धारा 17, 18, [1][42] और 45 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय रिज़र्व बैंक -

(1) व्यापार में भाग नहीं ले सकेगा या अन्यथा किसी वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य उपक्रम में कोई प्रत्यक्ष हित ऐसे हित के सिवाय नहीं रख सकेगा जिसे वह अपने दावों में से किसी की पूर्ति के अनुक्रम में किसी रीति से अर्जित कर, परंतु ऐसे सारे हितों का शीघ्रातिशीघ्र व्ययन कर दिया जाएगा;

[2][*(2)* किसी बैंककारी कंपनी के या किसी अन्य कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकेगा या ऐसे किन्हीं शेयरों की प्रतिभूति पर उधार नहीं देगा;]

(3) स्थावर संपत्ति या तत्संबद्ध हकदस्तावेजों के बंधक पर या अन्यथा उनकी प्रतिभूति पर अग्रिम नहीं दे सकेगा या जहां तक उसके अपने कारबार-परिसरों और अपने अधिकारियों और नौकरों के निवास गृहों के लिए आवश्यक हो उसके सिवाय, स्थावर संपत्ति का स्वामी नहीं बनेगा;

(4) उधार या अग्रिम नहीं देगा;

(5) मांग से अन्यथा प्रतिदेय विनिमयपत्र नहीं लिखेगा या प्रतिगृहीत करेगा;

(6) निक्षेपों या चालू खातों पर ब्याज नहीं देगा।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं.38 की धारा 2 द्वारा (6-10-1956 से) अंतःस्थापित।

[2] 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 9 द्वारा (1-11-1951 से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

अध्याय 3
केंद्रीय बैंककारी कृत्य

सरकारी कारबार करने की रिज़र्व बैंक की बाध्यता

20. रिज़र्व बैंक [1][[2]* * * केंद्रीय सरकार] की ओर से धन प्रतिगृहीत करेगा, और [3][उसके खाते] में जमा राशि तक अदायगी करेगा, और [4][उसके विनिमय] विप्रेषणादेश तथा अन्य बैंककारी क्रियाओं को, जिनके अंतर्गत [5][संघ के] लोक ऋण का प्रबंध भी है, करेगा।

[6]* * * * *

रिज़र्व बैंक को भारत में सरकारी कारबार का संव्यवहार करने का अधिकार होगा

21. *(1)* [7][केंद्रीय सरकार] [8]* * * ऐसी शर्तों पर, जैसी करार पाई जाएं, [9][अपने] सब धन-संबंधी विप्रेषणादेश संबंधी, विनिमय संबंधी और भारत में बैंककारी संबंधी संव्यवहार रिज़र्व बैंक को सुपुर्द कर देगी और विशेषतया, बिना ब्याज लिए [9][अपने] नकद अतिशेष रिज़र्व बैंक में निक्षिप्त करेगी :

परंतु इस उपधारा की कोई बात [7][केंद्रीय सरकार][10]* * * को उन स्थानों में, जहां कि रिज़र्व बैंक की कोई शाखाएं या अभिकरण नहीं हैं, धन का लेन-देन करने से निवारित नहीं करेगी और [7][केंद्रीय सरकार] [8]* * * ऐसे स्थानों में ऐसे अतिशेष रख सकेगी जैसे [11][उसे] अपेक्षित हों।

(2) [7][केंद्रीय सरकार][12]* * * ऐसी शर्तों पर, जैसी करार पाई जाएं, रिज़र्व बैंक को लोक ऋण का प्रबंध और नए उधारों का निर्गमन सौंप देगी।

(3) इस धारा में निर्दिष्ट शर्तों पर करार होने में असफल होने पर [7][केंद्रीय सरकार] इस बात का विनिश्चय करेगी कि शर्तें क्या होंगी।

---

1 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "और भाग क राज्यों की सरकारें" शब्दों और अक्षर का लोप किया गया।

3 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "क्रमशः उनके खाते" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "उनके विनिमय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।

6 धारा 20क (ब्रिटिश सैनिक प्रशासन, बर्मा के लिए कारबार का संव्यवहार) जो 1945 के अध्यादेश सं.19 द्वारा अस्थायी रूप से अंतःस्थापित की गई थी अब 1947 के अधिनियम सं.11 द्वारा अध्यादेश निरसित होने के कारण निरसित हो गई।

7 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "और राज्य सरकारों" शब्दों का लोप किया गया।

9 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "उनके" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

10 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "या कोई राज्य सरकारं" शब्दों का लोप किया गया।

11 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "उन्हें" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

12 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "और राज्य सरकारों" शब्दों का लोप किया गया।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

[1][(4) इस धारा के अधीन किया गया कोई करार किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद के समक्ष रखा जाएगा।]

[2]* * * * *

करार होने पर रिज़र्व बैंक राज्यों का सरकारी कारबार कर सकेगा

[3][**21क** *(1)* रिज़र्व बैंक किसी [4]* * * राज्य [5]* * * की सरकार के करार करके -

(क) उसके धन संबंधी, विप्रेषणादेशों संबंधी, विनिमय संबंधी और भारत में बैंककारी संबंधी सब संव्यवहार, जिसके अंतर्गत बिना ब्याज के रिज़र्व बैंक में निक्षिप्त नकद अतिशेष विशेष रूप से है, कर सकेगा; और

(ख) उस राज्य के लोक ऋण का प्रबंध और नए उधारों का निर्गमन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई करार किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा।]

रिज़र्व बैंक और कुछ राज्यों के बीच सन 1956 की पहली नवंबर से पूर्व किए गए करारों का प्रभाव

[6][**21ख.** *(1)* रिज़र्व बैंक और निम्नलिखित स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के बीच, धारा 21 या धारा 21क के अधीन किया गया और 1956 के नवंबर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त, कोई करार उस दिन से ऐसे प्रभाव रखेगा मानो वह रिज़र्व बैंक और तत्स्थानी राज्य की सरकार के बीच धारा 21क के अधीन उस दिन उस करार के साधारण प्रवर्तन को प्रभावित न करने वाले ऐसे उपांतरों सहित, यदि कोई हों, किया गया करार हो जैसे रिज़र्व बैंक और तत्स्थानी राज्य की सरकार के बीच करार पाए जाएं या ऐसे करार के अभाव में जैसे केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा किए जाएं।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में "तत्स्थानी राज्य" से, -

(क) रिज़र्व बैंक और आंध्र राज्य के बीच करार की दशा में आन्ध्र प्रदेश राज्य;

(ख) रिज़र्व बैंक और किसी अन्य भाग क राज्य के, जैसा वह 1956 के नवंबर के प्रथम दिन से पूर्व वर्तमान था, बीच करार की अवस्था में उसी नाम वाला राज्य; और

---

1 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 11 द्वारा (1-11-1951 से) अंतःस्थापित उपधारा (5) का 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) लोप किया गया।

3 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 12 द्वारा (1-11-1951 से) अंतःस्थापित।

4 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) "भाग ख" शब्द और अक्षर लोप किया गया।

5 1969 के अधिनियम सं.55 की धारा 75 द्वारा अंतःस्थापित "(स्वशासी मेघालय राज्य सहित)" कोष्ठक और शब्दों का 1971 के अधिनियम सं.81 की धारा 72 द्वारा (21-1-1972 से) लोप किया गया।

6 1956 के अधिनियम सं.37 की धारा 104 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

(ग) रिज़र्व बैंक और भाग ख राज्य मैसूर या तिरूवांकूर-कोचीन के बीच, जैसा वह 1956 के नवंबर के प्रथम दिन से पूर्व वर्तमान था, करार की दशा में क्रमशः मैसूर या केरल राज्य; अभिप्रेत है।

(2) रिज़र्व बैंक और भाग ख राज्य हैदराबाद, मध्य भारत या सौराष्ट्र की सरकार के बीच धारा 21क के अधीन हुए किसी करार की बाबत यह समझा जाएगा कि उसका पर्यवसान सन् 1956 के अक्तूबर के 31वें दिन को हो गया है।]

बैंक नोट निर्गमित करने का अधिकार

22. *(1)* रिज़र्व बैंक को [1][भारत] में बैंक-नोट निर्गमित करने का एकल अधिकार होगा और वह उस काल के लिए, जिसे केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर नियत करेगी, [2][केंद्रीय सरकार] द्वारा अपने को दिए गए करेंसी नोट निर्गमित कर सकेगा और जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय न प्रतीत हो बैंक नोटों को इस अधिनियम के जो उपबंध लागू हैं वे [2][केंद्रीय सरकार] द्वारा या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित किए गए भारत सरकार के सारे करेंसी नोटों को उसी रीति से लागू होंगे मानो ऐसे करेंसी नोट बैंक-नोट हों और इस अधिनियम में बैंक-नोटों के प्रति निर्देशों का अर्थ तदनुसार किया जाएगा।

(2) उस तारीख से ही जिससे यह अध्याय प्रवृत्त होता है [2][केंद्रीय सरकार] कोई करेंसी नोट निर्गमित नहीं करेगी।

निर्गमन विभाग

23. *(1)* बैंक-नोटों का निर्गमन रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमन विभाग से किया जाएगा जो बैंककारी विभाग से पृथक् कर दिया जाएगा और पूर्णतः सुभिन्न रहेगा और निर्गमन विभाग की आस्तियां धारा 34 में एतत्पश्चात् यथापरिभाषित निर्गमन विभाग के दायित्वों से भिन्न किसी दायित्व के अधीन नहीं होंगी।

(2) निर्गमन विभाग, बैंककारी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति को बैंक-नोट अन्य बैंक-नोटों के या ऐसे सिक्कों, सोना-चांदी या प्रतिभूतियों के विनिमय में ही निर्गमित करेगा जिनका आरक्षित निधि का एक भाग होना इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञात है अन्यथा नहीं।

[3]* * * * *

नोटों का अंकित मूल्य

[4][24. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए बैंक नोट दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए, पचास रुपए, सौ रुपए, पांच सौ रुपए, एक हजार रुपए, पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए या दस हजार रुपए से अनधिक ऐसे अन्य अंकित मूल्य होंगे जो केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

---

1 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित उपधारा (3) का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 13 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

4 1968 के अधिनियम सं.58 की धारा 25 द्वारा (1-2-1969 से) धारा 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

(2) केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे अंकित मूल्य के बैंक नोटों का, जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निर्गमन न किया जाए या निर्गमन करना बंद कर दिया जाए।]

बैंक नोटों का स्वरूप

25. बैंक नोट ऐसे डिजाइन, रूप और सामग्री के होंगे जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् [1][केंद्रीय सरकार] द्वारा अनुमोदित की जाए।

नोट वैध निविदा होंगे -

26. *(1)* उपधारा *(2)* के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक बैंक-नोट [2][भारत] में किसी भी स्थान में उसमें अभिव्यक्त राशि की आदायगी में या लेखे वैध निविदा होगा और [1][केंद्रीय सरकार] द्वारा प्रत्याभूत होगा।

(2) केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर [1][केंद्रीय सरकार] भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, किसी अंकित मूल्य के बैंक-नोटों का कोई क्रम [3][रिज़र्व बैंक के ऐसे कार्यालय या अभिकरण ही या ऐसे विस्तार तक में वैध निविदा रहेगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, अन्यथा नहीं।]

[4]* * * * *

कुछ बैंक-नोट वैध निविदा न रहेंगे

[5][**26क.** धारा 26 में किसी बात के होते हुए भी 1946 की जनवरी के तेरहवें दिन के पूर्व निर्गमित पांच सौ रुपए, एक हजार रुपए या दस हजार रुपए के अंकित मूल्य का कोई बैंक नोट उसमें अभिव्यक्त राशि की अदायगी या लेखे वैध निविदा नहीं रहेगा।]

नोटों का पुनः निर्गमन

27. रिज़र्व बैंक ऐसे बैंक नोटों को जो फटे हुए विरूपित या अत्यधिक मैले हैं फिर से निर्गमित नहीं करेगा।

खोए गए, चोरी किए गए, विकृत या अपूर्ण नोटों का प्रत्युद्धरण

28. [6]* * * किसी अधिनियमित या विधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार या रिज़र्व बैंक से भारत सरकार के किसी खोए हुए, चोरी किए गए, विकृत या अपूर्ण करेंसी-नोट या बैंक-नोट का मूल्य अधिकारेण प्रत्युद्धृत करने का हकदार नहीं होगाः

---

1 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "बैंक के किसी कार्यालय या अभिकरण के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित उपधारा (3) का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 14 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

5 1956 के अधिनियम सं.62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।

6 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित कोष्ठक और अंक" (1)" और उपधारा (2) का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 15 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

परंतु रिज़र्व बैंक [1][केंद्रीय सरकार] की पूर्व मंजूरी से वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें और परिसीमाएं विहित कर सकेगा, जिनके अधीन, ऐसे करेंसी नोटों या बैंक-नोटों का मूल्य अनुग्रह स्वरूप प्रतिदत्त किया जा सकेगा, और इस परंतुक के अधीन बनाए गए नियम [2]* * * [3][संसद] के पटल पर रखे जाएंगे।

[4]* * * * *

कुछ दशाओं में विशेष बैंक-नोटों और एक रुपए के विशेष नोटों का निर्गमन

[5][**28क.** *(1)* भारत के बाहर बैंक-नोटों के परिचालन को नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, पांच रुपए, दस रुपए और एक सौ रुपए के अंकित मूल्यों वाले ऐसे डिजाइन, रूप और सामग्री के, जो उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित की जाए, बैंक नोट (जिन्हें एतत्पश्चात् इस धारा में विशेष बैंक-नोट कहा गया है) निर्गमित कर सकेगा।

1940 का अध्यादेश 4

(2) भारत के बाहर सरकार के एक रुपए के नोटों के परिचालन को नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या करेंसी अध्यादेश, 1940 में किसी बात के होते हुए भी एक रुपए के अंकित मूल्य वाले ऐसे डिजाइन, रूप और सामग्री के, जो उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित की जाए, भारत सरकार के नोट (जिन्हें एतत्पश्चात् इस धारा में एक रुपए का विशेष नोट कहा गया है।) निर्गमित कर सकेगी।

(3) विशेष बैंक-नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उन सिफारिशों पर, जो गवर्नर द्वारा की गई हैं, विचार करने के पश्चात अनुमोदित की जाए और एक रुपए के विशेष नोटों का डिजाइन, रूप और सामग्री ऐसी होगी जिसे अपनाना केंद्रीय सरकार ठीक समझे।

(4) न तो विशेष बैंक-नोट और न एक रुपए के विशेष नोट ही भारत में वैध निविदा होंगे।

(5) एक रुपए के विशेष नोट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 39 के सिवाय इस अधिनियम, के सब प्रयोजनों के लिए "रुपए का सिक्का" पद के अंतर्गत है किंतु यह न समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए करेंसी नोट है।

(6) जहां विशेष बैंक-नोट में उसका किसी विनिर्दिष्ट कार्यालय या रिज़र्व बैंक की शाखा में देय होना अभिव्यक्त है वहां धारा 39 द्वारा अधिरोपित बाध्यता केवल उस विनिर्दिष्ट कार्यालय या शाखा पर होगी किंतु ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए ही होगी जो इस धारा के अधीन बनाए जाए।

---

1 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "दोनों सदनों के" शब्दों का लोप किया गया।

3 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केंद्रीय विधान मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित कोष्ठक और अंक" (1)" और उपधारा (2) का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 15 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

5 1959 के अधिनियम सं.14 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

(7) इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन क लिए जिन विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक या सुविधापूर्ण है और उन सब विषयों के लिए और विशिष्टतया उस रीति के लिए जिससे और उन शर्तों और परिसीमाओं के लिए जिनके अधीन रहते हुए -

(i) भारत के बाहर किसी देश में परिचालित बैंक-नोटों और एक रुपए के नोटों को इस धारा के अधीन निर्गमित विशेष नोटों से बदला जा सकेगा;

(ii) किन्हीं ऐसे विशेष नोटों को किन्हीं अन्य बैंक-नोटों या एक रुपए के नोटों से बदला जा सकेगा; उपबंध करने के लिए विनियम, रिज़र्व बैंक, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से बना सकेगा।]

बैंक नोटों पर स्टाम्प शुल्क से रिज़र्व बैंक को छूट प्राप्त होगी 1899 का 2

29. रिज़र्व बैंक अपने द्वारा निर्गमित बैंक नोटों पर [1]* * * भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन कोई स्टाम्प शुल्क देने के दायित्वाधीन न होगा।

केंद्रीय बोर्ड को अतिष्ठित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

30. *(1)* यदि [2][केंद्रीय सरकार] की राय में रिज़र्व बैंक इस अधिनियम [3]* * * के द्वारा या अधीन अपने ऊपर अधिरोपित बाध्यताओं के परिपालन में असफल रहा है तो [4][केंद्रीय सरकार] भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय बोर्ड को अतिष्ठित करने की घोषणा कर सकेगी और तत्पश्चात् रिज़र्व बैंक के कार्यों का साधारण अधीक्षण और संचालन उस अभिकरण को सौंपा जाएगा जिसे [2][केंद्रीय सरकार] अवधारित करे और ऐसा अभिकरण ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कार्य तथा ऐसी बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रयोक्तव्य है या की जा सकती है।

(2) जब इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाती है तब [2][केंद्रीय सरकार] जिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप वह कार्यवाही करनी पड़ी है उन परिस्थितियों का और की गई उस कार्यवाही की एक पूर्ण रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र और किसी भी दशा में बोर्ड को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के निकाले जाने से तीन मास के अंदर [5][संसद के समक्ष रखवाएगी।]

मांग पर देय विपत्रों या नोटों का निर्गमन

31. [6][(1)] रिज़र्व बैंक से या इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथाप्राधिकृत [2][केंद्रीय सरकार] से भिन्न [7][भारत] में कोई व्यक्ति वाहक को मांग पर देय कोई विनिमयपत्र, हुण्डी, वचनपत्र या वचनबंध, जो धन देने के लिए है, न तो लिखेगा ना प्रतिगृहीत करेगा और ना निर्गमित करेगा और न वाहक को ऐसे किसी व्यक्ति की मांग पर देय पत्रों, हुण्डियों या नोटों पर काई राशि या धन न तो उधार देगा, न उसके लिए देनदार रहेगा और न लेगा;

---

1 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "या बर्मा नोटों पर " शब्द 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 16 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

2 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित "या बर्मा की विधि द्वारा या के अधीन " शब्द 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 17 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

4 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स)आर्डर, 1937 द्वारा "वह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केंद्रीय विधान मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1946 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा 31 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्याकित।

7 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

परंतु हुंडियों सहित चैक या ड्राफ्ट, जो वाहक को मांग पर या अन्यथा देय है, किसी व्यक्ति के ऐसे खाते पर लिखे जा सकेंगे जो उसका किसी बैंककार, सराफ या अभिकर्ता के यहां है।

1881 का 26

[1][*(2)* पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में किसी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक से या इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ततः यथाप्राधिकृत केंद्रीय सरकार से भिन्न [2][भारत] में कोई व्यक्ति ऐसा वचनपत्र जिससे यह अभिव्यक्त है कि लिखत के वाहक को वह देय है, न तो लिखेगा न ही निर्गमित करेगा।

32. [शास्ति] भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 51) की धारा 9 द्वारा निरसित।

निर्गमन विभाग की आस्तियां

33. *(1)* निर्गमन विभाग की आस्तियां सोने के सिक्कों, सोने की सिल्लियों [3][विदेशी प्रतिभूतियों], रुपए के सिक्कों और रुपयों वाली प्रतिभूतियों के रूप में इतनी कुल रकम की होगी जो निर्गमन विभाग के एतत्पश्चात् यथापरिनिश्चित दायित्वों के योग से कम नहीं है।

[4][(2) आस्तियों के रूप में धारित सोने के सिक्कों, सोने की सिल्लियों और विदेशी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य और इस प्रकार से धारित सोने के सिक्कों और सोने की सिल्लियों का कुल मूल्य किसी समय क्रमशः दो सौ करोड़ रुपए और एक सौ पन्द्रह करोड़ रुपए से कम नहीं होगा।]

[5][*(3)* शेष आस्तियां रुपए के सिक्कों, कैसी ही परिपक्वता वाली भारत सरकार की रुपए वाली प्रतिभूतियों, राष्ट्रीय बैंक द्वारा धारा 17 की उपधारा *(4ङ)* के अधीन किसी उधार या अग्रिम के लिए लिखे गए वचनपत्रों और भारत में देय ऐसे विनिमयपत्रों और वचनपत्रों के रूप में धारण की जाएगी जो धारा 17 के खण्ड *(2)* के उपखण्ड *(क)* या उपखण्ड *(ख)* या उपखण्ड *(खख)* के अधीन या धारा 18 के खण्ड *(1)* के अधीन रिज़र्व बेंक द्वारा क्रय किए जाने योग्य है।]

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए सोने के सिक्के और सोने की सिल्लियों का मूल्य [6][तत्समय प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत से अनधिक कीमत पर], रुपए के सिक्कों का मूल्य अपने अंकित मूल्य के अनुसार और प्रतिभूतियों का मूल्य तत्समय प्रचलित [7][बाजार की दरों से अनधिक दरों पर लगाया जाएगा।]

(5) आस्तियों के रूप में धारित सोने के सिक्के और सोने की सिल्लियों में कम-से-कम सत्रह बटा बीस [2][भारत], में धारण किया जाएगा और आस्तियों के रूप में धारित सब सोने के सिक्के और सब सोने की सिल्लियां रिज़र्व बैंक या उसके अभिकरणों की अभिरक्षा में धारण किए जाएंगे :

---

1 1946 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

2 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 2 द्वारा (1-11-1951 से) "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-11-1949 से) "स्टर्लिंग प्रतिभूतियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1957 के अधिनियम सं.48 की धारा 2 द्वारा (31-10-1957 से) प्रतिस्थापित।

5 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1991 के अधिनियम सं.8 की धारा 2 द्वारा (15-10-1990 से) "प्रति रुपया 0.118489, ग्राम शुद्ध सोने के हिसाब सें" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1968 के अधिनियम सं.58 की धारा 26 द्वारा (1-2-1969 से) "बाजार दर परं" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

परंतु रिज़र्व बैंक का जो सोना किसी अन्य बैंक में या किसी टकसाल या कोषागार में या अभिवहन में है उसकी गणना आस्तियों के भाग के रूप में की जा सकेगी।

[1][*(6)* जो विदेशी प्रतिभूतियां आस्तियों के भाग के रूप में धारण की जा सकती हैं, इस धारा के प्रयोजन के लिए वे -

(i) किसी ऐसे विदेश के, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य है, करेंसी में देय निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियां होंगी, अर्थात् -

(क) ऐसे बैंक के पास, जो उस विदेश का प्रधान करेंसी प्राधिकारी है, जमा अतिशेष और विदेशी करेंसी में कोई अन्य अतिशेष या प्रतिभूतियां, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगम या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम [2][या एशियाई विकास बैंक] या अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन बैंक या इस निमित्त [3][केंद्रीय सरकार द्वारा [अनुमोदित] किसी बैंककारी या वित्तीय संस्था] द्वारा रखी जाती हो या पुरोधृत की जाती हो, परंतु यह तब जब वे [5][दस वर्ष की कालावधि] के भीतर प्रतिदेय हों;

(ख) दो या दो से अधिक मान्य हस्ताक्षरों वाले और उस विदेश में किसी स्थान पर लिखे गए और देय नब्बे दिन से अनधिक परिपक्वता वाले विनिमयपत्र; और

(ग) [6][दस वर्षों के भीतर] परिपक्व होने वाली उस विदेश की सरकारी प्रतिभूतियां;

(ii) रकम निकालने का कोई अधिकार जिसका दायित्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि पर है।]

निर्गमन विभाग के दायित्व

34. (1) निर्गमन विभाग के दायित्व वह रकम होगी जो भारत सरकार के उन करेंसी नोटों और उन बैंक नोटों की रकम के बराबर है जो तत्समय परिचालन में है।

[7]* * * * *

[8]* * * * *

---

1 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 10 द्वारा उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 6 द्वारा (21-7-1978 से) अंतःस्थापित।

3 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 6 द्वारा (21-7-1978 से) प्रतिस्थापित।

4 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 4 द्वारा (15-2-1984 से) "अधिसूचित" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 6 द्वारा (21-7-1978 से) "पांच वर्षों की कालावधि" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 6 द्वारा (21-7-1978 से) "पांच वर्षों के भीतर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1963 के अधिनियम सं.55 की धारा 2 द्वारा (1-2-1964 से) उपधारा (2) का लोप किया गया।

8 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंतःस्थापित उपधारा (3) का 1947 के अधिनियम सं.11 की धारा 19 द्वारा (1-4-1947 से) लोप किया गया।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

35. [प्रारंभिक आस्तियां और दायित्व] - 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 तथा अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) निरसित।

36. [रुपए के सिक्के की आस्तियों के उतार-चढ़ाव के बारे में व्यौहार के ढंग]- 1963 के अधिनियम सं.55 की धारा 3 द्वारा (1-2-1964 से) निरसित।

विदेशी प्रतिभूति विषयक आस्तियों संबंधी अपेक्षाओं का निलंबन

[1][**37.** पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी रिज़र्व बैंक धारा 33 की उपधारा (2) से अपेक्षित मूल्य से कम रकम की विदेशी प्रतिभूतियां केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रथमतः छह मास से अधिक की कालावधि के लिए, जो कालावधि वैसे ही मंजूरी से समय-समय पर एक बार में तीन मास से अनधिक की कालावधि तक बढ़ाई जा सकेगी, आस्तियों के रूप में धारण कर सकेगा।

[2]* * * * *

रुपए के सिक्के की बाबत सरकार और रिज़र्व बैंक की बाध्यताएं

38. [3][केंद्रीय सरकार] रिज़र्व बैंक के माध्यम द्वारा ही [4]* * * कोई रुपया परिचालित करने के सिवाय परिचालित [5]* * * न करने के लिए वचनबद्ध होगी और रिज़र्व बैंक इसके लिए वचनबद्ध होगा कि रुपए का सिक्का वह परिचालन के प्रयोजनों के लिए व्ययनित करने के सिवाय अन्यथा व्ययनित न करेगा [4]* * *।

विभिन्न प्रकार की करेंसी देने की बाध्यता
1906 का 3

39. (1) रिज़र्व बैंक मांग किए जाने पर बैंक-नोटों और भारत सरकार के करेंसी नोटों के विनिमय में रुपए के सिक्के देगा और जो सिक्का भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन वैध निविदा है उसके विनिमय में मांग किए जाने पर करेंसी नोट या बैंक-नोट देगा।

1906 का 3

(2) रिज़र्व बैंक [6][दो] रुपए या उससे ऊपर के करेंसी नोटों या बैंक-नोटों के विनिमय में कम मूल्य के बैंक-नोट या करेंसी नोट या ऐसे अन्य सिक्के, जो भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन वैध निविदा है, इतनी मात्रा में देगा जितनी रिज़र्व बैंक की राय में परिचालन के लिए आवश्यक है, और [7][केंद्रीय सरकार] रिज़र्व बैंक को ऐसे सिक्के उसके लिए मांग होने पर देगी। यदि [7][केंद्रीय सरकार] किसी समय ऐसे सिक्के देने में असफल रहती है तो रिज़र्व बैंक जनता को उन्हें देने की अपनी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा।

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

[8][**40.** रिज़र्व बैंक किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को या से, जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास के उसके कार्यालय में [9][या उसकी ऐसी शाखाओं में, जैसी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे,] इसकी बाबत मांग करता है, विनिमय की

---

1 1956 के अधिनियम सं.38 की धारा 4 द्वारा (6-10-1956 से) धारा 37 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2 1957 के अधिनियम सं.48 की धारा 3 द्वारा (31-10-1957 से) परंतुक का लोप किया गया।
3 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4 1963 के अधिनियम सं.55 की धारा 4 द्वारा (1-2-1964 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।
5 1940 के अध्यादेश सं.4 की धारा 3 द्वारा "और जैसा उस धारा में उपबंधित है" शब्दों का लोप किया गया।
6 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) "पांच" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा "संपरिषद गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8 1947 के अधिनियम सं.23 की धारा 4 द्वारा धारा 40 और 41 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार जहां तक विनिमय दरों का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की अपनी बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें, विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय करेगा:

परंतु कोई व्यक्ति दो लाख रुपए से कम मूल्य की विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्री करने की मांग करने का हकदार नहीं होगा।

1973 का 46

स्पष्टीकरण - इस धारा में "प्राधिकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो [1][विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973] द्वारा या अधीन, यथास्थिति, ऐसी विदेशी मुद्रा, जिससे उसकी मांग सम्बद्ध है, क्रय या विक्रय करने का हकदार है।]

41. (स्टर्लिंग खरीदने की बाध्यता) 1947 के अधिनियम संख्यांक 23 की धारा 4 द्वारा (18-4-1947 से) निरसित।

[2]**41क.** [भारत] और बर्मा के बीच प्रेषण संबंधी उपबंध की बाध्यता।] - 1947 के अधिनियम संख्यांक 11 की धारा 22 द्वारा (1-4-1947 से) निरसित।

अनुसूचित बैंकों की नकद आरक्षितियों का रिज़र्व बैंक में रखा जाना

42.[3][(1) द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हर बैंक, रिज़र्व बैंक में एक औसत दैनिक अतिशेष रखेगा जिसकी रकम उस बैंक के, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणी में यथादर्शित, भारत में [4][मांग और कालिक दायित्वों के योग के तीन प्रतिशत] से कम नहीं होगी :

[5][परंतु रिज़र्व बैंक उक्त दर को ऐसी उच्च दर तक, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकेगा, किंतु इस प्रकार कि वह दर मांग और कालिक दायित्वों के योग के [6][बीस प्रतिशत] से अधिक न होगी]

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "औसत दैनिक अतिशेष" से उन अतिशेषों का औसत अभिप्रेत है जो [7][पक्ष के] प्रत्येक दिन कामकाज बंद होने पर धारित है;

[8](ख) "पक्ष" से शनिवार से आगामी द्वितीय शुक्रवार तक की कालावधि, जिसके अंतर्गत ये दोनों दिन हैं, अभिप्रेत है;]

[9][(ग) "दायित्वों" के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है :-]

---

1 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 5 द्वारा (15-2-1984 से) "विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा अंत:स्थापित।

3 1956 के अधिनियम सं.38 की धारा 5 द्वारा (6-10-1956 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 4 द्वारा परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1991 के अधिनियम सं.9 की धारा 2 द्वारा "पंद्रह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) "सप्ताह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

9 1965 के अधिनियम सं.23 की धारा 6 द्वारा (1-3-1966 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(i) बैंक की समादत्त पूंजी या आरक्षितियां अथवा लाभहानि खाते में कोई नकदी अतिशेष;

1987 का 53 *(ii)* रिज़र्व बैंक से अथवा विकास बैंक से [1][अथवा निआ बैंक से] [2][अथवा पुनर्निर्माण बैंक से] [3][अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक से] अथवा [4][राष्ट्रीय बैंक] [5]* * * [6] अथवा लघु उद्योग बैंक से ली गई उधार की कोई रकम; तथा

1962 का 26 *(iii)* राज्य सहकारी बैंक की दशा में, ऐसे बैंक द्वारा राज्य सरकार से [7][या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से] लिया गया कोई उधार भी, तथा आरक्षित निधि के रूप में धन का ऐसे बैंक में निक्षेप अथवा उसका कोई भाग [5]* * * जो उस बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थित किसी सोसायटी द्वारा उस बैंक में रखा गया है;

[8]*(iv)* किसी ऐसे राज्य सहकारी बैंक की दशा में, जिसने अपने पास रखे गए किसी अतिशेष के आधार पर कोई अग्रिम दिया है, उतना अतिशेष जितना ऐसी अग्रिम रकम की बाबत बकाया हो;]

[7][*(v)* किसी प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की दशा में, ऐसे बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक से लिया गया कोई उधार भी।]

[8][*(घ)* निम्नलिखित बैंकों और संस्थाओं के प्रति किसी ऐसे अनुसूचित बैंक के, जो राज्य सहकारी बैंक नहीं है कुल "दायित्वों" में से उस अनुसूचित बैंक के प्रति ऐसे सभी बैंकों और संस्थाओं के कुल दायित्वों को घटा दिया जाएगा, अर्थात् :-

(i) स्टेट बैंक;

1959 का 38 *(ii)* भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक;

1970 का 5 *(iii)* बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 द्वारा गठित तत्स्थानी नया बैंक;

1980 का 40 [7]*(iiiक)* बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980) की धारा 3 द्वारा गठित तत्स्थानी नया बैंक;]

---

1 1981 के अधिनियम सं.28 की धारा 40 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1982 से) अंतःस्थापित।
2 1984 के अधिनियम सं.62 की धारा 71 और अनुसूची 3 द्वारा (20-3-1985 से) अंतःस्थापित।
3 1987 के अधिनियम सं.53 की धारा 56 और II अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अंतःस्थापित।
4 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) "कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 11 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
6 1989 के अधिनियम सं.39 द्वारा अंतःस्थापित।
7 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) अंतःस्थापित।
8 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

1949 का 10

(iv) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी;

(v) सहकारी बैंक; या

(vi) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था;

(ङ) निम्नलिखित बैंकों और संस्थाओं के प्रति किसी ऐसे अनुसूचित बैंक के, जो राज्य सहकारी बैंक है, कुल "दायित्वों" में से राज्य सहकारी बैंक के प्रति ऐसे सभी बैंकों और संस्थाओं के कुल दायित्वों को घटा दिया जाएगा, अर्थात् :-

(i) स्टेट बैंक;

1959 का 38

(ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक;

1970 का 5

(iii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 द्वारा गठित तत्स्थानी नया बैंक;

1980 का 40

[1][(iiiक) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 द्वारा गठित तत्स्थानी नया बैंक;]

1949 का 10

(iv) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी;

(v) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था।]

(1क) उपधारा (i) में किसी बात के होते हुए भी रिज़र्व बैंक भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, उपधारा (1) के द्वारा या अधीन विहित अतिशेष के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के पास ऐसा अतिरिक्त औसत दैनिक अतिशेष रखेगा जिसकी रकम [2][अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी, ऐसा अतिरिक्त अतिशेष उस आधिक्य के प्रति निर्देश से संगणित किया जाएगा जो बैंक के उन मांग और कालिक दायित्वों का,] जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणी में दर्शित है, ऐसी विवरणी में दर्शित उस मांग और कालिक दायित्व से है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को काम-काज बंद होने के समय था किंतु इस प्रकार की अतिरिक्त अतिशेष किसी भी दशा में ऐसे आधिक्य से अधिक न होगा;

---

[1] 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) अंतःस्थापित।

[2] 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

[1][परंतु रिज़र्व बैंक, भारत के राजपत्र में किसी पृथक् अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची में तत्पश्चात् सम्मिलित किए गए किसी बैंक की बाबत भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।]

[2][(1कक) उपधारा (1) या उपधारा (1क) में किसी बात के होते हुए भी किसी अनुसूचित बैंक के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणी में दर्शित हुए अपने मांग और कालिक दायित्वों के योग के [3][बीस प्रतिशत] से अधिक कोई अतिशेष रिज़र्व बैंक में बनाए रखें।]

(1ख) जहां कोई अनुसूचित बैंक उपधारा (1) के परंतुक के अधीन या उपधारा (1क) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में रिज़र्व बैंक में कोई ऐसा अतिशेष रखता है जिसकी रकम उस रकम से कम नहीं है, जिसका रखना ऐसी अधिसूचना से अपेक्षित है, वहां रिज़र्व बैंक, अनुसूचित बैंक का उस रकम पर जिससे वास्तव में रखा गया ऐसा अतिशेष उस अतिशेष से अधिक हो जो अनुसूचित बैंक को उस दशा में रखना पड़ता जब ऐसी कोई अधिसूचना निकाली न गई होती, ऐसी दर या दरों पर ब्याज दे सकेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं:

परंतु वास्तव में रखी गई उतनी रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा जितनी उस अतिशेष से अधिक हो जिसका रखा जाना उप धारा (1) के द्वारा या अधीन या उपधारा (1क) के अधीन अपेक्षित है:

[2][परंतु यह और कि जहां रिज़र्व बैंक उपधारा (3) द्वारा अधिरोपित शास्ति के चुका दिए जाने की मांग उपधारा (5) के अधीन नहीं करता है वहां वह उस रकम पर, जो अनुसूचित बैंक द्वारा उसके पास वास्तव में रखी जाती है, ऐसी दर या दरों पर ब्याज जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि ऐसी रकम उस अतिशेष से कम है जो उपधारा (1) के परंतुक अथवा उपधारा (1क) के अधीन निकाली गयी अधिसूचना के अनुसरण में रखी जाने के लिए अपेक्षित है।]

[4][(1ग) रिज़र्व बैंक, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी संव्यवहार या किसी वर्ग के संव्यवहारों के बारे में समय-समय पर यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों को भारत में किसी अनुसूचित बैंक का दायित्व माना जाएगा और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी संव्यवहार या किसी वर्ग के संव्यवहारों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत में किसी अनुसूचित बैंक का दायित्व माना जाए तो उस पर रिज़र्व बैंक का विनिश्चय अंतिम होगा।]

---

1 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) अंत:स्थापित।

2 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित।

3 1991 के अधिनियम सं.9 की धारा 2 द्वारा "पंद्रह प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) अंत:स्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

[1][*(2)* प्रत्येक अनुसूचित बैंक -

(क) मांग और कालिक दायित्वों की रकम और भारत में बैंकों से लिए गए अपने उधार की रकम को [2][मांग और कालिक दायित्वों में वर्गीकृत करते हुए];

[3]* * * * *

(ख) अपने द्वारा भारत में धारित उन नोटों और सिक्कों की जो वैध निविदा है कुल रकम;

(ग) अपने द्वारा भारत में रिज़र्व बैंक में धारित अतिशेष;

(घ) अपने द्वारा अन्य बैंकों में चालू खाते में धारित अतिशेष और भारत में मांग पर और अल्पसूचना पर प्रतिदेय धन;

(ङ) केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बही मूल्य के अनुसार विनिधान जिनमें खजाना बिल और खजाना निक्षेप रसीदें सम्मिलित होंगी;

(च) भारत में अग्रिमों की रकम;

(छ) भारत में क्रय और मितीकाटा लेकर भुगतान किए गए अंतर्देशीय पत्र और [4][क्रय और मितीकाटा लेकर भुगतान किए गए विदेश विनिमयपत्र],

दर्शित करने वाली ऐसी विवरणी, जो ऐसे बैंक के दो उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी, [5][प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को काम-काज बंद होने पर रिज़र्व बैंक के पास भेजेगा और ऐसी प्रत्येक विवरणी उस तारीख से पांच दिन के भीतर भेजी जाएगी जिससे वह सम्बद्ध है]ः

[6][परंतु बैंक पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट की, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हटा सकेगा या उसमें उपांतर कर सकेगा या उसमें कुछ जोड़ सकेगाः

1881 का 26 परंतु यह और कि] जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन शुक्रवार [7][ऐसा दूसरा शुक्रवार] किसी अनुसूचित बैंक के एक या एक से अधिक कार्यालयों के लिए लोक अवकाश दिन है वहां विवरणी में ऐसे कार्यालय या कार्यालयों की बाबत पूर्ववर्ती काम वाले दिन के अंक दिए जाएंगे किंतु ऐसा होने पर भी यह उस शुक्रवार से सम्बद्ध समझी जाएगीः

[8][परंतु यह और भी कि जहां रिज़र्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि किसी अनुसूचित बैंक की दशा में ऐसे बैंक या उसकी शाखाओं की भौगोलिक स्थिति के कारण इस उपधारा के अधीन पाक्षिक विवरणी देना असाध्य है वहां रिज़र्व बैंक ऐसे बैंक को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह बैंक, -

---

1 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 16 द्वारा (1-11-1951 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 11 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 11 द्वारा खंड (कक) का लोप किया गया।
4 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।
5 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 11 द्वारा "परन्तु यह कि" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) अंतःस्थापित।
8 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) तीसरे परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

(i) उपरोक्त कालावधि के भीतर उस पक्ष की अनंतिम विवरणी दें, जिसके बाद उस तारीख से जिससे वह संबद्ध है, बीस दिन के भीतर एक अंतिम विवरणी दी जाएगी, या

(ii) पाक्षिक विवरणी के बदले मासिक विवरणी दे, जो उस मास के, जिससे वह संबद्ध है, समाप्त होने के पश्चात् बीस दिन के भीतर और मास के लिए काम-काज बंद होने के समय तक ऐसे बैंक के बारे में ऐसे ब्योरे देकर भेजी जाएगी, जो इस उपधारा में विनिर्दिष्ट है।]

1881 का 26

[1][*(2क)* जहां किसी मास का अंतिम शुक्रवार उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए दूसरा शुक्रवार नहीं है वहां प्रत्येक अनुसूचित बैंक ऐसे अंतिम शुक्रवार को कामकाज के बंद के समय तक या जहां ऐसा अंतिम शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन लोक अवकाश दिन है वहां पूर्ववर्ती काम वाले दिन कामकाज के बंद होने के समय तक उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्योरे देते हुए विशेष विवरणी रिज़र्व बैंक को भेजेगा और ऐसी विवरणी उस तारीख के पश्चात् जिससे वह संबद्ध है, सात दिन के भीतर भेजी जाएगी।]

[2][*(3)* यदि किसी अनुसूचित बैंक द्वारा किसी [3][पक्ष] में रिज़र्व बैंक में धारित औसत दैनिक अतिशेष उपधारा *(1)* या उपधारा *(1क)* के द्वारा या अधीन विहित न्यूनतम से कम है तो ऐसा अनुसूचित बैंक उस [3][पक्ष] की बाबत रिज़र्व बैंक को, उस रकम पर, जिससे रिज़र्व बैंक के पास जमा ऐसा अतिशेष विहित न्यूनतम से कम है, बैंक दर से तीन प्रतिशत अधिक दर पर, दांडिक ब्याज चुकाने के दायित्वाधीन होगा और यदि आगामी [3][पक्ष] में भी ऐसा औसत दैनिक अतिशेष विहित न्यूनतम से कम रहता है तो उस रकम पर जिससे रिज़र्व बैंक में जमा ऐसा अतिशेष विहित न्यूनतम से कम है, दांडिक ब्याज की दरें बढ़ाकर उस [3][पक्ष] की और प्रत्येक पश्चातवर्ती [3][पक्ष] की, जिसके दौरान में व्यतिक्रम होता रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक कर दी जाएंगी।]

[4][*(3क)* किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उपधारा *(3)* के उपबंधों के अधीन बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक बढ़ी हुई दर के अनुसार दांडिक ब्याज देय हो गया है [5][और तत्पश्चात् यदि आगामी [3][पक्ष] के दौरान भी रिज़र्व बैंक में धारित औसत दैनिक अतिशेष विहिता-न्यूनतम से कम है, तो -

(क) अनुसूचित बैंक का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव जो जानते हुए और जानबूझकर व्यतिक्रम का पक्षकार है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो उसके पश्चात्वर्ती प्रत्येक 3[पक्ष] के लिए, जिसमें व्यतिक्रम बना रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; और

---

1 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) अंतःस्थापित।

2 1956 के अधिनियम सं.38 की धारा 5 द्वारा (6-10-1956 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) "सप्ताह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1940 के अधिनियम सं.38 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

5 1956 के अधिनियम सं.38 की धारा 5 द्वारा (6-10-1956 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) रिज़र्व बैंक उस अनुसूचित बैंक को उक्त [1][पक्ष] के पश्चात् कोई नया निक्षेप प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा;]

और यदि खंड *(ख)* में निर्दिष्ट प्रतिषेध का अनुपालन करने में उस अनुसूचित बैंक द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो उस अनुसूचित बैंक का प्रत्येक निदेशक और अधिकारी, जो जानते हुए और जान बूझकर ऐसे व्यतिक्रम का पक्षकार है या जो उपेक्षा से या अन्यथा ऐसे व्यतिक्रम में सहायता देता हैं, ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम की बाबत जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिषेध के उल्लंघन में प्राप्त निक्षेप अनुसूचित बैंक द्वारा प्रतिधारित किया जाता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय हो।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में "अधिकारी" के अंतर्गत [2]* * * प्रबंधक, सचिव, शाखा प्रबंधक और शाखा सचिव है।]

(4) उपधारा *(2)* के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहने वाला प्रत्येक अनुसूचित बैंक ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें असफलता बनी रहती है, [3][रिज़र्व बैंक को] एक सौ रुपए की शास्ति देने के [3][दायित्वाधीन होगा।]

[4][*(5) (क)* उपधारा *(3)* और *(4)* द्वारा अधिरोपित शास्तियां उस तारीख से चौदह दिन की कालावधि के अंदर देय होंगी जिसको रिज़र्व बैंक द्वारा निकाली गई उनके चुकाए जाने की मांग करने वाली सूचना की तामील अनुसूचित बैंक पर हुई है तथा अनुसूचित बैंक द्वारा ऐसी कालावधि के अंदर उसके न दिए जाने पर उस क्षेत्र में, जहां व्यतिक्रम करने वाले बैंक का कोई कार्यालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के निदेश से उद्गृहीत की जा सकेगी; ऐसा न्यायालय यह निदेश रिज़र्व बैंक द्वारा तन्निमित्त किए गए आवेदन पर ही देगा;

(ख) जब न्यायालय खण्ड *(क)* के अधीन कोई निदेश देता है तो वह अनुसूचित बैंक द्वारा देय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा और ऐसा हर प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा मानो वह न्यायालय द्वारा किसी वाद में की गई डिक्री हो;

(ग) यदि रिज़र्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा *(1), (1क)* या *(2)* के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए व्यतिक्रमी बैंक के पास पर्याप्त हेतुक था तो इस धारा में किसी बात के होते हुए भी वह, यथास्थिति शास्तिक ब्याज या शास्ति के लिए मांग नहीं करेगा।

[5][*(6)* एतत्पश्चात् यथा उपबंधित को छोड़कर रिज़र्व बैंक भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -

(क) किसी ऐसे बैंक का द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किए जाने का निदेश करेगा जो पहले से उसमें सम्मिलित नहीं है और जो 3[भारत में] बैंककारी का कारबार करता है, और -

---

1 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 6 द्वारा (29-3-1985 से) "सप्ताह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 16 द्वारा (1-11-1951 से) "प्रबंध अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया।

3 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 16 द्वारा (1-11-1951 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 4 द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1949 के अधिनियम सं.10 की धारा 55 और अनुसूची 1 द्वारा (16-3-1949 से) उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 16 द्वारा (1-11-1951 से) "भारत के किसी राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(i) जिसके पास पांच लाख रुपए से अन्यून के संकलित मूल्य की समादत्त पूंजी और आरक्षित निधियां हैं, और

(ii) जो रिज़र्व बैंक का यह समाधान करा देता है कि उस बैंक के कार्यों का संचालन ऐसी रीति से नहीं किया जा रहा है जो उसमें रखने वालों क हितों के प्रतिकूल है, और

1956 का 1

(iii) [1][जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित [2][कंपनी, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सरकार द्वारा तन्निमित्त अधिसूचित संस्था] या [3][भारत के बाहर] किसी स्थान में प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन कोई निगम या निगमित कंपनी है;

(ख) किसी ऐसे अनुसूचित बैंक को उस अनुसूची से निकाले जाने का निदेश करेगा -

(i) जिसकी समादत्त पूंजी और आरक्षित निधियों का संकलित मूल्य किसी समय पांच लाख रुपए से कम हो जाता है, या

1949 का 10

(ii) जिसकी बाबत रिज़र्व बैंक की राय [4](बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949) की धारा 35 के अधीन निरीक्षण करने के पश्चात् यह है कि वह अपने कारबार का संचालन उसमें निक्षेप रखने वालों के हितों के लिए प्रतिकूल रीति में कर रहा है, या

(iii) जिसका परिसमापन हो जाता है या जो अन्यथा बैंककारी कारबार चलाना बंद कर देता है;

परंतु रिज़र्व बैंक सम्बन्ध अनुसूचित बैंक के आवेदन पर और ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हों, जो वह अधिरोपित करे, इतनी कालावधि के लिए, जितनी रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक को यथास्थिति अपनी समादत्त पूंजी और आरक्षित निधियों का संकलित मूल्य पांच लाख रुपए से अन्यून तक बढ़ाने या अपने कारबार के संचालन की त्रुटियों को दूर करने का अवसर देने के लिए युक्तियुक्त समझता हो, खंड (ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन किसी निदेश का देना आस्थगित कर सकेगा;

(ग) अनुसूचित बैंक का अनुसूची में वर्णन जब कभी वह बैंक अपना नाम बदलता है तब बदल देगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में "मूल्य" शब्द से वास्तविक या विनिमय मूल्य, न कि वह नामीय मूल्य जो संपृक्त बैंक की बहियों में दर्शित किया गया है अभिप्रेत है और यदि किसी बैंक की समादत्त पूंजी या आरक्षित निधियों का संकलित मूल्य संगणित करने के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उसका अवधारण अंतिम होगा।]

---

[1] 1965 के अधिनियम सं.23 की धारा 6 द्वारा (1-3-1966 से) "कंपनी है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1957 के अधिनियम सं.19 की धारा 4 द्वारा "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 2 का खंड (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 16 द्वारा (1-11-1951 से) "भारत के राज्यों के बाहर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य)

[1][(6क) इस बात पर विचार करते समय कि राज्य सहकारी बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए या उसमें से निकाला जाए, बैंक, इस प्रश्न पर राष्ट्रीय बैंक के प्रमाणपत्र पर कार्य करने के लिए सक्षम होगा कि यथास्थिति, राज्य सहकारी बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक समादत्त पूंजी या आरक्षित निधियों के बारे में अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं या क्या उनके कार्यों का संचालन ऐसी रीति से नहीं किया जा रहा है जो उनमें निक्षेपकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।]

[2][(7) रिज़र्व बैंक किसी अनुसूचित बैंक को उसके सब कार्यालयों या किसी कार्यालय की बाबत या उसकी आस्तियों और दायित्वों में से सब या उसके किसी भाग की बाबत इस धारा के उपबंधों से ऐसी छूट जो वह ठीक समझे, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की गई हों, दे सकेगा।]

रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित विवरण का प्रकाशन

[3][**43.** रिज़र्व बैंक प्रति [4][पक्ष] एक समेकित विवरण प्रकाशित कराएगा जिसमें सभी अनुसूचित बैंकों के कुल दायित्वों और आस्तियों को एक साथ दिखाया जाएगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राप्त विवरणियों और जानकारी पर आधारित होगा।]

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

[5][**43क.** *(1)* रिज़र्व बैंक या उसके अधिकारियों में से किसी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं की जाएगी जो धारा 42 या धारा 43 के अनुसरण में [6][या अध्याय 3क के उपबंधों के अनुसरण में] सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है।]

(2) रिज़र्व बैंक या उसके अधिकारियों में से किसी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे नुकसान के लिए नहीं की जाएगी जो किसी ऐसी बात से हुआ है या जिसका किसी ऐसी बात से होना संभाव्य है जो धारा 42 या धारा 43 के अनुसरण में [6][या अध्याय 3क के उपबंधों के अनुसरण में] सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है।]

44. [सहकारी बैंकों से विवरणियों की अपेक्षा करने की शक्ति।] बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू) अधिनियम 1965 (1965 का 23) की धारा 7 द्वारा (1-3-1966 से) निरसित।

अभिकर्ताओं की नियुक्ति

[7]45. *(1)* जब तक किसी स्थान के प्रति निर्देश से केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए बैंक लोक हित में, बैंककारी सुविधाओं, बैंककारी विकास और ऐसे अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो उसकी राय में इस बारे में सुसंगत है राष्ट्रीय बैंक या स्टेट बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी किसी नए बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3

1970 का 5

---

1 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) अंतःस्थापित।

2 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 16 द्वारा (1-11-1951 से) अंतःस्थापित।

3 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 12 धारा 43 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 7 द्वारा (29-3-1985 से) "सप्ताह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

6 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

7 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12-7-1982 से) धारा 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3 - केंद्रीय बैंककारी कृत्य

अध्याय 3क - प्रत्यय विषयक जानकारी का संग्रहण और दिया जाना)

1980 का 40
1959 का 38

के अधीन गठित तत्स्थानी किसी नए बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक को अपने अभिकर्ता के रूप में भारत में सभी स्थानों पर या किसी स्थान पर, ऐसे प्रयोजनों के लिए जो बैंक विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति कर सकेगा।

(2) जहां किसी विधि या नियम, विनियम या विधि का बल रखने वाली किसी अन्य लिखत के अधीन बैंक में संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित कोई संदाय या बैंक में परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित कोई बिल या हुंडी या अन्य प्रतिभूति को बैंक की ओर से प्राप्त करने के लिए बैंक ने किसी बैंक को उपधारा (1) अधीन अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है वहां उसका संदाय या परिदान बैंक के अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार नियुक्त बैंक में किया जा सकेगा।]

[1][अध्याय 3क
प्रत्यय विषयक जानकारी का संग्रहण और दिया जाना

परिभाषाएं

45क. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

1949 का 10

(क) "बैंककारी कंपनी" से [2][बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949] की धारा 5 में यथा परिभाषित बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत [3][भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 द्वारा गठित कोई तत्समान नया बैंक और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था भी है;]

1959 का 38
1970 का 5

(ख) "उधार लेने वाले" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्रत्यय की ऐसी कोई सीमा किसी बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर की गई है, भले ही उसका प्रयोग किया गया हो या न किया गया हो और उसे अंतर्गत निम्नलिखित है:-

(i) कंपनी अथवा निगम की दशा में उसकी समनुषंगी;

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में उसका कोई सदस्य अथवा कोई फर्म जिसमें ऐसा सदस्य भागीदार है;

(iii) फर्म की दशा में उसका कोई भागीदार अथवा कोई अन्य फर्म जिसमें ऐसा भागीदार एक भागीदार है; और

(iv) व्यष्टि की दशा में ऐसी काई फर्म जिसमें ऐसा व्यष्टि भागीदार है;

(ग) "प्रत्यय विषयक जानकारी" से ऐसी कोई जानकारी अभिप्रेत है जो -

(i) ऐसे उधारों या अग्रिमों तथा अन्य प्रत्यय सुविधाओं के स्वरूप की है जो बैंककारी कम्पनी द्वारा किसी उधार लेने वाले या उधार लेने वालों के वर्ग को दी गई है;

---

1 1962 के अधिनियम सं.35 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित।

2 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 3 द्वारा "बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 13 द्वारा कुछ शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया।

(अध्याय 3क - प्रत्यय विषयक जानकारी का संग्रहण और दिया जाना)

(ii) किसी उधार लेनेवाले [1][या उधार लेने वालों के वर्ग] से उन उधार सुविधाओं के लिए, [2][जो उसे या उस वर्ग को दी गई है] ली गई प्रतिभूति के स्वरूप से सम्बद्ध है;

(iii) उस प्रत्याभूति के सम्बन्ध में है जो बैंककारी कम्पनी ने अपने व्यवहारियों में से किसी के लिए या अपने व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए दी है;

[1][*(iv)* किसी उधार लेने वाले या उधार लेने वालों के किसी वर्ग के साधनों, पूर्ववृत्त, वित्तीय संव्यवहारों के इतिहास और उसकी साख के सम्बन्ध में है;

(v) किसी ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में है, जिसे रिज़र्व बैंक उधार या उधार नीति को और अधिक व्यवस्थित ढंग से विनियमित करने के लिए सुसंगत समझे।]

प्रत्यय विषयक जानकारी संगृहीत करने की रिज़र्व बैंक की शक्ति

45ख. रिज़र्व बैंक -

(क) बैंककारी कम्पनियों से प्रत्यय विषयक जानकारी, ऐसी रीति से संगृहीत कर सकेगा जो वह ठीक समझे; और

(ख) धारा 45घ के उपबंधों के अनुसार किसी बैंककारी कंपनी को ऐसी जानकारी दे सकेगा।

प्रत्यय विषयक जानकारी संगृहीत करने वाली विवरणियां मांगने की शक्ति

45ग. *(1)* रिज़र्व बैंक, अपने को इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समर्थ करने के प्रयोजन से किसी समय किसी बैंककारी कंपनी को यह निदेश दे सकेगा कि वह कंपनी प्रत्यय विषयक जानकारी से संबंधित ऐसे कथन ऐसे रूप में और इतने समय के अंदर जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, रिज़र्व बैंक के सामने रखे।

(2) बैंककारी कंपनी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में अथवा उसके गठन का विनियमन करने वाली किसी लिखत में अथवा उसके द्वारा निष्पादित किसी करार में तत्प्रतिकूल ऐसी किसी बात के होते हुए भी, जो अपने व्यवहारियों से होने वाले अपने व्यवहारों की गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित है, ऐसे किसी आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी जो उपधारा (1) के अधीन निकाला गया हो।

प्रत्यय विषयक जानकारी बैंक-कारी कंपनी को देने की प्रक्रिया

45घ. *(1)* बैंककारी कंपनी ऐसे किसी वित्तीय ठहराव के संबंध में, जो किसी व्यक्ति के साथ उसके द्वारा किया गया है या किए जाने के लिए प्रस्थापित है, रिज़र्व बैंक से ऐस प्ररूप में जैसा रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट करे उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगी कि आवेदक को ऐसी प्रत्यय विषयक जानकारी दी जाए जैसी आवेदन में विनिर्दिष्ट की गई हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर रिज़र्व बैंक यथाशक्य शीघ्र उन विषयों से जो आवेदन में विनिर्दिष्ट है संबंधित ऐसी प्रत्यय विषयक जानकारी जो उसके पास हो आवेदक को देगाः

परंतु ऐसे दी गई जानकारी में उन बैंककारी कंपनियों के नाम प्रकट न किए जाएंगे जिन्होंने रिज़र्व बैंक को ऐसी जानकारी दी है।

---

[1] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 13 द्वारा कुछ शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया।

(अध्याय 3क - प्रत्यय विषयक जानकारी का संग्रहण और दिया जाना)

(3) रिज़र्व बैंक हर आवेदन के विषय में पच्चीस रुपए से अनधिक ऐसी फीस उद्गृहीत कर सकेगा जो वह प्रत्यय विषयक जानकारी दिए जाने के लिए ठीक समझे

जानकारी के प्रकटन का प्रतिषेध

45ङ *(1)* ऐसे किसी कथन में जो बैंककारी कंपनी द्वारा धारा 45ग के अधीन दिया गया है, अंतर्विष्ट अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा किसी बैंककारी कंपनी को धारा 45घ के अधीन दी गई प्रत्यय विषयक जानकारी गोपनीय स्वरूप की मानी जाएगी, तथा इस अध्याय के प्रयोजनों के सिवाय न तो प्रकाशित की जाएगी और न अन्यथा प्रकट की जाएगी।

(2) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू न होगी -

(क) धारा 45ग के अधीन रिज़र्व बैंक को दी गई किसी जानकारी का किसी बैंककारी कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा से प्रकटन;

(ख) ऐसी किसी जानकारी का, जो धारा 45ग के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा संगृहीत की गई है, रिज़र्व बैंक द्वारा उस दशा में, जिसमें कि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, ऐसे समेकित प्ररूप में, जैसा यह ठीक समझे, किसी बैंककारी कंपनी का नाम या उधार लेने वालों का नाम प्रकट किए बिना प्रकाशन;

[1][(ग) बैंककारों के बीच प्रचलित रूढ़िक पद्धति और प्रथा के अनुसार अथवा किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञात या अपेक्षित रूप में, किसी बैंककारी कंपनी या रिज़र्व बैंक द्वारा किसी अन्य बैंककारी कंपनी को कोई उधार विषयक जानकारी का प्रकटन या प्रकाशनः

परंतु इस खंड के अधीन बैंककारी कंपनी द्वारा प्राप्त उधार विषयक किसी जानकारी को बैंककारों में प्रचलित रूढ़िक पद्धति और प्रथा के अनुसार अथवा किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञात या अपेक्षित रूप में प्रकाशित किए जाने के सिवाय प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी न तो रिज़र्व बैंक को और न किसी बैंककारी कंपनी को ऐसे किसी कथन को पेश करने या उसका निरीक्षण करने के हेतु देने के लिए मजबूर करेगा जो उस बैंककारी कंपनी द्वारा धारा 45ग के अधीन दिया गया है और न अन्य ऐसी किसी प्रत्यय विषयक जानकारी को प्रकट करने के लिए मजबूर करेगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा उस बैंककारी कंपनी को धारा 45घ के अधीन दी गई है।

प्रतिकर के कुछ दावों का वर्जित होना

45 च. किसी व्यक्ति को इस अध्याय के उपबंधों में से किसी के प्रवर्तन के कारण हुई किसी हानि के लिए प्रतिकर पाने का कोई भी अधिकार न तो संविदा से, और न अन्यथा प्राप्त होगा।

---

[1] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

(अध्याय 3क - प्रत्यय विषयक जानकारी का संग्रहण और दिया जाना
अध्याय 3ख - निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर-बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)

45छ. [शक्तियां] भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 51) की धारा 15 द्वारा निरसित।

[1][(अध्याय 3ख)]

निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर-बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध

अध्याय 3ख का कतिपय दशाओं में लागू न होना
1949 का 10
1959 का 38

45ज. इस अध्याय के उपबंध स्टेट बैंक को अथवा [2][बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी को अथवा [3][उस अधिनियम की धारा 5 के खंड(घक) में यथा परिभाषित तत्स्थानी नए बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक को] अथवा [4][प्रादेशिक ग्रामीण बैंक] या सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषिक प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी को लागू न होंगे:

परंतु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि [5][तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड] बैंककारी कंपनी नहीं है।

परिभाषाएं

45 झ. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

[6][(क) "किसी गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था" से खंड (ग) में निर्दिष्ट वित्तीय संस्था का कार्य कर रही अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत खंड (च) में निर्दिष्ट गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का कारबार है;]

1956 का 1

[7][(कक)] "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और उस अधिनियम की धारा 591 के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनी उसके अंतर्गत है;

(ख) "निगम" से वह निगम अभिप्रेत है जो किसी विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किया गया है;

[8][(खख)] "निक्षेप" के अंतर्गत निक्षेप या उधार के रूप में या किसी अन्य रूप में धन की कोई प्राप्ति है और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वह सदैव से है किन्तु उसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है-

(i) शेयर पूंजी के रूप में एकत्रित रकमें;

(ii) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में अभिदत्त रकमें;

1949 का 10

(iii) किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड(ग) में यथापरिभाषित किसी अन्य बैंककारी कंपनी से प्राप्त रकमें;

---

1 1963 के अधिनियम सं.55 की धारा 5 द्वारा (1-2-1964 से) अंत:स्थापित।
2 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 3 द्वारा "बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 8 द्वारा (15-2-1984 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4 1976 के अधिनियम सं.21 की धारा 33 द्वारा (16-9-1975 से) "सहकारी बैंक" के शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया।
5 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 16 द्वारा "मद्रास इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा (9-1-1997 से) अंत:स्थापित।
7 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा (9-1-1997 से) खंड (क) को पुर्नसंख्यांकित किया गया।
8 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 8 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (खख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय 3ख - निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)

(iv) निम्नलिखित से प्राप्त कोई रकम, -

(क) विकास बैंक,

(ख) राज्य वित्तीय निगम,

1964 का 18 *(ग)* भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 की धारा 6क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था, या

(घ) ऐसी अन्य संस्था जो बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए;

(v) कामकाज के मामूली अनुक्रम में निम्नलिखित रूप में प्राप्त रकमें,-

(क) प्रतिभूति निक्षेप

(ख) व्यवहारी निक्षेप

(ग) अग्रिम धन, या

(घ) माल, संपत्ति या सेवाओं के लिए आदेशों पर अग्रिम;

(vi) सहकारी से संबंधित ऐसी किसी अधिनियमिति के, जो किसी राज्य में उस समय प्रवृत्त है, अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे किसी व्यष्टि या फर्म या व्यष्टियों के संगम से जो निगमित निकाय नहीं है, प्राप्त रकम; और

(vii) किसी चिट के संबंध में अभिदायों के रूप में प्राप्त रकम।

1982 का 40 *स्पष्टीकरण 1* - "चिट" का वही अर्थ है जो चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 2 के खंड (ख) में है।

स्पष्टीकरण 2 - किसी संपत्ति (जंगम या स्थावर) के विक्रय पर विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया गया कोई प्रत्यय इस खंड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप नहीं समझा जाएगा;]

[1][*(ग)* "वित्तीय संस्था" से ऐसी कोई गैर-बैंककारी संस्था अभिप्रेत है जो निम्नलिखित किसी क्रियाकलाप को अपने कारबार के रूप में या अपने कारबार के भाग के रूप में करती है, अर्थात् :-

(i) अपने क्रियाकलाप से भिन्न किसी क्रियाकलाप का उधार या अग्रिम देकर या अन्यथा वित्तपोषण करना;

(ii) ऐसे शेयरों, स्टाक, बंधपत्रों, डिबेंचरों या प्रतिभूतियों का, जो किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गमित हो या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूतियों का अर्जन करना;

1972 का 26 *(iii)* अवक्रय अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित अवक्रय-करार के अधीन अवक्रेता को कोई मालभाड़े पर देना या उसका परिदान करना;

(iv) किसी भी प्रकार का बीमा-कारबार करना;

---

[1] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 17 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(अध्याय उख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)

(v) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में यथापरिभाषित चिटों या कुरियों या उसी प्रकार के किसी कारबार के फौरमैन या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत से प्रबंध, संचालन या पर्यवेक्षण करना;

(vi) किसी प्रयोजन के लिए या किसी भी नामा से ज्ञात किसी स्कीम या ठहराव के अधीन अभिदायों के रूप में या यूनिटों के विक्रय द्वारा या अन्य लिखतों द्वारा या किसी अन्य रीति से एकमुश्त या अन्यथा, धनराशियों का संग्रहण करना और उन व्यक्तियों को जिनसे धनराशियां संगृहीत की गई हों या किसी अन्य व्यक्ति को नकद या वस्त के रूप में पुरस्कार या दान देना या किसी अन्य, रूप में धनराशियों का संवितरण करना;

[1][किंतु इसके अंतर्गत ऐसी कोई संस्था नहीं है जो अपने मुख्य कारबार के रूप में,-

(क) कृषिक संक्रियाएं करती है; या

(कक) औद्योगिक क्रियाकलाप करती है; या]

(ख) किसी माल (प्रतिभूतियों से भिन्न) या क्रय या विक्रय करती है या किन्हीं सेवाओं की व्यवस्था करती है; या

(ग) स्थावर संपत्ति का क्रय, सन्निर्माण या विक्रय इस प्रकार करती है, कि संस्था की आय का कोई भी भाग ऐसे वित्तपोषण से व्युत्पन्न न हो जो अन्य व्यक्ति स्थावर संपत्ति के क्रय, सन्निर्माण या विक्रय के लिए करते है;]

1964 का 18

[2][स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए "औद्योगिक क्रियाकलाप" से कोई ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) से (xviii) में विनिर्दिष्ट हैं।]

1932 का 9

(घ) "फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में यथा परिभाषित फर्म अभिप्रेत है [3]** *

(ङ) "गैर-बैंककारी संस्था" से कंपनी, निगम [4][या सहकारी सोसायटी] अभिप्रेत है।

[5][(च) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" से अभिप्रेत है-

(i) कोई वित्तीय संस्था जो एक कंपनी है;

(ii) कोई गैर-बैंककारी संस्था जो एक कंपनी है और जिसका मुख्य कारबार किसी स्कीम या ठहराव के अधीन या किसी अन्य रीति से निक्षेप प्राप्त करना या किसी रीति से उधार देना है;

(iii) ऐसी अन्य गैर-बैंककारी संस्था या ऐसी संस्थाओं का वर्ग जिसे बैंक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।]

---

[1] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा (9-1-1997 से) प्रतिस्थापित।

[2] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा (9-1-1997 से) अंतःस्थापित।

[3] 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 9 द्वारा (15-2-1984 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

[4] 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 9 द्वारा (15-2-1984 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 2 द्वारा (9-1-1997 से) अंतःस्थापित।

(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)

रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा और शुद्ध स्वामित्व वाली निधि।

[1][**45 झक**](1) इस अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था का कारबार -

(क) इस अध्याय के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्राप्त किए बिना; और

(ख) पच्चीस लाख रुपए की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि या दो करोड़ से अनधिक ऐसी अन्य राशि के बिना, जो बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रारंभ नहीं करेगी, या नहीं चलाएगी।

(2) प्रत्येक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, बैंक को ऐसे प्ररुप में, जो बैंक विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी:

परंतु ऐसी कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारंभ पर अस्तित्व में है ऐसे प्रारंभ से छह मास की समाप्ति से पहले बैंक को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, तब तक गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था का कारबार करना चालू रख सकेगी जब तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसे जारी नहीं कर दिया जाता है या रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर करने की संसूचना उसे नहीं दे दी जाती है।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारंभ पर अस्तित्व में कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी और जिसकी शुद्ध स्वामित्व वाली निधि पच्चीस लाख रुपए से कम है, शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की अपेक्षा को पूरा करने के लिए ऐसी कंपनी को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था का कारबार -

(i) ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के लिए; या

(ii) ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जिसका विस्तार बैंक ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् करे,

इस शर्त के अधीन चालू रख सकेगी कि ऐसी कंपनी, शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की अपेक्षा के पूरा करने के तीन मास के भीतर ऐसा करने के बारे में बैंक को सूचित करेगी:

परंतु इस उपधारा के अधीन कारबार चालू रखने के लिए अनुज्ञात अवधि किसी भी दशा में योग में छह वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) बैंक, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की बहियों के निरीक्षण द्वारा या अन्यथा यह समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगा कि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर दी गई है :-

(क) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अपने वर्तमान या भावी निक्षेपकर्ताओं को जब भी उनके दावे प्रोद्भूत होते हैं पूर्ण संदाय करने की स्थिति में है या होगी;

(ख) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के कार्यकलापों का संचालन ऐसी रीति में नहीं किया जा रहा है या ऐसी रीति में, करने की संभावना नहीं है जो उसके वर्तमान या भावी निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए अहितकर हो;

---

[1] 1997 के अधिनियम 23 की धारा 3 द्वारा (9-1-1997 से) अंत:स्थापित ।

(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)

(ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के प्रबंध या प्रस्तावित प्रबंध का साधारण स्वरूप जनता के हित या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होगा;

(घ) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी संरचना और उपार्जन की संभाव्यता है;

(ङ) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को भारत में कारबार प्रारंभ करने या चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने से लोकहित की पूर्ति होगी;

(च) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना, मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि और ऐसे अन्य सुसंगत कारणों पर विचार करते हुए जो बैंक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से संगत वित्तीय सेक्टर के प्रचालन और समेकन के प्रतिकूल नहीं होगा; और

(छ) कोई अन्य शर्त, जिसका पूरा करना बैंक की राय में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा भारत में कारबार का प्रारंभ करना या उसे चलाना जनता के हित के या निक्षेपकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं होगा।

(5) बैंक, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर ली गई हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसी शर्तों के अधीन दे सकेगा जो यह अधिरोपित करना ठीक समझे ।

(6) बैंक इस धारा के अधीन किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा यदि ऐसी कंपनी -

(i) भारत में गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था का का कारबार बंद कर देती है; या

(ii) ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रही है जिसके अधीन उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया था; या

(iii) उपधारा (4) के खंड (क) से (छ) तक विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी को पूरा करने में किसी भी समय असफल रहती है; या

(iv) (क) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश के अनुपालन में, या

(ख) किसी विधि की अपेक्षाओं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या आदेश के अनुसार लेखाओं के रखने में; या

(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)

(ग) अपनी लेखाबहियों और अन्य सुसंगत दस्तावेज़ों को निरीक्षण के लिए जब बैंक के किसी निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ऐसी मांग की जाए, प्रस्तुत करने में, असफल रहती है, या

(v) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बैंक द्वारा दिए गए किसी आदेश द्वारा निक्षेप स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध की गई है और ऐसा आदेश कम से कम तीन मास की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहा है;

परंतु यह कि इस आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने से पहले गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी खंड (ii) के उपबंधों का पालन करने में असफल हो गई है या खंड (iii) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल हो गई है तो बैंक, जब तक उसकी यह राय न हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने में विलंब लोकहित या निक्षेपकर्ताओं या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के हित के प्रतिकूल होगा, ऐसी कंपनी को ऐसे निबंधनों पर, जो बैंक, ऐसे उपबंध का अनुपालन या ऐसी शर्त की पूर्ति कराने के लिए, आवश्यक कदम उठाने के लिए विनिर्दिष्ट करे, ऐसी कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर देगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्द करने का कोई आदेश करने से पहले ऐसी कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को खारिज करने के या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई कंपनी, केन्द्रीय सरकार को, उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जिसको खारित करने का या रद्द करने का ऐसा आदेश संसूचित किया जाता है, अपील कर सकेगा और जहां ऐसी अपील केन्द्रीय सरकार को की जाती है वहां उसका और जहां ऐसी कोई अपील नहीं की जाती है वहां बैंक का विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु अपील के खारिज करने के किसी आदेश से पहले ऐसी कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(I) ''शुद्ध स्वामित्व वाली निधि'' से अभिप्रेत है -

(क) कंपनी के अन्तिम तुलन पत्र में प्रकटित रूप में समादत्त साधारण पूंजी और खुली आरक्षितियों का वह योग, जो -

(i) हानि के संचित अतिशेष;
(ii) आस्थगित राजस्व व्यय; और
(iii) अन्य अमूर्त आस्तियों;
में से कटौती करने के पश्चात्; और

(ख) इसके अतिरिक्त -

(1) ऐसी कंपनी के -

(i) उसके समनुषंगियों,

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) (ii) उसी समूह की कंपनियों; (iii) सभी अन्य गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों, के अंशों में विनिधानों; और (2) ऐसे डिबेंचरों, बंधपत्रों, बकाया उधारों और अग्रिमों (जिनके अंतर्गत अवक्रय और पट्टा वित्त है) के वही मूल्य, जो - (i) ऐसी कंपनी के समनुषंगियों; और (ii) उसी समूह की कंपनियों, को किए गए हैं या उनके पास जमा किए जाते हैं; के रूप में रकमों को, उस सीमा तक जिस तक ऐसाबही मूल्य ऊपर (क) के दस प्रतिशत से अधि है, घटाकर आता है।
1956 का 1	(II) ''समनुषंगियों'' और ''उसी समूह की कंपनियों'' का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में है ।
आस्तियों का प्रतिशत बनाए रखना ।	45 झख (1) प्रत्येक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, ऐसी अविल्लंगमित अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जिनका मूल्यांकन ऐसी कीमत पर हो जो ऐसी प्रतिभूतियों की चालू बाजार कीमत से अधिक न हो, उतनी रकम भारत में विनिधान करेगी और विनिधान करती रहेगी जो किसी दिन कारबार की समाप्ति पर द्वितीय पूर्ववर्ती तिमाही के अन्तिम कार्य दिवस पर कारबार की समाप्ति पर बकाया निक्षेपों के पांच प्रतिशत से कम नहीं होगी या ऐसी उच्चतर प्रतिशत जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न होगी जो बैंक समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; परंतु बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विभिन्न वर्गों की बाबत विनिधान के विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट कर सकेगा। (2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, बैंक प्रत्येक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक विवरणी ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसे दे। (3) यदि किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किसी दिन कारबार की समाप्ति पर विनिधान की गई रकम उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से कम हो जाती है तो ऐसी कंपनी, ऐसी कमी की बाबत, बैंक को ऐसी रकम पर जिस तक रकम वस्तुतः विनिधान की गई रकम विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो जाती है, बैंक दर के ऊपर प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत की दर से शास्तिक ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगी और जहां ऐसी कमी पश्चात्वर्ती तिमाहियों में जारी रहती है वहां शास्तिक ब्याज की दर प्रत्येक पश्चात्वर्ती तिमाही के लिए ऐसी कमी पर बैंक दर के ऊपर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत होगी। (4) (क) उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्तिक ब्याज, उस तारीख से जिसको उसके संदाय की मांग करने वाले बैंक द्वारा जारी की गई सूचना गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी पर तामील की जाती है, चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगा और उसका ऐसी अवधि के भीतर संदाय करने में गैर-बैंककारी वित्तीय-कंपनी के असफल होने की दशा में ऐसे प्रधान

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) सिविल न्यायालय के, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर है जहां व्यतिक्रमी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का कार्यालय स्थित है, निदेश द्वारा शास्ति का उद्ग्रहण किया जा सकता है और ऐसा निदेश केवल बैंक द्वारा न्यायालय को इस निमित्त किए गए आवेदन पर दिया जाएगा, और (ख) जब न्यायालय खंड (क) के अधीन निदेश देता है तो वह गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा मानो वह न्यायालय द्वारा किसी वाद में की गई डिक्री हो। (5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि बैंक का यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रमी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के पास उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में उसकी असफलता के लिए पर्याप्त कारण है तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं भी कर सकता है। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए - (i) ''अनुमोदित प्रतिभूति'' से किसी राज्य सरकार की या केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूति अभिप्रेत है और ऐसे बंधपत्र उनके मूलधन और उन पर ब्याज दोनों, किसी ऐसी सरकार द्वारा पूर्णतः और बिना शर्त प्रत्याभूत किए गए होंगे । (ii) ''अविल्लंगमित अनुमोदित प्रतिभूतियों'' के अंतर्गत ऐसी अनुमोदित प्रतिभूतियां है जिन्हें गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किसी अन्य संस्था के पास अग्रिम या किसी अन्य ठहराव के लिए उस सीमा तक जिस तक ऐसी प्रतिभूतियां किसी रीति से नहीं निकाली गई हैं या उनका किसी रीति से उपयोग या उन्हें विल्लंगमित नहीं किया गया है, जमा किया गया है; (iii) ''तिमाही'' से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होनेवाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है ।
आरक्षित निधि	45 झग.(1) प्रत्येक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी एक आरक्षित निधि का सृजन करेगी और उसमें लाभ और हानि लेखा में प्रकटित रूप में और कोई लाभांश घोषित किए जाने से पूर्व प्रत्येक वर्ष अपने शुद्ध लाभ के बीस प्रतिशत से अन्यून राशि अंतरित करेगी। (2) आरक्षित निधि में से किसी राशि का कोई विनियोग गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा उस प्रयोजन के सिवाय नहीं किया जाएगा जो बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे प्रत्येक विनियोग की रिपोर्ट बैंक को ऐसे निकाले जाने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर की जाएगी : परन्तु बैंक, किसी विशिष्ट मामले में और पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर इक्कीस दिन की अवधि को ऐसी और अवधि तक विस्तारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे या ऐसी रिपोर्ट करने में किसी विलंब को माफ कर सकेगा।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) (3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, बैंक की सिफारिश पर और किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की उसके निक्षेप दायित्वों के संबंध में समादत्त पूंजी और आरक्षितियों की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, लिखित आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू नहीं होंगे: परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उपधारा (1) के अधीन आरक्षित निधि में रकम अंश प्रीमियम खाते में रकम सहित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की समादत्त पूंजी से कम नहीं है।
धन के निक्षेप की याचना करने वाले प्रास्पेक्टस या विज्ञापन का रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन या प्रतिषेध	**45ञ.** यदि रिज़र्व बैंक लोक हित में यह बात करना आवश्यक समझता है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा - (क) जनता से धन के निक्षेपों की याचना करने वाले किसी प्रास्पेक्टस या विज्ञापन के किसी गैर-बैंककारी संस्था द्वारा निकाले जाने का विनियमन या प्रतिषेध कर सकेगा; तथा (ख) वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन पर कोई ऐसा प्रास्पेक्टस या विज्ञापन उस दशा में, जिसमें कि उसका निकाला जान प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, निकाला जा सकेगा।
नीति निर्धारित करने और निदेश जारी करने की बैंक की शक्ति।	[1][45ञक. (1) यदि बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या देश की उसके फायदे के लिए वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के ऐसे कार्यकलापों को निवारित करने के लिए जिनका संचालन ऐसी रीति से किया जा रहा है जो निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक है या ऐसी रीति से किया जा रहा है जो गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह नीति का निर्धारण कर सकेगा और सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों या उनमें से किसी को आय मान्यता, लेखा स्तरों, डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए समुचित उपबंध करने, आस्तियों के लिए जोखिम भार पर आधारित पूंजी पर्याप्तता तथा पृथक तुलन पत्र मदों के लिए प्रत्यय संपरिवर्तन फैक्टरों में और यथास्थिति, किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग या साधारणतया गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के अभिनियोजन से भी संबंधित निदेश दे सकेगा और ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां इस प्रकार अवधारित नीति और इस प्रकार जारी किए गए निदेश का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होंगी। (2) उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को साधारणतया या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग को अथवा किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को विशिष्टतया निम्नलिखित के बारे में निदेश दे सकेगा - (क) यह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम या अन्य निधि आधारित या निधि-इतर आधारित सौकर्य नहीं किया जा सकेगा; और (ख) अग्रिमों या अन्य वित्तीय सौकर्य या शेयरों और प्रतिभूतियों में विनिधान की वह अधिकतम रकम, जो गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की समादत्त पूंजी, आरक्षित निधियों और निक्षेपों को तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, उस गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या कंपनियों के किसी समूह को किया जा सकता है]

[1] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 4 द्वारा (9-1-1997 से) अंत:स्थापित।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध)
गैर-बैंककारी संस्थाओं से यह जानकारी संगृहीत करने की कि उनके यहां कितने निक्षेप हैं तथा उन्हें निदेश देने की रिज़र्व बैंक की शक्ति-	45ट. (1) रिज़र्व बैंक किसी समय यह निदेश दे सकेगा कि हर गैर-बैंककारी संस्था द्वारा प्राप्त निक्षेपों से संबंधित या संसक्त ऐसे कथन, ऐसी जानकारी या विशिष्टियां रिज़र्व बैंक को ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों पर, इतने समय के अन्दर दे, जो रिज़र्व बैंक, ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की हो। (2) रिज़र्व बैंक में उपधारा (1) के अधीन निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि जो कथन, जानकारी या विशिष्टयां उपधारा (1) के अधीन दी जानी है वे निम्नलिखित सब मामलों से या उनमें से किसी संबंधित हो सकेंगी अर्थात् निक्षेपों की रकम, वे प्रयोजन और कालावधियां जिनके लिए तथा ब्याज की वे दरें और वे अन्य निबंधन और शर्तें जिन पर वे प्राप्त की जाती है। (3) यदि रिज़र्व बैंक लोक हित में यह बात करना आवश्यक समझता है तो निक्षेपों पर देय ब्याज की दरों सहित तथा उन कालावधियों सहित, जिनके लिए ऐसे निक्षेप प्राप्त किए जा सकेंगे, ऐसे निक्षेपों से संबंधित या संसक्त किन्हीं बातों की बाबत निदेश वह गैर-बैंककारी संस्थाओं को साधारणतः अथवा किसी गैर-बैंककारी संस्था या गैर-बैंककारी संस्थाओं के समूह को विशिष्टतः दे सकेगा। (4) यदि कोई गैर-बैंककारी संस्था ऐसे किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है, जो रिज़र्व बैंक द्वारा उपधारा (3) के अधीन दिया गया है तो रिज़र्व बैंक उस गैर-बैंककारी संस्था को निक्षेप लेने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा । [1]* * * * * (6) निक्षेप प्राप्त करने वाली गैर-बैंककारी संस्था रिज़र्व बैंक द्वारा यह अपेक्षा की जाने पर तथा इतने समय के अन्दर जितना रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट करे उस रूप में, जिसमें कि वह उस वर्ष के अंतिम दिन है जिससे लेखा संबंधित है, अपने वार्षिक तुलनपत्र की तथा लाभ-हानि लेखा की या अन्य वार्षिक लेखा की एक प्रति अपने खर्चे पर हर ऐसे व्यक्ति को भिजवाएगी जिससे उसके पास उतनी राशि से अधिक के निक्षेप है जितनी रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।
वित्तीय संस्थाओं से जानकारी मांगने तथा निदेश देने की रिज़र्व बैंक की शक्ति -	45ठ. (1) यदि रिज़र्व बैंक, का समाधान हो जाता है कि देश की प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए अपने को समर्थ करने के लिए यह बात करना आवश्यक है तो वह- (क) साधारणतः वित्तीय संस्थाओं से या विशिष्टतः वित्तीय संस्थाओं के किसी समूह अथवा किसी समूह अथवा किसी वित्तीय संस्था से यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी वित्तीय संस्थाओं या संस्था के कारबार से संबंधित ऐसे कथन, ऐसी जानकारी या ऐसी विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में ऐसे अंतरालों पर और इतने समय के अन्दर वह रिज़र्व बैंक को दे जैसा या जितना रिज़र्व बैंक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; (ख) साधारणतः ऐसी संस्थाओं को या विशिष्टतः किसी ऐसी संस्था को वित्तीय संस्थाओं या संस्था के रूप में अपने कारबार का संचालन करने के बारे में निदेश दे सकेगा ।

[1] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 18 द्वारा उपधारा (5) का लोप किया गया ।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) (2) रिज़र्व बैंक में उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वे कथन, जानकारी या विशिष्टियां, जो वित्तीय संस्था द्वारा दी जानी हैं, निम्नलिखित सब बातों या उनमें से किन्हीं से संबंधित हो सकेगी अर्थात् समादत्त पूंजी आरक्षितियां या अन्य दायित्व सरकारी प्रतिभूतियों में या अन्यथा किए गए विनिधान, वे व्यक्ति जिन्हें और वे प्रयोजन और कालावधियां जिसके या जिनके लिए वित्त दिया गया है तथा ब्याज की दर सहित वे निबंधन और शर्तें, जिन पर वह दिया गया है। (3) किसी वित्तीय संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निदेश देने में रिज़र्व बैंक उन स्थितियों का जिनमें और उन उद्देश्यों का जिनके लिए वह संस्था स्थापित की गई है, उसके कानूनजात उत्तरदायित्वों का, यदि कोई हों, और उस प्रभाव का, जो ऐसी वित्तीय संस्था के कारबार की मुद्रा और पूंजी बाज़ारों के रुख पर पड़ना संभाव्य है, सम्यक ध्यान रखेगा ।
गैर-बैंककारी संस्थाओं का यह कर्तव्य कि रिज़र्व बैंक द्वारा मांगे गये कथन आदि उसे दे	45ड. हर गैर-बैंककारी संस्था का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन मांगे गए कथन, जानकारी या विशिष्टियां दे और दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करे।
लेखा परीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य	[1][45डक.(1) किसी गैर-बैंककारी संस्था के प्रत्येक लेखा-परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह जांच करे कि उस गैर-बैंककारी संस्था ने अपने द्वारा प्राप्त निक्षेपों से संबंधित या संसक्त ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां रिज़र्व बैंक को दी है या नहीं जिनके दिए जाने की इस अध्याय के अधीन अपेक्षा की गई है और लेखा परीक्षक उस गैर-बैंककारी संस्था द्वारा धृत ऐसे निक्षेपों की कुल धनराशि की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को भेजेगा किंतु उस दशा में नहीं भेजेगा, जिसमें ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो गया हो कि उस गैर-बैंककारी संस्था ने ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां दे दी हैं। [2][(1क) बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में या निक्षेपकर्ताओं के हित से या लेखा बहियों के समुचित निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग या साधारणतया गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को या ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या कंपनियों के लेखापरीक्षकों को तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, लेखा बहियों में दायित्वों के प्रकटीकरण या उससे संबंधित किसी बात की बाबत निर्देश जारी कर सकेगा।]
1956 का 1	(2) जहां [3] [किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की दशा में], जो कंपनी लेखापरीक्षक ने रिज़र्व बैंक को उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट भेज दी है या उसका भेजने का आशय है तो वह उस रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं को, जो उसने रिज़र्व बैंक को भेज दी है या जिसे भेजने का उसका आशय है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा।

[1] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1997 के अधिनियम सं. 23 की धारा 5 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापित।

[3] 1997 के अधिनियम सं. 23 की धारा 5 द्वारा (9.1.1997 से) ''किसी ऐसी गैर-बैंककारी संस्था की दशा में, जो कंपनी है'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) [1][(3) जहां बैंक की यह राय है कि लोकहित में या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के हित में या ऐसी कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है वहां वह किसी भी समय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी संव्यवहार या संव्यवहारों के वर्ग के संबंध में या ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, गैर-सरकारी वित्तीय कंपनी के लेखाओं की विशेष लेखा परीक्षा की जाएगी और बैंक ऐसी विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा और लेखा-परीक्षक या लेखापरीक्षकों को उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा। (4) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक , जो बैंक द्वारा लेखापरीक्षा में अंतर्वलित कार्य की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाए और लेखापरीक्षा के व्यय या आनुषंगिक व्यय इस प्रकार लेखापरीक्षा की गई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।]
निक्षेप का प्रति-ग्रहण और आस्तियों का अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करने की बैंक की शक्ति ।	[2][**45डख.**(1) यदि कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी किसी धारा के अपबंधों का अतिक्रमण करती है या बैंक द्वारा इस अध्याय के उपबंध में से किसी के अधीन दिए गए किसी निदेश या आदेश का पालन करने में असफल रहती है तो बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को किसी निक्षेप का प्रतिग्रहण करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी । (2) तत्समय प्रवृत किसी करार या लिखत या किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बैंक यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में या निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को, जिसके विरुद्ध निक्षेप प्रतिग्रहण करने से प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि वह अपनी संपत्ति और आस्तियों को बैंक की पूर्व लिखत अनुज्ञा के बिना ऐसी अवधि तक, जो आदेश की तारीख से छह मास से अधिक न हो, विक्रय, अंतरण, भारित या बंधक न करे या उनके साथ किसी भी रीति से व्यवहार न करे।
परिसमापन अर्जी फाइल करने की बैंक की शक्ति	**45डग.** (1) बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी - (क) अपने ऋण का संदाय करने में असमर्थ है; या (ख) धारा 45 झक के उपबंधों के आधार पर गैर-बैंककारी वित्तीय संस्था का कारबार करने के लिए निरहित हो गई हैं; या (ग) बैंक द्वारा, किसी आदेश से, निक्षेप का प्रतिग्रहण करने से उसे प्रतिषिद्ध कर दिया गया है और ऐसा आदेश तीन मास से अन्यून अवधि के लिए प्रवृत्त हो रहा है; या (घ)गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का बना रहना लोकहित या कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर है,
1956 का 1	तो ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के परिसमापन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन आवेदन फाइल कर सकेगा।

[1] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 5 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1997 का अधिनियम सं.23 की धारा 6 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापत ।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) (2) किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को अपने ऋण का संदाय करने में असमर्थ तब समझा जाएगा जब उसने अपने किसी कार्यालय या अपनी किसी शाखा में की गई किसी विधिपूर्ण मांग को पांच कार्य दिवस के भीतर पूरा करने से इंकार कर दिया है या वह उसे पूरा करने में असफल हो गई है और बैंक लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि ऐसी कंपनी अपने ऋण का संदाय करने में असमर्थ है। (3) बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।
1956 का 1	(4) कंपनी अधिनियम, 1956 के किसी कंपनी के परिसमापन से संबंधित सभी उपबंध बैंक द्वारा इस उपबंध के अधीन किए गए आवेदन पर आरंभ की गई किसी परिसमापन कार्यवाही को लागू होंगे।
निरीक्षण	45 ढ. [1][(1) रिज़र्व बैंक किसी भी समय अपने अधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी एक या अधिक अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् निरीक्षण प्राधिकारी कहा गया है) - (i) किसी गैर-बैंककारी संस्था का, जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्था भी है, निरीक्षण ऐसे किसी विवरण, जानकारी या विशिष्टियों के, जो रिज़र्व बैंक को दी गई है, सही होने या पूर्ण होने का सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए या कोई ऐसी जानकारी या विशिष्टियां अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कर सकेगा जिन्हें वह गैर-बैंककारी संस्था ऐसा करने की मांग की जाने पर देने में असफल रही है; या (ii) यदि रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंककारी संस्था का जो वित्तीय संस्था है, निरीक्षण करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह उस संस्था का निरीक्षण करा सकेगा।] (2) ऐसे हर निदेशक, किसी समिति या निकाय के सदस्य का, जिसे गैर-बैंककारी संस्था के कार्यकलाप का प्रबंध तत्समय दिया हुआ है या उसके अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि उसकी अभिरक्षा में या शक्ति के अधीन जो भी, बहियां, लेखे और अन्य दस्तावेज़ हैं उन्हें निरीक्षण प्राधिकारी के समझ पेश करें तथा उस प्राधिकारी को उस संस्था के कारबार से संबंधित ऐसे कथन, और जानकारी जिसकी वह प्राधिकारी उससे अपेक्षा करे इतने समय के अन्दर दे दे, जितना उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। (3) निरीक्षण प्राधिकारी ऐसे निदेशक समिति या निकाय के किसी सदस्य की, जिसमें गैर-बैंककारी संस्था के कार्यकलाप का प्रबंध तत्समय निहित है अथवा उसके अन्य अधिकारी या कर्मचारी की शपथ पर परीक्षा उस संस्था के कारबार के संबंध में कर सकेगा और तदनुसार शपथ दिला सकेगा।
अप्राधिकृत व्यक्ति निक्षेपों की याचना नहीं करेंगे	[2][45ढक. कोई भी व्यक्ति किसी गैर-बैंककारी संस्था की ओर से जनता से धन के निक्षेपों की, कोई प्रास्पेक्टस या विज्ञापन प्रकाशित करके या करवाकर या किसी भी अन्य रीति से तब तक याचना नहीं करेगा जब तक -

[1] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 20 उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) (क) उसे ऐसा करने के लिए उक्त गैर-बैंककारी संस्था द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न किया गया हो और वह उस संस्था का नाम विनिदिष्ट न करे जिसने उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया है; और (ख) वह प्रास्पेक्टस या विज्ञापन धारा 45ञ के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए किसी आदेश और तत्समय प्रवृत विधि के किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में न हो जो ऐसे प्रास्पेक्टस या विज्ञापन के प्रकाशन पर लागू होता है।
जानकारी का प्रकटन	[1][**45 ख**. (1) किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी से संबंधित कोई ऐसी जानकारी जो,- (i) ऐसी कंपनी द्वारा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी कथन या विवरणी में अंतर्विष्ट है; अथवा (ii) बैंक द्वारा लेखा परीक्षा या निरीक्षण के माध्यम से अथवा अन्यथा अभिप्राप्त की गई है, गोपनीय समझी जाएगी और इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है इसके सिवाय, प्रकट नहीं की जाएगी। (2) इस धारा की कोई बात - (क) किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा बैंक की पूर्व अनुमति से उपधारा (1) के अधीन बैंक को दी गई जानकारी के प्रकटन को; (ख) बैंक द्वारा, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा एकत्र की गई किसी जानकारी के ऐसे समेकित रूप में जिसे वह उचित समझे, किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या उसके उधार लेने वालों का नाम प्रकट किए बिना किए गए प्रकाशन को; (ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या बैंक द्वारा किसी अन्य गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को दी गई ऐसी जानकारी या ऐसी कंपनियों के बीच चलन और रूढ़िगत प्रथा के अनुसार या किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञात अथवा अपेक्षित प्रकटन या प्रकाशन को; लागू नहीं होगी; परंतु इस खंड के अधीन किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त की गई किसी ऐसी जानकारी को कंपनियों के बीच चलन और रूढ़िगत प्रथा के अनुसार अथवा किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञात या अपेक्षित रीति के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा अन्यथा नहीं। (3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या निक्षेपकर्ताओं अथवा गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के हित में या किसी ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के ऐसे कार्यकलापों को निवारित करने के लिए, जिनका संचालन ऐसी रीति से किया जा रहा है, जो

[1] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 7 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापित ।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर है, समीचीन है, स्वप्रेरणा पर या अनुरोध किए जाने पर किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के कारबार के संचालन के संबंध में कोई जानकारी किसी विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकारी को दे सकेगा अथवा संसूचित कर सकेगा। (4) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय या अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी बैंक को उसके द्वारा इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों के अधीन अभिप्राप्त किसी कथन या अन्य समग्री को पेश करने या उसका निरीक्षण कराने के लिए विवश नहीं करेगा।
छूट देने की बैंक की शक्ति	**45 ग.** बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि इस अध्याय का कोई या सभी उपबंध किसी गैर-बैंककारी संस्था या गैर-बैंककारी संस्थाओं के किसी वर्ग या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग को साधारणतया अथवा ऐसी किसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी शर्तों, परिसीमाओं या निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, लागू नहीं होंगे।]
1974 का 51	**45ण.** [शास्तियां] भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 51) की धारा 22 द्वारा निरसित । **45त.** [अपराध का संज्ञान ।] भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 51) की धारा 22 द्वारा निरसित ।
अध्याय 3 ख अन्य विधियों पर अध्यारोही होगा	**45थ.** इस अध्याय के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि किसी अन्य तत्समय प्रवृत विधि में अथवा किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावशील किसी लिखत में उससे असंगत कोई बात है।]
निक्षेप के प्रति संदाय का आदेश देने की कंपनी विधि बोर्ड की शक्ति	[1][**45थक.** (1) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए प्रत्येक निक्षेप का, जब तक कि उसका नीकरण नहीं कर दिया जाता, ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय किया जाएगा ।
1956 का 1	(2) जहां गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी किसी निक्षेप या उसके किसी भाग का ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय करने में असफल रही है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ङ के अधीन गठित कंपनी विधि बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कंपनी, निक्षेपकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अथवा लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, स्वप्रेरणा से अथवा निक्षेपकर्ता के आवेदन द्वारा गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे निक्षेप का या उसके भाग का तत्काल या ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिसंदाय करें :

[1] 1997 के अधिनियम 23 की धारा 8 द्वारा (9.1.1997से) अंत:स्थापित ।

	(अध्याय 3ख -निक्षेप प्राप्त करनेवाली गैर बैंककारी संस्थाओं से तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उपबंध) परंतु कंपनी विधि बोर्ड इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने से पहले गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को और उस मामले में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।
निक्षेपकर्ताओं द्वारा नामनिर्देशन **1949 का 10**	**45थख.** (1) जहां गैर-बैंककारी संस्था द्वारा धारित कोई निक्षेप, किसी एक या अधिक व्यक्तियों के जमा खाते में रखा जाता है वहां यथास्थिति, निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ता एक साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेंगे जिसको एकल निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में अथवा सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में गैर-बैंककारी संस्था द्वारा निक्षेप की रकम वापस की जा सकेगी। (2) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अथवा ऐसे निक्षेप के संबंध में किसी व्ययन में चाहे वह वसीयती अथवा अन्यथा है, किसी बात के होते हुए भी, जहां नामनिर्देशन किसी व्यक्ति को गैर-बैंककारी संस्था से निक्षेप की रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित हो, वहां नामनिर्देशिती, यथास्थिति, एकल निक्षेपकर्ता की मृत्यु पर या सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु पर ऐसे निक्षेप के संबंध में अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए यथास्थिति, एकल निक्षेपकर्ता अथवा निक्षेपकर्ताओं के सभी अधिकारों का हकदार हो जाएगा जब तक कि नामनिर्देशन, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में परिवर्तित या रद्द न किया जाए ।
1949 का 10	(3) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है वहां नामनिर्देशन करने वाले निक्षेपकर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में, नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान उसकी मृत्यु की दशा में निक्षेप की रकम प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करे। (4) इस धारा के उपबंधों के अनुसार गैर-बैंककारी संस्था द्वारा किया गया संदाय गैर-बैंककारी संस्था को निक्षेप की बाबत अपने दायित्व से पूर्णतः उन्मोचित करेगा : परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगी जिसे कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध रख सकेगा जिसे इस धारा के अधीन कोई संदाय किया जाता है। (5) उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से, जिनके नाम में गैर-बैंककारी संस्था द्वारा निक्षेप धारित किया जाता है, भिन्न किसी व्यक्ति के दावे की कोई सूचना गैर-बैंककारी संस्था द्वारा प्राप्त नहीं होगी और न गैर-बैंककारी संस्था ऐसी किसी सूचना द्वारा आबद्ध होगी भले ही उसे यह सूचना अभिव्यक्ततः दी गई है: परंतु यदि ऐसे निक्षेप के संबंध में सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय से कोई डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र अथवा अन्य प्राधिकार गैर-बैंककारी संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो गैर-बैंककारी संस्था ऐसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र अथवा अन्य प्राधिकार को सम्यक रूप से ध्यान में रखेगी ।]

	[1][अध्याय 3ग] **अनिगमित निकायों द्वारा निक्षेपों के प्रतिग्रहण का प्रतिषेध**
निर्वचन	**45द.** इस अध्याय में प्रयुक्त और अध्याय 3ख में परिभाषित शब्दों और पदों के वे ही अर्थ होंगे जो उसमें हैं।
कतिपय मामलों में निक्षेपों का स्वीकार न किया जाना	[2][**45ध** (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यष्टि या फर्म या व्यष्टियों का अनिगमित संगम है - (i) यदि उसके कारबार में पूर्णतः या भागतः धारा 45 ा के खंड ग में विनिर्दिष्ट काई क्रियाकलाप सम्मिलित है; या (ii) यदि उसका मुख्य कारबार किसी स्कीम या ठहराव के अधीन या किसी अन्य रीति से निक्षेप प्राप्त करना अथवा किसी रीति से उधार देना है, तो कोई निक्षेप स्वीकार नहीं करेगा : परन्तु इस उपधारा की कोई बात व्यष्टि के किसी नातेदार से ऋण के रूप में ऐसे व्यष्टि द्वारा धन की प्राप्ति को अथवा किसी फर्म के किसी भागीदार के नातेदार या नातेदारों से ऋण के रूप में ऐसी फर्म द्वारा धन की प्राप्ति को लागू नहीं होगीः (2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 1997 को कोई निक्षेप धारण करता है जो उपधारा (1) के अनुसार नहीं है वहां ऐसे निक्षेप का उस व्यक्ति द्वारा ऐसे निक्षेप के प्रतिसंदाय के लिए शोध्य हो जाने के पश्चात तत्काल या ऐसे आरंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, प्रतिसंदाय किया जाएगा; परंतु यह कि यदि बैंक का, किसी व्यक्ति द्वारा बैंक को किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से निक्षेपों के एक भाग का पुनःसंदाय करने में असमर्थ है या ऐसा पुनःसंदाय उसको अत्यधिक कठिनाई कारित करेगा तो वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी अवधि का, उस अवधि द्वारा जो एक वर्ष से अधिक न हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय विस्तार कर सकेगा। (3) 1 अप्रैल 1997 में ही उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति निक्षेप की याचना करने के लिए निजी रूप में कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा अथवा जारी नहीं कराएगा। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति का नातेदार केवल तभी माना जाएगा, जब - (i) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं; अथवा (ii) वे पति और पत्नी हैं; अथवा

[1] 1984 के अधिनियम 1 की धारा 10 द्वारा (15.2.1984से) अंतःस्थापित ।

[2] 1997 के अधिनियम 23 की धारा 9 द्वारा (9.1.1997 से) मूल अधिनियम की धारा 45ध के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

	(अध्याय 3ग - अनिगमित निकायों द्वारा निक्षेपों के प्रतिग्रहण का प्रतिषेध, अध्याय 4 - साधारण उपबंध
	(iii) नीचे दी गई नातेदारों की सूची में बताई गई रीति से एक दूसरे के नातेदार है :- नातेदारों की सूची : 1. पिता, 2. माता (जिसके अंतर्गत सौतेली माता है), 3. पुत्र (जिसके अंतर्गत सौतेला पुत्र है), 4. पुत्र की पत्नी, 5. पुत्री (जिसके अंतर्गत सौतेली पुत्री है), 6. पिता का पिता, 7. पिता की माता, 8. माता की माता, 9. माता का पिता, 10. पुत्र का पुत्र, 11. पुत्र के पुत्र की पत्नी, 12. पुत्र की पुत्री, 13. पुत्र की पुत्री का पति, 14. पुत्री का पति, 15. पुत्री का पुत्र, 16. पुत्री के पुत्र की पत्नी, 17. पुत्री की पुत्री, 18. पुत्री की पुत्री का पति, 19. भाई (जिसके अंतर्गत सौतेला भाई है), 20. भाई की पत्नी, 21. बहिन (जिसके अंतर्गत सौतेली बहिन है), 22. बहिन का पति ।]
तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति **1974 का 2**	**45न.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशी वारंट जारी करने की अधिकारिता रखने वाला कोई न्यायालय रिज़र्व बैंक के या राज्य सरकार के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपने इस विश्वास का कथन करते हुए दिए गए आवेदन पर कि धारा 45ध के उपबंधों के उल्लंघन में निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने से संबंधित कुछ दस्तावेज़ ऐसे न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर छिपाई गए हैं, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकेगा।
1974 का 2	(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी वारंट का निष्पादन उसी रीति से किया जाएगा और उसका वही प्रभाव होगा जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के अधीन जारी किए गए तलाशी वारंट का निष्पादन किया जाता है और उसका प्रभाव होता है।
	अध्याय 4 **साधारण उपबंध**
आरक्षित निधि में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय	**46.** [1][केन्द्रीय सरकार] पांच करोड़ रुपये के मूल्य की रुपये में की प्रतिभूतियां रिज़र्व बैंक को अंतरित करेगी जिन्हें रिज़र्व बैंक आरक्षित निधि में रख देगा ।
राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (स्थिरीकरण) निधि में अभिदाय 1981 का 61	[2][**46क.** वर्ष प्रतिवर्ष ऐसी धनराशि, जिसे वह आवश्यक और साध्य समझे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 42 और धारा 43 के अधीन स्थापित और अनुरक्षित क्रमशः राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण प्रत्यय (स्थिरीकरण) निधि में अभिदाय करेगा ।

[1] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स), आर्डर 1937 द्वारा ''संपरिषद् गवर्नर जनरल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

[2] 1981 का अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12.7.1982 से) धारा 46क और धारा 46ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

	(अध्याय 4 - साधारण उपबंध)
	[1][46ख. * * * *]
राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि	[2][**46ग.** (1) रिज़र्व बैंक एक निधि स्थापित करेगा और रखेगा जो राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि कहलाएगी और जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे - (क) रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई दस करोड़ रुपये की आरंभिक राशि; (ख) ऐसी अन्य धनराशियां जिनका रिज़र्व बैंक प्रत्येक वर्ष अभिदाय करे; परन्तु जून, 1965 के तीसवें दिन समाप्त होने वाले वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच वर्ष मे प्रत्येक के दौरान वार्षिक अभिदाय पांच करोड़ रुपये से कम न होगाः परन्तु यह और कि यदि परिस्थितिवश ऐसा आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार रिज़र्व बैंक को किसी भी वर्ष में पांच करोड रुपये की उक्त राशि घटाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। *(2)* उक्त निधि की रकम रिज़र्व बैंक द्वारा केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लगाई जाएगी, अर्थात् - *(क)* भारतीय औद्योगिक वित्त निगम [3]* * * द्वारा या किसी राज्य वित्त निगम [3]* * * द्वारा, अथवा किसी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, पुरोधृत स्टाक, शेयरों, बंधपत्रों या डिबेंचरों का क्रय करने या उनमें अभिदाय करने के लिए अथवा विकास बैंक के किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए विकास बैंक को उधार और अग्रिम धन देना; *(ख)* विकास बैंक द्वारा पुरोधृत बंधपत्र और डिबेंचर क्रय करना ।] [4][*(ग)* या यथास्थिति निआ बैंक [5][या पुननिर्माण बैंक, या [6][लघु उद्योग बैंक] के किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए या यथास्थिति निआ बैंक [5][या पुननिर्माण बैंक [6][या लघु उद्योग बैंक,] के उधारों और अग्रिमों का दिया जाना; *(घ)* यथास्थिति निआ बैंक [5][या पुननिर्माण बैंक, [6][या लघु उद्योग बैंक] द्वारा पुरोधृत बंधपत्रों और डिबेंचरों का क्रय करना।]]

[1] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 (1981 का 61) द्वारा धारा 46ख को (12.7.1982 से) लोप किया गया।

[2] 1964 के अधिनियम सं. 18 की धारा 38 और अनुसूची 2 द्वारा (1.7.1964 से) अंतःस्थापित ।

[3] 1978 के अधिनियम सं.24 की धारा 7 द्वारा (21.7.1978 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1981 के अधिनियम सं.28 की धारा 40 और अनुसूची 2 द्वारा (1.1.1982 से) अंतःस्थापित ।

[5] 1984 के अधिनियम सं.62 की धारा 71 और अनुसूची 3 द्वारा (20.3.1985 से) अंतःस्थापित ।

[6] 1989 के अधिनियम सं. 39 द्वारा अंतःस्थापित ।

	(अध्याय 4 - साधारण उपबंध)
राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि 1987 का 53	[1][**46घ.** *(1)* बैंक राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन)] निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित और अनुरक्षित करेगा जिसमें प्रतिवर्ष ऐसी धनराशियां, जैसी वह आवश्यक समझे, जमा की जाएंगी । *(2)* उक्त निधि की रकम का उपयोजन बैंक केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगा, अर्थात् :- *(क)* राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी कारबार के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और उधार देना; *(ख)* राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुरोधृत वचनपत्र और डिबेंचर क्रय करना ।]
अधिशेष लाभों का आबंटन	[2][**47**. डूबंत और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण, कर्मचारीवृन्द और अधिवार्षिकी निधियों में अभिदायों के लिए [3][और अन्य सब ऐसी बातों के लिए, जिनके लिए] उपबंध इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किया जाना है जिनके लिए प्रायः बैंककार व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था करने के पश्चात् लाभों का अतिशेष केंद्रीय सरकार को दिया जाएगा।]
आय-कर और अधिकर से रिज़र्व बैंक को छूट 1961 का 43	**48**.*(1)* [4][आय-कर अधिनियम, 1961] या आय-कर या अधिकार की बाबत किसी अन्य तत्समय प्रवृत अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी रिज़र्व बैंक अपनी आय, लाभों या अभिलाभों में से किसी पर, आयकर या अधिकर देने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
	[5]* * * * * *
रिज़र्व बैंक दर का प्रकाशन	**49.** रिज़र्व बैंक समय-समय पर वह मानक दर प्रकाशित करेगा जिस पर वह विनिमयपत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्र, जो इस अधिनियम के अधीन क्रय किये जाने योग्य हैं, क्रय या पुनः मितीकाटा लेकर भुगतान करने के लिए तैयार है।
संपरीक्षक	[6][**50.** *(1)* केंद्रीय सरकार द्वारा दो से अन्यून संपरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उनका पारिश्रमिक नियत किया जाएगा । (2) संपरीक्षक एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार उनकी नियुक्त करते समय नियत करे, पद धारण करेंगे और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

---

[1] 1987 के अधिनियम सं. 53 की धारा 56 द्वारा (9.7.1988 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1948 के अधिनियम सं. 62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) धारा 47 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1955 के अधिनियम सं.24 की धारा 8 द्वारा ''और अन्य ऐसी आकस्मिकताओं जैसे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1978 के अधिनियम सं. 24 की धारा 8 द्वारा (21.7.1978 से) ''भारतीय आयकर अधिनियम 1922'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) परंतुक और उपधारा (2) का लोप किया गया ।

[6] 1998 के अधिनियम सं. 62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) धारा 50 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

	(अध्याय 4 - साधारण उपबंध)
सरकार द्वारा विशेष संपरीक्षकों की नियुक्ति	**51**. धारा 50 में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [1][केन्द्रीय सरकार] किसी समय रिज़र्व बैंक के लेखाओं की परीक्षा करने और उसकी बाबत प्रतिवेदन देने के लिए [2][नियंत्रक महालेखापरीक्षक][3]* * * को नियुक्त कर सकेगी।
संपरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य	**52**. *(1)* प्रत्येक संपरीक्षक को वार्षिक तुलनपत्र की एक प्रति दी जाएगी और उसका कर्तव्य होगा कि वह उसकी परीक्षा उससे संबद्ध लेखाओं और वाउचरों के साथ मिलाकर करे और प्रत्येक संपरीक्षक को रिज़र्व बैंक द्वारा रखी गई सब पुस्तकों की एक सूची परिदत्त की जाएगी और उसकी पहुंच रिज़र्व बैंक की बहियों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों तक सभी युक्तियुक्त समयों पर होगी, और वह ऐसे लेखाओं के अन्वेषण में अपनी सहायता के लिए लेखापाल या अन्य व्यक्ति रिज़र्व बैंक [4]* * * के व्यय पर नियोजित कर सकेगा और वह रिज़र्व बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी की ऐसे लेखाओं के संबंध में परीक्षा कर सकेगा ।
	(2) संपरीक्षक वार्षिक तुलनपत्र और लेखाओं के बारे में [5]* * * [1][केन्द्रीय सरकार][6]* * * को रिपोर्ट भेजेंगे और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वे यह कथित करेंगे कि क्या तुलनपत्र की बाबत उनकी यह राय है कि वह पूरा और ठीक तुलनपत्र हैं जिसमें सब आवश्यक विशिष्टियां दी हुई हैं और जो उचित रीति में ऐसे तैयार किया गया है कि उससे रिज़र्व बैंक काम-काज की सच्ची और यथार्थ स्थिति प्रदर्शित होती है और उस दशा में, जिसमें कि उन्होंने केन्द्रीय बोर्ड से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, यह भी कथित करेंगे कि क्या वह दी गई है या नहीं और क्या वह समाधानप्रद है या नहीं है [7]* * *।
विवरणियां	**53**. *(1)* रिज़र्व बैंक [8][ऐसे] प्ररूप में, जैसा [केन्द्रीय सरकार] भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे, निर्गमन विभाग और बैंककारी विभाग का एक साप्ताहिक लेखा तैयार करेगा और [1][केन्द्रीय सरकार] को भेजेगा। [1][केन्द्रीय सरकार] इन लेखाओं को [9][भारत के राजपत्र में ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे उपांतरित रूप में प्रकाशित करवाएगी जो वह ठीक समझे।]

[1] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेट्स) आर्डर, 1937 द्वारा ''संपरिषद् गवर्नर जनरल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1951 के अधिनियम सं.32 की धारा 18 द्वारा (1.11.1951 से) ''महासंपरीक्षक'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) ''या ऐसे संपरीक्षक जिन्हें वह उपयुक्त समझे'' शब्दों का लोप किया गया।

[4] 1955 के अधिनियम सं.24 की धारा 9 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) ''शेयरधारकों को या'' यथास्थिति'' शब्द का लोप किया गया ।

[6] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) ''यथास्थिति

[7] 1948 के अधिनियम सं. 62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) ''शेयरधारकों को भेजी गई ऐसी कोई रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट के साथ वार्षिक साधारण सभा में पढ़ी जाएगी'' शब्दों का लोप किया गया।

[8] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1978 के अधिनियम सं.24 के धारा 9 द्वारा (21.7.1978 से) कुछ शब्दों के स्थान पर।

	(अध्याय 4 - साधारण उपबंध)
	(2) रिज़र्व बैंक उस तारीख से, जिसको रिज़र्व बैंक के वार्षिक लेखा बंद किए जाते हैं, दो मास के अन्दर रिज़र्व बैंक के वर्ष भर के संचालन की केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट के साथ रिज़र्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और मुख्य लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित और संपरीक्षकों द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति [1][केंद्रीय सरकार] ऐसे लेखाओं और रिपोर्ट को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराएगी। [2]* * * * *
ग्रामीण प्रत्यय और विकास	[3][**54**. बैंक ग्रामीण प्रत्यय और विकास के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए अनुभवी कर्मचारी रख सकेगा और विशेष रूप से वह :- *(क)* राष्ट्रीय बैंक को अनुभवी मार्गदर्शन और सहायता दे सकेगा; *(ख)* एकीकृत ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए ऐसे क्षेत्रों में जहां वह आवश्यक समझे, विशेष अध्ययन चला सकेगा ।]
शक्तियों का प्रत्यायोजन	[4][**54क.** *(1)* गवर्नर इस अधिनियम के [5]* * * अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसी शक्तियों और कृत्यों को साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं डिप्टी गवर्नर को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह रिज़र्व बैंक के कृत्यों के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक समझें। *(2)* यह तथ्य कि कोई डिप्टी गवर्नर इस अधिनियम के अनुसरण में किसी शक्ति का प्रयोग करता है या कोई कार्य या बात करता है उसके ऐसा करने के प्राधिकार का निश्चायक साक्ष्य होगा।]
अपने कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्त करने की रिज़र्व बैंक की शक्ति -	[6][**54कक**. [7][*(1)* तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी करार में किसी बात के होते हुए भी रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे; *(क)* किसी ऐसी संस्था में जो पूर्णतः या पर्याप्ततः रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में है, प्रतिनियुक्त कर सकेगा;
1975 का 52	*(ख)* विकास बैंक में प्रतिनियुक्त कर सकेगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसी कोई प्रतिनियुक्ति लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 के प्रारंभ से तीस मास के अवसान के पश्चात् जारी नहीं रहेंगी;

[1] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेट्स) आर्डर, 1937 द्वारा ''संपरिषद् गवर्नर जनरल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) उपधारा (3) का लोप किया गया ।
[3] 1981 के अधिनियम सं.61 की धारा 61 और अनुसूची 2 द्वारा (12.7.1982 से) धारा 54 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1955 के अधिनियम सं.24 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।
[5] 1960 के अधिनियम सं.58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा ''के द्वारा या'' शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1968 के अधिनियम सं.58 की धारा 28 द्वारा (1.2.1969से) अन्तःस्थापित।
[7] 1975 के अधिनियम सं.52 की धारा 20 द्वारा (16.2.1976से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

	(अध्याय 4 - साधारण उपबंध)
1963 का 52	(ग) यूनिट ट्रस्ट में प्रतिनियुक्त कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार कि कोई प्रतिनियुक्ति भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से तीस मास के अवसान के पश्चात् जारी नहीं रहेगी; और तब इस प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उस संस्था की, जिसमें वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया है, ऐसी सेवा करेगा जो वह संस्था अपेक्षा करे।] *(2)* जहां कोई व्यक्ति किसी संस्था में उपधारा (1) के अधीन प्रतिनियुक्त किया गया है वहां वह इस बात का हकदार न होगा कि वह ऐसे किसी संबलम्, उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तों का दावा करे जिनका हकदार वह उस दशा में न होता जिसमें कि वह ऐसे प्रतिनियुक्त न किया गया हो *(3)* इस धारा की किसी बात से रिज़र्व बैंक को यह शक्ति न मिल जाएगी कि वह अपने कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य को ऐसे किसी संबलम् ऐसी उपलब्धियों या सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों या शर्तों पर, जो उसके लिए उससे कम अनुकूल है जिसका वह ऐसे प्रतिनियोजन के ठीक पूर्व हकदार था, किसी संस्था में प्रतिनियुक्त कर दे। *(4)* इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था की बाबत यह तभी समझा जाएगा कि वह पूर्णतः या सारतः रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में है यदि उस संस्था की पूंजी में रिज़र्व बैंक का चालीस प्रतिशत से कम अंश नहीं है। **स्पष्टीकरण** - ''पूंजी'' शब्द से यूनिट ट्रस्ट के संबंध में उस ट्रस्ट की आरंभिक पूंजी अभिप्रेत है।] **55** और **56** [बैंक द्वारा रिपोर्ट। रजिस्ट्रीकृत अंशों के स्वामित्व के बारे में उद्घोषणा की अपेक्षा करने की शक्ति ।] 1948 के अधिनियम संख्यांक 62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) निरसित ।
रिज़र्व बैंक का समापन	**57**. (1) [1][कंपनी अधिनियम, 1956] की कोई बात रिज़र्व बैंक को लागू नहीं होगी और [2][केंद्रीय सरकार] के आदेश के सिवाय और ऐसी रीति के सिवाय, जो वह [3][निर्दिष्ट करे], रिज़र्व बैंक का समापन नहीं किया जाएगा। [4]* * * * *
केन्द्रीय बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति	**58.** (1) केन्द्रीय बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव देने के वास्ते जिन विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक या सुविधाजनक है, उन सब के लिए ऐसे विनियम जो अधिनियम से संगत हैं, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।

[1] 1957 के अधिनियम सं.19 की धारा 5 द्वारा ''इंडियन कंपनीज अधिनियम, 1913 (1913 का 7)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा ''संपरिषद् गवर्नर जनरल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेंट्स) आर्डर, 1937 द्वारा ''जो वह निर्दिष्ट करे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1ञ1ञ1949 से) उपधारा (2) का लोप किया गया।

5 1988 के अधिनियम सं.66 की धारा (30.12.1988 से) के स्थान पर अंतःस्थापित ।

	(अध्याय 4 - साधारण उपबंध)
	(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :- [1]* * * * * (च) वह रीति जिससे केन्द्रीय बोर्ड का कामकाज किया जाएगा और उसके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; (छ) स्थानीय बोर्डों के कामकाज का संचालन और ऐसे बोर्डों की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन; (ज) केंद्रीय बोर्डों की शक्तियां और कृत्य रिज़र्व बैंक के [2]* * * डिप्टी गवर्नरों, निदेशकों या अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना; (झ) केंद्रीय बोर्ड की समितियां बनाना और ऐसी समितियों को केन्द्रीय बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन और ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन; (ञ) रिज़र्व बैंक के अधिकारियों और सेवकों के लिए कर्मचारीवृंद और अधिवार्षिकी निधियों का गठन और प्रबंध; (ट) वह प्ररूप और रीति जिसमें रिज़र्व बैंक के लिए आबद्धकर संविदाएं हस्ताक्षरित की जाएंगी; (ठ) रिज़र्व बैंक की कार्यालयिक मुद्रा संबंधी उपबंध तथा उसके प्रयोग की रीति और प्रभाव; (ड) वह प्ररूप और रीति जिसमें रिज़र्व बैंक का तुलनपत्र तैयार किया जाएगा और लेखा रखे जाएंगे; (ढ) रिज़र्व बैंक के निदेशकों का पारिश्रमिक; (ण) रिज़र्व बैंक से अनुसूचित बैंकों का संबंध और अनुसूचित बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को भेजी जानेवाली विवरणियां; (त)[3](बैंक जिसके अंतर्गत डाक घर बचत बैंक है) के लिए समाशोधन गृहों का विनियमन; [4][(तत) बैंकों के बीच या बैंकों और धारा 45 झ के खंड (ग) में निर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्मय से निधि अंतरण का विनियमन, जिसके अंतर्गत उन शर्तों का अधिकथित किया जाना भी है जिनके अधीन रहते हुए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ऐसे निधि अंतरणों में भाग लेंगी, ऐसे निधि अंतरणों की रीति और ऐसे निधि अंतरणों में भागीदारों के अधिकार और बाध्यताएं।]

[1] 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 और अनुसूची द्वारा (1.1.1949 से) खंड (क) से खंड (ङ) का लोप किया गया ।

[2] 1953 के अधिनियम सं.54 की धारा 8 द्वारा ''गवर्नर को, या'' शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1988 के अधिनियम सं.66 द्वारा (30.12.88 से) प्रतिस्थापित ।

[4] सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा (17.10.2000 से) अंतःस्थापित ।

	(अध्याय 4 - साधारण उपबंध, अध्याय 5 - शास्तियां)
	(थ) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन भारत सरकार के किसी खोए, चोरी हो गए, विकृत या अपूर्ण करेंसी नोट या बैंक-नोट का मूल्य प्रतिदत्त किया जा सकेगा; और (द) साधारणतः रिज़र्व बैंक के कामकाज का दक्ष संचालन । [1][*(3)* इस धारा के अधीन बनाया गया कोई भी विनियम ऐसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख से प्रभावी होगा जो विनियम में विनिर्दिष्ट की जाए। *(4)* केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा और वह सरकार उसकी एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।] [2][*(5)* इस धारा के अधीन बनाए गए सब विनियमों की प्रतियां जनता को उनका मूल्य चुकाने पर प्राप्त होंगी।
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण	[3][**58.क.** *(1)* इस अधिनियम या इसके अधीन किये गये या दिये गये किसी आदेश, विनियम या निदेश के अनुसारण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध न होगी। (2) इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए या दिये गये किसी आदेश, विनियम या निदेश के अनुसरण में सद्भाावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात द्वारा हुए या होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या रिज़र्व बैंक के विरूद्ध न होगी।]
	[4]**अध्याय 5**
	शास्तियां
शास्तियां	**58ख.** (1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए या दिए गए किसी आदेश, विनियम या निदेश द्वारा या उसके अधीन या उसके किसी उपबंध के प्रयोजनों

[1] 1974 का अधिनियम सं.51 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1974 के अधिनियम सं.51 की धारा 24 द्वारा उपधारा (3) की उपधारा (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

[3] 1974 के अधिनियम सं. 51 की धारा 25 द्वारा अंतःस्थापित।

[4] 1974 की अधिनियम सं.51 की धारा 26 द्वारा अंतःस्थापित।

	(अध्याय 5 - शास्तियां)
	के लिए किए गए आवेदन, की गई घोषणा, अपेक्षित विवरणी, विवरण या दी गई जानकारी या विशिष्टियों में अथवा किसी ऐसे प्रास्पेक्टस या विज्ञापन में, जो किसी व्यक्ति द्वारा जनता से निक्षेप आमंत्रित करने के लिए या उसके संबंध में जारी किया गया हो; जानबूझकर ऐसा कथन, जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है, यह जानते हुए करेगा कि वह मिथ्या है, या कोई महत्वपूर्ण कथन करने का जानबूझकर लोप करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी; और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
	(2) यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करने में अथवा ऐसे कोई विवरण; जानकारी या विशिष्टियां देने में, जिसे पेश करने या देने का उसका कर्तव्य इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए या दिए गए किसी आदेश, विनियम या निदेश के अधीन है अथवा किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उनके अधीन किए गए या दिए गए किसी आदेश, विनियम या निदेश के अनुसरण में उससे पूछा जाता है, असफल रहेगा, तो वह जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध की बाबत दो हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा उस देशा में जिसमें कि वह बराबर ऐसे ही असफल रहेगा या अपने इन्कार पर डटा रहेगा, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध चालू रहता है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
	(3) यदि कोई व्यक्ति धारा 31 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह जुर्माने से, जो विनिमयपत्र/हुंडी वचनपत्र या उस धन के संदाय के लिए, जिसकी बाबत अपराध किया गया है, वचनबद्ध की रकम तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
	(4) यदि कोई व्यक्ति उधार विषयक किसी ऐसी जानकारी का प्रकटन करेगा जिसे प्रकट करना धारा 45ङ के अधीन प्रतिषिद्ध है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी; या जुर्माने से; जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
	[1][*(4क)* यदि कोई व्यक्ति धारा 45 झक की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
	(4कक) यदि कोई लेखा परीक्षक, बैंक द्वारा धारा 45डख के अधीन दिये गये किसी निदेश या किये गये किसी आदेश का पालन करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
	(4ककक) जो कोई धारा 45थक की उपधारा (2) के अधीन कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किये गये किसी आदेश का पालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास में जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अनुपालन जारी रहता है, पचास रुपये से अन्यून के

[1] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 10 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापित ।

	(अध्याय 5 - शास्तियां)
	जुर्माने का भी दायी होगा ।]
	(5) [1][यदि लेखा परीक्षक से भिन्न कोई व्यक्ति]
	(क) अध्याय 3ख के अधीन दिये गये किसी निदेश या आदेश के उल्लंघन में कोई निक्षेप प्राप्त करेगा; या
	[2][(कक) अध्याय 3ख के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए आदेश का पालन करने में असफल रहेगा; या ।]
	(ख) कोई प्रास्पेक्टस या विज्ञापन, यथास्थिति, धारा 45 ढक के या किसी ऐसे आदेश के, जो धारा 45ञ के अधीन दिया गया है, अनुसार निकालने से अन्यथा निकालेगा,
	तो वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से भी दंडनीय होगा जो -
	(i) खंड (क)के अधीन आने वाले किसी उल्लंघन की दशा में, प्राप्त निक्षेप की रकम के दुगुने तक का हो सकेगा; और
	(ii) खंड (ख) के अधीन आने वाले किसी उल्लंघन की दशा में प्रास्पेक्टस या विज्ञापन द्वारा मांगे गए निक्षेप की रकम के दुगुने तक का हो सकेगा।
	[3][(5क) यदि कोई व्यक्ति धारा 45ध के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगा या जुर्माने से, जो उस धारा के उल्लंघन में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए निक्षेप की रकम के दुगुने तक का या दो हजार रुपये तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगाः
	परंतु तत्प्रतिकूल ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किये जाएंगे; कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा।
1974 का 2	(5ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपधारा (5क) के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति पर उस धारा में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक जुर्माने का दंडादेश अधिरोपित करे ।]

[1] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 10 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 10 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापित ।
[3] 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 11 द्वारा (15.2.1984 से) अंतःस्थापित ।

	(अध्याय 5 - शास्तियां)
	(6) यदि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाएगा अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी आदेश, विनियम या निदेश या अधिरोपित किसी शर्त की किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाएगा तो ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम का दोषी कोई भी व्यक्ति जुर्माने से; जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और जहां कि कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम बराबर जारी रहता है वहां वह अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
कंपनियों द्वारा अपराध	**58ग.** *(1)* जो धारा 58ख में निर्दिष्ट उल्लंघन या व्यतिक्रम करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी हो वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस उल्लंघन या व्यतिक्रम के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी; ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होगी,
	परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन या व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।
	(2) उपधारा *(1)* में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा ।
	स्पष्टीकरण 1 - इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस स्थान पर किया गया है जहां उस कंपनी का भारत में कारबार का, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान स्थान स्थित है।
	स्पष्टीकरण 2 - इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

	(अध्याय 5 - शास्तियां)
	(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निगम, गैर बैंककारी संस्था, फर्म, सहकारी सोसाइटी या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है;
	(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।
धारा 58ख के लागू होने का वर्जन	**58घ.** धारा 58ख की कोई भी बात किसी ऐसे मामले को या उसकी बाबत लागू नहीं होंगी जिसकी चर्चा धारा 42 में की गई है।
अपराधों का संज्ञान	**58ङ.** *(1)* कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, रिज़र्व बैंक के ऐसे अधिकारी द्वारा, जो रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में साधारणतया या विशिष्टतया इस निमित्त प्राधिकृत है, लिखित रूप में किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय या उससे वरिष्ठ न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा :
	[1][परन्तु धारा 58ख की उपधारा (5क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लिखित परिवाद राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा जो उस सरकार द्वारा लिखित रूप में साधारणतया या विशिष्टतया इस निमित्त प्राधिकृत है।]
1974 का 2	*(2)* दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा करने का कोई कारण दिखाई देता है तो वह बैंक के उस अधिकारी को, जिसने परिवाद फाइल किया है, स्वीय हाजिरी से अभिमुक्त कर सकेगा, किन्तु मजिस्ट्रेट कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर परिवादी की स्वीय हाजिरी का निदेश स्वविवेकानुसार दे सकेगा ।
जुर्माने का उपयोजन	**58 ट.** इस अधिनियम के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला कोई भी न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि पूरा जुर्माना या उसका कोई भाग कार्यवाही के खर्चे में या उन खर्चों के संदाय के लिए उपयोजित किया जाएगा ।
जुर्माना अधिरोपित करने की बैंक की शक्ति	[2][**58छ**. *(1)* धारा 58ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 58ख में उल्लिखित प्रकृति का कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किया जाएगा तो बैंक ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी पर - -
	(क) पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या
	(ख) जहां उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 58ख की उपधारा (4क) या उपधारा (5) के खंड(क) या खंड (कक) के अधीन हो वहां पांच लाख रुपये से अनधिक

[1] 1984 के अधिनियम सं.1 की धारा 12 द्वारा (15.2.1984से) अंतःस्थापित ।

[2] 1997 के अधिनियम सं.23 की धारा 11 द्वारा (9.1.1997 से) अंतःस्थापित ।

	(अध्याय 5 - शास्तियां) या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में जहां रकम अनुमान्य है, अन्तर्वलित रकम के दोगुने, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है वहां प्रथम शास्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति और अधिरोपित कर सकेगा ।
	(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी पर सूचना तामील करेगा जिसमें उससे इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों न की जाए और ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।
	(3) इस धारा के अधीन बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से जिसको बैंक द्वारा उक्त राशि के संदाय की मांग करते हुए जारी की गई सूचना गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी पर तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर देय होगी और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के ऐसी अवधि के भीतर उस राशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश पर जहां गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है, शास्ति उदगृहीत की जा सकेगीः
	परन्तु प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निदेश इस निमित्त प्राधिकृत बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।
	(4) उपधारा (3) के अधीन निदेश जारी करने वाला न्यायालय गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो ।
	(5) ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम की बाबत जिसके संबंध में इस धारा के अधीन बैंक द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के विरुद्ध कोई भी परिवाद किसी न्यायालय में फाइल नहीं किया जायेगा।
	(6) जहां धारा 58ख में उल्लिखित प्रकृति के किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में न्यायालय में गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया गया है वहां उस गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाही इस धारा के अधीन नहीं की जाएगी।]
	59 से 61. [1906 के अधिनियम संख्यांक 3 का संशोधन । 1913 के अधिनियम संख्यांक 7 की धारा 11 का संशोधन ।] 1937 के अधिनियम संख्यांक 20 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

	(प्रथम अनुसूची) **[1]प्रथम अनुसूची**
	(धारा 9 देखिए)
	[2][1. पश्चिमी क्षेत्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनेगा ।
	2. पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनेगा।]
	3. उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर [3][पंजाब, हरियाणा,] [4][हिमाचल प्रदेश,] राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों और [5][चंडीगढ़] [6][और दिल्ली] के संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनेगा।
	4. दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, [7][कर्नाटक] [8][तामिलनाडु] और केरल के राज्यों और [9][पांडिचेरी] और [10][लक्षद्वीप] के राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनेगा]]।]

[1] विधि अनुकूलन (सं.3) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती प्रथम अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1997 के अधिनियम सं.23 के धारा 11 द्वारा (9.1.1997 से) पहली अनुसूची के मद 1 और 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघ विषयक विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1.1.1966 से) ''पंजाब'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ विषयक विधि अनुकूलन) आदेश, 1973 द्वारा (25.1.1971 से) अंतःस्थापित ।

[5] पंजाब पुनर्गठन और दिल्ली उच्च न्यायालय (संघ विषयक विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1.11.1966 से) अंतःस्थापित।

[6] हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ विषयक विधि अनुकूलन) आदेश, 1973 द्वारा (25.1.1971 से) ''हिमाचल प्रदेश और दिल्ली'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयक विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (1.11.1973 से) ''मैसूर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विषयक विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14.1.1969 से) ''मद्रास'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1963 के अधिनियम सं.7 की धारा 8 द्वारा ''संघ राज्य क्षेत्र लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] लक्कादीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप (नाम परिवर्तन) विधि अनुकूलन आदेश, 1974 द्वारा (1.11.1973 से) ''लक्कादीप, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

	[1]**द्वितीय अनुसूची**
	[धारा 42 और धारा 2(ङ)]
	अनुसूचित बैंक
	स्टेट को-आपरेटिव बैंक
	आंध्र प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	गोवा स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	गुजरात स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	कर्नाटक स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	केरल स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित ।
	महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	उड़ीसा स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	पांडिचेरी स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	पंजाब स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	तमिलनाडु स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	उत्तर प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	वेस्ट बंगाल स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड ।
	शहरी को-आपरेटिव बैंक -
	अभ्युदय को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
	अकोला जनता कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., अकोला
	अकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अकोला
	अमानत को-आपरेटिव बैंक लि., बेंगलूर
	ए.पी. महेश को-आपरेटिव बैंक लि., हैदराबाद
	बसीन कैथोलिक को-आपरेटिव बैंक लि., वसई
	भारत को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	भारती सहकारी बैंक लि., पुणे
	बाम्बे मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	चारमीनार को-आपरेटिव बैंक लि., हैदराबाद

[1] यह अनुसूची इंडियन एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंजमेट्स) आर्डर, 1937, 1955 के अधिनियम सं.23, 1956 के अधिनियम सं.79 और 1959 के अधिनियम सं.38 द्वारा और अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित रूप में यहां दी गई ।

	(द्वितीय अनुसूची)
	सिटीजन क्रेडिट को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	को-आपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद लि., अहमदाबाद
	कॉसमॉस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे
	डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लि., डोंबिवली
	गोवा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., पणजी
	ग्रेटर बाम्बे को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि., इचलकरंजी
	जलगांव जनता सहकारी बैंक लि., जलगांव
	जनकल्याण सहकारी बैंक लि., मुंबई
	जनलक्ष्मी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक
	जनता सहकारी बैंक लि., पुणे
	कालूपुर कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
	कल्याण जनता सहकारी बैंक लि., कल्याण
	कपोल को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	कराड अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., कराड
	खामगांव को-आपरेटिव बैंक लि., खामगांव
	माधवपुरा मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
	महानगर को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	मांडवी को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	मापुसा को-आपरेटिव बैंक लि., मापुसा, गोवा
	मेहसाणा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा
	नगर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर
	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., नागपुर
	नासिक मर्चेंट्स को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक
	न्यू इंडिया को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	नार्थ कनारा जी.एस.बी. को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद
	पारसिक जनता सहकारी बैंक लि., ठाणे
	प्रवरा सहकारी बैंक लि., लोणी, अहमदनगर
	पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि., राजकोट
	रुपी को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे
	सांगली अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सांगली
	सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई

	(द्वितीय अनुसूची)
	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक लि., किला पारदी, गुजरात
	शामराव विठ्ठल को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	शिक्षक सहकारी बैंक लि., नागपुर
	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लि., सोलापुर
	सूरत पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक लि., सूरत
	ठाणे भारत सहकारी बैंक लि., ठाणे
	ठाणे जनता सहाकरी बैंक लि., ठाणे
	दि इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
	वसावी को-आपरेटिव बैंक लि., हैदराबाद
	जोरास्ट्रियन को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	भारतीय स्टेट बैंक और सहायक बैंक -
	भारतीय स्टेट बैंक
	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
	राष्ट्रीयकृत बैंक -
	इलाहाबाद बैंक
	आंध्रा बैंक
	बैंक ऑफ बड़ौदा
	बैंक ऑफ इंडिया
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	केनरा बैंक
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	कार्पोरेशन बैंक
	देना बैंक
	इंडियन बैंक
	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	पंजाब एंड सिंध बैंक
	पंजाब नेशनल बैंक

	(द्वितीय अनुसूची)
	सिंडिकेट बैंक
	यूको बैंक
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	विजया बैंक
	निजी बैंक
	बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड
	दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
	भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड
	दि कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
	सेंच्यूरियन बैंक लिमिटेड
	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड
	दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
	दि फेडरल बैंक लिमिटेड
	दि गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लिमिटेड
	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड
	एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड
	आइ सी आइ सी आइ बैंक लिमिटेड
	आइ डी बी आइ बैंक लिमिटेड
	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
	आइ एन जी वैश्य बैंक लिमिटेड
	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
	दि कर्नाटक बैंक लिमिटेड
	दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
	कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड
	दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
	लॉर्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड
	दि नैनीताल बैंक लिमिटेड
	दि रत्नाकर बैंक लिमिटेड
	दि सांगली बैंक लिमिटेड
	एस बी आइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड
	दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
	तमिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड
	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
	यू टी आइ बैंक लिमिटेड

	(द्वितीय अनुसूची)
	विदेशी बैंक -
	एबीएन अम्रो बैंक एन.वी.
	अबु धाबी कमर्शियल बैंक
	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक
	अंतवेर्प डायमंड बैंक एन.वी. बेल्जियम
	अरब बांग्लादेश बैंक
	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया
	बैंक मस्कट (एसएओजी)
	बैंक ऑफ अमेरिका एन.ए.
	बैंक ऑफ बहरिन एंड कुवैत बी.एस.सी.
	बैंक ऑफ सीलोन
	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
	बैंक ऑफ टोकियो - मित्सुबिशी लि.
	बर्कलेज बैंक
	बीएनपी परिबास
	चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक
	चोहुंग बैंक
	सिटी बैंक एन.ए.
	केल्योन बैंक
	ड्यूश बैंक ए.जी.
	डीबीएस बैंक लिमिटेड
	दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड
	आइएनजी बैंक एन.वी.
	जे.पी.मोरगन चेस बैंक
	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लि.
	मशरक बैंक पी.एस.सी.
	मिजुहो कार्पोरेट बैंक
	ओमन इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.
	सोसाइटी जनरेल
	सोनाली बैंक
	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.
	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
	सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कार्प
	यू एफ जे बैंक लि.

	(द्वितीय अनुसूची)
	ग्रामीण बैंक -
	अदियमान ग्राम बैंक, धर्मपुरी (तमिलनाडु)
	अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)
	अलकनंदा ग्रामीण बैंक, पौड़ी (उत्तरांचल)
	अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
	अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर (राजस्थान)
	अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला (हरियाणा)
	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर (राजस्थान)
	अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक, पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)
	औरंगाबाद जालना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
	अवध ग्रामीण बैंक, हरदोई (उत्तर प्रदेश)
	बेतरनी ग्राम्य बैंक, बारिपाड़ा (उड़ीसा)
	बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर (उड़ीसा)
	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उत्तर प्रदेश)
	बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक, पाटण (गुजरात)
	बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)
	बर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्धमान (पश्चिम बंगाल)
	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश)
	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)
	बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती (उत्तर प्रदेश)
	बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय (बिहार)
	भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर (बिहार)
	भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
	भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा (महाराष्ट्र)
	भीलवाडा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा (राजस्थान)
	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा (बिहार)
	बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर (कर्नाटक)
	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर (राजस्थान)
	बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
	बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगीर (उड़ीसा)
	बुलढाणा ग्रामीण बैंक, बुलढाणा (महाराष्ट्र)
	बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टिक्कमगढ़ (मध्य प्रदेश)
	बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी (राजस्थान)
	कछार ग्रामीण बैंक, सिलचर (असम)

(द्वितीय अनुसूची)

कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक)
चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली, गुन्टुर जिला (आंध्र प्रदेश)
चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना (मध्य प्रदेश)
चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी (बिहार)
चन्द्रपुर गड़चिरोली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)
छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई (उत्तर प्रदेश)
छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाडा (मध्य प्रदेश)
चिकमगलूर-कोडागू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर (कर्नाटक)
चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)
कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा)
दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह (मध्य प्रदेश)
देवीपाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा (उत्तर प्रदेश)
देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास (मध्य प्रदेश)
धेनकनाल ग्राम्य बैंक, धेनकनाल (उड़ीसा)
डूंगरपुर बांसवाडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर (राजस्थान)
दुर्ग राजनांदगांव गामीण बैंक, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)
एटा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश)
इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश)
फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा (पंजाब)
फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)
फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)
गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून (उत्तरांचल)
गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा (पश्चिम बंगाल)
गिरडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरडीह (झारखंड)
गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजमंड्री (आंध्र प्रदेश)
गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विगास बैंक, गुरदासपुर (पंजाब)
गुड़गाव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव (हरियाणा)
ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दातिया (मध्य प्रदेश)
हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)
हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा)

(द्वितीय अनुसूची)

हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग (झारखंड)
हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)
हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार (हरियाणा)
हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)
इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन, मध्य प्रदेश
जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान)
जम्मू रुरल बैंक, जम्मू (जम्मू कश्मीर)
जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात)
जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा (उत्तर प्रदेश)
झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ (मध्य प्रदेश)
जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़ (गुजरात)
का बैंक नोंगनिडोंगरी खासी जयन्तिया, शिलांग (मेघालय)
काकथिया ग्रामीण बैंक, वारंगल (आंध्र प्रदेश)
कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानी पटना (उड़ीसा)
कल्पतरु ग्रामीण बैंक, तुमकुर (कर्नाटक)
कामराज रुरल बैंक, सोपेर (जम्मू-कश्मीर)
कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक, गुड़ीवाड़ा (आंध्र प्रदेश)
कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब)
काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (उत्तर प्रदेश)
कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार (कर्नाटक)
कोरापूट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जयपुर (उड़ीसा)
कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिमा (बिहार)
कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा (कर्नाटक)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)
क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)
कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज (गुजरात)
लखिमी गांवलिया बैंक, गोलाघाट (असम)
लांगपी देहांगी रूरल बैंक, दीफू (असम)
मधुबनी क्षेत्रीय गामीण बैंक, मधुबनी (बिहार)
मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार)
महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामण बैंक, नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)
मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (कर्नाटक)

(द्वितीय अनुसूची)

मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)
मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर (पंजाब)
मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला (मध्य प्रदेश)
मणिपुर रुरल बैंक, इम्फाल (मणिपुर)
मंजिरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी, मेडक (आंध्र प्रदेश)
मराठवाडा ग्रामीण बैंक, नांदेड़ (महाराष्ट्र)
मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरु (राजस्थान)
मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान)
मयुराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी (पश्चिम बंगाल)
मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (राजस्थान)
मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा (बिहार)
मिजोरम रुरल बैंक, ऐजल (मिजोरम)
मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल)
मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)
नादिया ग्रामीण बैंक, कृष्णनगर (पश्चिम बंगाल)
नागालैंड रुरल बैंक, कोहिमा (नागालैंड)
नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्मम (आंध्र प्रदेश)
नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल (उत्तरांचल)
नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहार शरीफ (बिहार)
नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलोर (कर्नाटक)
निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खरगोन (मध्य प्रदेश)
नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर (केरल)
पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज (झारखंड)
पंचमहल ग्रामीण बैंक॥ गोधरा (गुजरात)
पांड्यान ग्राम बैंक, सत्तूर (तमिलनाडु)
पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा (हिमाचल प्रदेश)
पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना (बिहार)
पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेलौर (आंध्र प्रदेश)
पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ (उत्तरांचल)
प्राग्ज्योतिष गांओलिया बैंक, नलबारी (असम)
प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)
प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली (उड़ीसा)
रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

(द्वितीय अनुसूची)

रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
राजगढ़-सीहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीहोर (मध्य प्रदेश)
रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची (झारखंड)
रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झांसी (उत्तर प्रदेश)
रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर (मध्य प्रदेश)
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कड़प्पा (आंध्र प्रदेश)
रीवां सीधी ग्रामीण बैंक, रीवां (मध्य प्रदेश)
ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, बरहामपुर (उड़ीसा)
साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर (गुजरात)
सागर ग्रामीण बैंक, आमतल्ला (पश्चिम बंगाल)
सह्याद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा (कर्नाटक)
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार)
संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेलइसा, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)
संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर (आंध्र प्रदेश)
संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका (झारखंड)
सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार)
सरयू ग्रामीण बैंक, खीरी (लखीमपुर खीरी) (उत्तर प्रदेश)
शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल (मध्य प्रदेश)
शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)
शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश)
शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान)
शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर (पंजाब)
शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर (आंध्र प्रदेश)
श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तुर (आंध्र प्रदेश)
सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाई बासा (झारखंड)
सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान (बिहार)
सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर (महाराष्ट्र)
साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलप्पुरम (केरल)
श्रावस्ती ग्रामीण बैंक, बहराइच (उत्तर प्रदेश)
श्री अनन्त ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश)
श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)
श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश)
श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(द्वितीय अनुसूची)

श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबद (आंध्र प्रदेश)
सुबनश्री गांओलिया बैंक, उत्तरी लखीमपुर (असम)
सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)
सूरत-भडुच ग्रामीण बैंक, भडुच (गुजरात)
सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर (गुजरात)
सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)
ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे (महाराष्ट्र)
थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर (राजस्थान)
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरताला (त्रिपुरा)
तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश)
तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी (कर्नाटक)
उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)
वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)
वल्लालार ग्राम बैंक, कड्डलोर (तमिलनाडु)
वलसाड़-डांग ग्रामीण बैंक, वलसाड़ (गुजरात)
वरदा ग्रामीण बैंक, कुम्टा (कर्नाटक)
विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा (मध्य प्रदेश)
विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)
विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मण्डया (कर्नाटक)
यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल (महाराष्ट्र)

तृतीय अनुसूची - 1955 के अधिनियम सं. 23 की धारा 52 और तीसरी अनुसूची द्वारा (1-7-1955) निरसित।

चतुर्थ अनुसूची - 1948 के अधिनियम सं.62 की धारा 7 ओर अनुसूची द्वारा (1-1-1949 से) निरसित।

पंचम अनुसूची - इंडिया एंड बर्मा (बर्मा मानेटरी अरेंन्जमेन्ट्स) आर्डर, 1937 द्वारा निरसित।